सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश में पेयजल सेवाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश में पेयजल सेवाओं पर

निष्पादन लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 1

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	iii	
कार्यकारी सारांश	v-viii	
अध्याय-I: परिचय		
हिमाचल प्रदेश में पेयजल की आवश्यकता	1.1	1
हिमाचल प्रदेश के जल स्रोत	1.2	2-3
पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम	1.3	3
संगठनात्मक ढाँचा	1.4	4
पेयजल आपूर्ति स्कीमों के अनुमोदन की प्रक्रिया	1.5	5
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.6	5
लेखापरीक्षा मापदण्ड	1.7	5-6
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	1.8	6
आभार	1.9	6
अध्याय-II: संस्थागत तंत्र और योजना		
संस्थाओं का गठन	2.1	7-12
विस्तृत जल सुरक्षा योजना	2.2	12-13
ग्राम कार्य योजनाएं	2.3	13
अन्य कार्यक्रमों/स्कीमों के साथ अभिसरण	2.4	14
पंचायती राज संस्थाओं को पेयजल व्यवस्था का हस्तान्तरण	2.5	14
अध्याय-III: वित्तीय प्रबंधन		
निधियन स्वरूप तथा निधियों का प्रवाह	3.1	17
बजट आवंटन और व्यय	3.2	17-18
वास्तव में निष्पादित नहीं किए गए कार्यों के लिए आहरित निधियां	3.3	18-19
अप्रयुक्त निधियां	3.4	19-20
निधियों का विचलन	3.5	20-22
समुदायों द्वारा पूंजीगत लागत के हिस्से का योगदान न करना	3.6	22-24
ऊर्जा प्रभारों का भुगतान	3.7	24-27
जल प्रभार	3.8	27-30
अध्याय-IV: स्कीमों का निष्पादन		
जल आपूर्ति स्कीमों का निष्पादन	4.1	31
पूर्ण हो चुकी स्कीमों में आपूर्ति	4.2	32

गृहवासियों की व्याप्ति के ऑनलाइन आंकड़ों तथा वास्तविक जल उपभोक्ताओं के आंकड़ों में भिन्नता	4.3	32-33
स्कीमों के निष्पादन की स्थिति	4.4	33-36
अनुमान से अधिक व्यय	4.5	36
चयनित जल आपूर्ति स्कीमों की विस्तृत जांच	4.6	37-49
नमूना-जांचित पूर्ण स्कीमों का लाभार्थी सर्वेक्षण	4.7	49-50
चयनित अपूर्ण जलापूर्ति स्कीमों में कमियां	4.8	50-53
अध्याय-V: जल गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं निगरानी, जनशक्ति प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण		
जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	5.1	55-56
प्रयोगशालाओं में आधारभूत संरचना की उपलब्धता	5.2	56-58
किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण	5.3	58-66
राज्य में प्रतिवेदित जल जनित रोग	5.4	66-67
समग्र स्वीकृत स्टॉफ तथा कार्यरत व्यक्ति	5.5	67-68
सहायक गतिविधियां- क्षमता निर्माण	5.6	69-70
अनुश्रवण	5.7	70-71
सामाजिक लेखापरीक्षा	5.8	71-72
चयनित मण्डलों में पानी की शिकायतें	5.9	72

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
1	नमूना-जांचित मण्डलों में संवीक्षित पूर्ण जलापूर्ति स्कीमों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.2 तथा 4.6	75-79
2	नमूना-जांचित मण्डलों में संवीक्षित अपूर्ण जलापूर्ति स्कीमों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.6 तथा 4.8	80-82
3	चयनित मण्डलों की पूर्ण हो चुकी स्कीमों में पानी की अपर्याप्त आपूर्ति	4.6	83-85
4	नमूना-जांचित मण्डलों में प्रयोगशालाओं द्वारा संचालित जल गुणवत्ता परीक्षणों हेतु पैरामीटरों का विवरण	5.3(ii)	86
5	नमूना-जांचित प्रयोगशालाओं में स्टॉफ की उपलब्धता का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	5.5	87-88

प्रस्तावना

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पेयजल सेवाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी (मार्च 2017) लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

जनसंख्या में लगातार वृद्धि, व्यापक तकनीकी आधुनिकीकरण, नई और अस्थिर जीवन शैली ने जलाभाव की समस्या को निमंत्रित कर, इसे अधिक गंभीर बना दिया है। पेयजल तक पहुंच जीवन का मौलिक अधिकार है। स्वच्छ पेयजल पाने का संवैधानिक अधिकार भोजन के अधिकार से लिया गया है, जिसे संविधान के अधीन गारंटीकृत जीवन के अधिकार के व्यापक शीर्षक के अंतर्गत संरक्षित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना तथा चिनाब नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों से प्राप्त जल की भारी मात्रा से संपन्न पहाड़ी प्रदेश है। 1999 के दौरान राज्य में जल की आवश्यकता 454.53 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) (ग्रामीण: 384.32 एमएलडी व शहरी: 70.21 एमएलडी) थी तथा 2021 के दौरान 726.46 एमएलडी (ग्रामीण: 575.97 एमएलडी व शहरी: 150.49 एमएलडी) तक बढ़ने का अनुमान था।

लोगों को पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, 2016-21 की अवधि हेतु हिमाचल प्रदेश में पेयजल सेवाओं पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2016-21 तक की अवधि को आवृत्त किया गया था। यादृच्छिक नमूनों के आधार पर चयनित प्रमुख अभियंता, निदेशक (जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन), सभी चार अंचलों (ज़ोन) के मुख्य अभियंताओं, आठ (13 में से) वृत्तों (प्रत्येक चार ज़ोन में से दो) के अधीक्षण अभियंताओं के अभिलेखों की संवीक्षा की गई। लेखापरीक्षा नमूने में 20 मण्डलों को शामिल किया गया था जिन्हें विस्तृत जांच के लिए चुना गया था। इसके अतिरिक्त, 55 पेयजल आपूर्ति स्कीमें (40 पूर्ण एवं 15 अपूर्ण), जिन्हें विभिन्न कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जल जीवन मिशन तथा अन्य राज्य कार्यक्रमों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, उनको उनके निष्पादन मूल्यांकन हेतु 20 चयनित मण्डलों में चुना गया था। जल सेवाओं के वितरण एवं गुणवत्ता के निर्धारण हेतु 1109 लाभार्थियों/ गृहवासियों (40 चयनित पूर्ण स्कीमों में से) का सर्वेक्षण भी किया गया।

संस्थागत ढांचे के लिए राज्य द्वारा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति, राज्य तकनीकी एजेंसी, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशनों ने आवश्यकता से कम बैठकें कीं और इन बैठकों में लिए गए निर्णयों पर भी ध्यान नहीं दिया गया/ कार्यान्वित नहीं किया गया। राज्य तकनीकी एजेंसी की सेवा का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि कोई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राज्य तकनीकी एजेंसी को पुनरीक्षण के लिए नहीं भेजी गई। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों ने ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजन, निगरानी, कार्यान्वयन और संचालन व रखरखाव सहित गतिविधियों में भाग नहीं लिया।

राज्य ने राज्य स्तर पर कोई दीर्घकालिक व्यापक जल सुरक्षा योजनाएं और ग्राम स्तर पर ग्राम कार्य योजनाएं तैयार नहीं की, जो स्कीमों की आयोजना में नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी के अभाव को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, जल आपूर्ति स्कीमों के प्रबंधन और आवर्धन हेतु उन्हें समुदायों और पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित नहीं किया गया।

तत्काल आवश्यकता के बिना निधियों का आहरण देखा गया तथा उपायुक्तों और नगर परिषदों/निगमों से प्राप्त निधियां पांच से 79 माह की अवधि हेतु निक्षेप शीर्ष में अव्ययित पड़ी रही। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त निधियों का कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र से बाहर विचलन किया गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को अनुबंध मांग शुल्क, अनुबंध मांग उल्लंघन प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार जहां जल आपूर्ति स्कीमों में शून्य ऊर्जा खपत दर्ज की गई थी, वहां भी ऊर्जा प्रभार का परिहार्य भुगतान किया गया।

नमूना-जांचित मण्डलों में मार्च 2021 तक उपभोक्ताओं से ₹ 9.35 करोड़ के जल प्रभार की वसूली नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में एक मण्डल में ₹ 27.42 लाख का गबन देखा गया। साथ ही ₹ 12.02 लाख के जल प्रभार सरकारी खाते के प्राप्ति शीर्ष में जमा करने के स्थान पर चालू खाते में जमा किए गए। एक अन्य दृष्टांत में नगर परिषद पालमपुर से ₹ 8.55 करोड़ के जल प्रभारों की वसूली की जानी थी।

नमूना-जांचित पांच मण्डलों में नौ उठाऊ जलापूर्ति स्कीमों के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में 120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आपूर्ति के डिजाइन के प्रति, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 22 से 67 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बीच जलापूर्ति की जा रही थी। अर्ध शहरी क्षेत्रों में 73 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जलापूर्ति लाभार्थियों को की जा रही थी।

15 मण्डलों में एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली और उपभोक्ता बही के अनुसार कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के आंकड़ों में भारी अंतर था। कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन का अंतर इंगित करता है कि आंकड़ें बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए थे तथा गृहवासियों की वास्तविक व्याप्ति एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली में दिखाई गई व्याप्ति से बहुत कम थी।

नमूना-जांचित पूर्ण स्कीमों के जल एवं जल शोधन संयंत्र के स्रोतों में घटक-वार कमियां पाई गईं जैसे कि खड्ड के बीच में बोरवेल/ अंतः स्त्रवण कुएं का निर्माण, इनटेक चेम्बर, अंतःस्त्रवण कुएं एवं पम्प हाउस का निर्माण/ उपयोग न होना, फिल्टर मीडिया के बिना पानी की आपूर्ति, अवसादन टैंक की मुरम्मत/ उपयोग/ सफाई नहीं करना।

कुछ नमूना-जांचित मण्डलों में स्कीमों की पम्पिंग मशीनरी, राइजिंग/ ग्रैविटी मेन और वितरण नेटवर्क से संबंधित कई कमियां थीं, जैसे कि खराब पम्पिंग मशीनरी, बिजली मीटर का कनेक्शन न होने के कारण अकार्यशील स्कीमें, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर्स की स्थापना न होना और जल आपूर्ति स्कीमों को

उनकी इष्टतम क्षमता तक संचालित न करना। इसके अतिरिक्त ग्रेविटी मेन/ वितरण नेटवर्क न बिछाने, एंकर थ्रस्ट ब्लॉक का निर्माण न करने, भूमिगत जलाशय/ टैंक का निर्माण न करने और वितरण नेटवर्क में लीकेज जैसे मामले भी देखे गए।

लेखापरीक्षा द्वारा सर्वेक्षण किए गए पूर्ण स्कीमों के 1109 लाभार्थियों में से 21 *प्रतिशत* आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं थे, जबकि अंतिम छोर के लाभार्थियों में से 26 *प्रतिशत* (574 में से) ने बताया कि उनके पास पानी की पर्याप्त आपूर्ति तक पहुंच नहीं थी।

मार्च 2021 तक राज्य ने अपनी स्वयं की राज्य प्रयोगशाला का संचालन नहीं किया। राज्य में अन्य 59 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं (जिला प्रयोगशालाएं: 14 एवं उप-मण्डलीय स्तर: 45) में, 16 उप-मण्डलीय प्रयोगशालाओं के लिए परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की मान्यता प्राप्त नहीं की गई थी। प्रयोगशालाओं के पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा और उपकरण नहीं थे, जिससे उनकी परीक्षण क्षमताएं प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त, 2019-21 के दौरान राज्य प्रयोगशाला द्वारा पुन: परीक्षण हेतु अपेक्षित 98 *प्रतिशत* नमूनों का विभाग द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था।

2016-21 के दौरान राज्य में जल स्रोतों के जीवाणुतत्व-संबंधी और रासायनिक परीक्षणों के लक्ष्य किए जाने वाले परीक्षणों की अपेक्षित मात्रा के अनुरूप नहीं थे। विफल जीवाणुतत्व-संबंधी/ रासायनिक परीक्षणों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही कुल्लू मण्डल में परीक्षणों की फर्जी रिपोर्टिंग पाई गई। पानी के नमूने के परीक्षण की सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि जिला चंबा में दो प्रयोगशालाओं में एक ही पानी के नमूने हेतु किए गए परीक्षणों में भिन्नता देखी गई।

पेयजल की ब्लीचिंग के अनुश्रवण के लिए अवशिष्ट क्लोरीन के स्तर को क्लोरोस्कोप के माध्यम से जांचा नहीं गया। साथ ही, ब्लीचिंग पाउडर को उनके उपयोगी जीवन के बाद क्लोरीनीकरण के लिए जारी किया गया।

विभाग में कर्मचारियों की कमी 11 *प्रतिशत* से 24 *प्रतिशत* के मध्य थी जबकि प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की 73 *प्रतिशत* से 74 *प्रतिशत* के मध्य भारी कमी थी।

विभाग की कार्यप्रणाली तथा स्कीमों के निष्पादन की स्थिति के अनुश्रवण के लिए राज्य, जिला एवं ग्राम स्तरों पर सतर्कता एवं अनुश्रवण समितियों की स्थापना नहीं की गई। ₹ 5.00 करोड़ एवं इससे अधिक लागत के कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु शीर्ष स्तर पर समीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था। ठेकेदारों को भुगतान जारी करने से पहले तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया।

मार्च 2021 तक बड़ी संख्या में जल आपूर्ति की शिकायतें बकाया थीं और विभागीय स्तर पर शिकायतों की टिप्पणियों तथा निवारण के उचित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए।

सिफारिशें

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों की योजना, अनुश्रवण, कार्यान्वयन और संचालन एवं रखरखाव में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां भाग लें तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन नियमित रूप से स्कीमों का अनुश्रवण करें। ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं के अनुसार व्यापक जल सुरक्षा योजनाएं तैयार की जाए ताकि जल आपूर्ति स्कीमों की योजना एवं निष्पादन में नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।

यह सुनिश्चित किया जाए कि आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग किया जाता है तथा अन्य क्षेत्रों/कार्यों हेतु पेयजल निधियों के अनियमित विचलन से बचा जाए। मौजूदा ऑनलाइन हिमाचल प्रदेश जल बिल ऐप का उपयोग जल-प्रभारों को जारी करने, संग्रह करने, वसूल करने और जमा करने के लिए किया जाए ताकि उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के अतिरिक्त किसी भी तरह के दुर्विनियोजन, सरकारी राजस्व को राजकोष में जमा करवाने में विलम्ब से बचा जा सके।

जल आपूर्ति प्रतिष्ठापनों की मरम्मत एवं संवर्धन करके नागरिकों को लक्षित पेयजल की गुणवत्ता तथा न्यूनतम मात्रा दोनों सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कदम उठाए जाए। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से सभी प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रयोगशालाओं हेतु पर्याप्त एवं योग्य कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए।

पर्याप्त अनुश्रवण और सतर्कता हेतु सतर्कता एवं अनुश्रवण समितियों की स्थापना की जाए। ₹ 5.00 करोड़ और उससे अधिक लागत के मुख्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए शीर्ष स्तर पर समीक्षा समिति का अविलंब गठन किया जाना आवश्यक है।

अध्याय-I

परिचय

अध्याय-I

परिचय

जनसंख्या में लगातार वृद्धि, व्यापक तकनीकी आधुनिकीकरण, नई और अस्थिर जीवन शैली ने जलाभाव की समस्या को निमंत्रित कर, इसे अधिक गंभीर बना दिया है। पेयजल तक पहुंच जीवन का मौलिक अधिकार है। स्वच्छ पेयजल पाने का संवैधानिक अधिकार भोजन के अधिकार से लिया गया है, जिसे संविधान के अधीन गारंटीकृत जीवन के अधिकार के व्यापक शीर्षक के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने का विषय संयुक्त राष्ट्र ने उनके सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों तथा तदोपरांत सतत् विकास लक्ष्यों में भी सम्मिलित किया है। सतत् विकास लक्ष्य-6: 'जल लक्ष्य' द्वारा जल एवं स्वच्छता की सभी के लिए उपलब्धता तथा स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

1.1 हिमाचल प्रदेश में पेयजल की आवश्यकता

हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो 55,673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या, 2001 की जनगणना 60.78 लाख के आंकड़े से बढ़ कर, 68.65 लाख हो गई थी, जो भारत की जनसंख्या की 0.57 *प्रतिशत* थी। 1999 के दौरान राज्य में जल की आवश्यकता 454.53 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) (ग्रामीण: 384.32 एमएलडी व शहरी: 70.21 एमएलडी) थी तथा 2021 के दौरान 726.46 एमएलडी (ग्रामीण: 575.97 एमएलडी व शहरी: 150.49 एमएलडी) तक बढ़ने का अनुमान था, जैसाकि **चार्ट-1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1

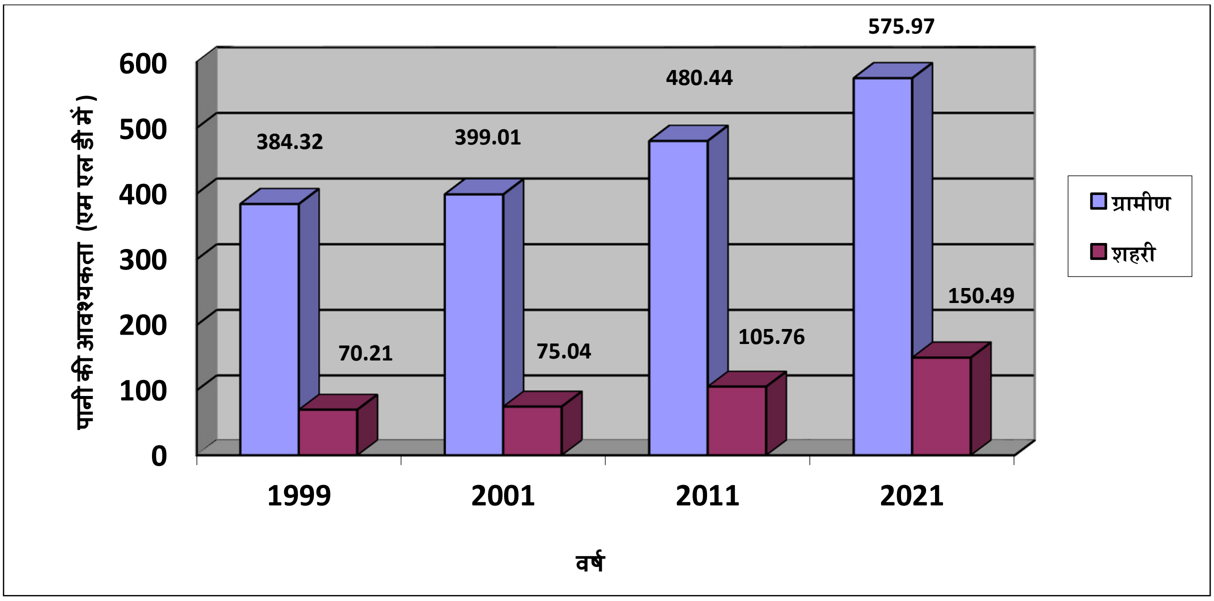

स्रोत: योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2002

1.2 हिमाचल प्रदेश के जल स्रोत

हिमाचल प्रदेश राज्य सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना तथा चिनाब नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों से प्राप्त जल की भारी मात्रा से संपन्न पहाड़ी प्रदेश है। अन्य स्रोतों (भूजल: झरने, नलकूप, आदि; सतही जल: (नदियां, खड्ड[1], नाला, झील, इत्यादि; बारिश का पानी एवं पारंपरिक/प्रचलित स्रोत: बावड़ियां[2] व खात्रियों[3]) से भी पीने का पानी लिया जाता है। राज्य में मार्च 2021 तक लगभग 1.96 लाख पेयजल स्रोत[4] हैं।

पेयजल लोगों को ग्रेविटी जलापूर्ति स्कीमों तथा उठाऊ जलापूर्ति स्कीमों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ग्रेविटी वाटर सिस्टम के अंतर्गत पानी को किसी बाह्य ऊर्जा के उपयोग के बिना पाइप के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को ग्रेविटी द्वारा पहुंचाया जाता है। उठाऊ जल प्रणाली में पानी को बाह्य ऊर्जा के प्रयोग से ईंधन आधारित या विद्युत शक्ति से संचालित पंपों द्वारा पहुंचाया जाता है।

राज्य में जलापूर्ति स्कीमों के मुख्य घटकों में जल स्रोत, राईजिंग/ ग्रेविटी मेन, जल शोधन संयंत्र, पंप हॉउस, भण्डारण टैंक तथा वितरण लाइन सम्मिलित है।

ग्रेविटी जलापूर्ति स्कीम का योजनाबद्ध प्रस्तुतीकरण/रेखा-चित्र

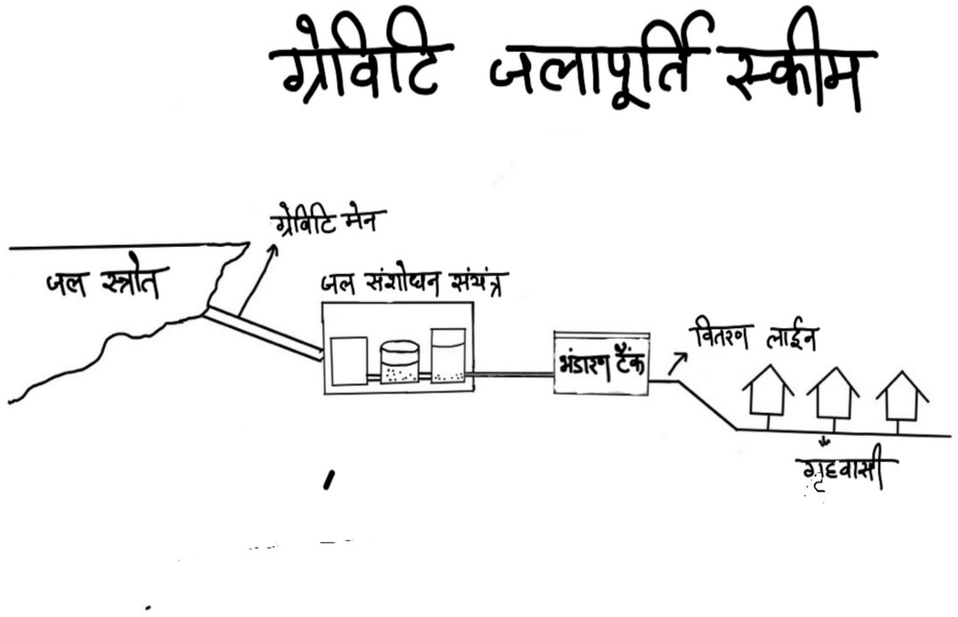

1 खड्ड पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटी नदी है।

2 बावड़ियां सीढ़ीनुमा तालाब या कुएं हैं, जिनमें सीढ़ियों से उतरकर पानी तक पहुंचा जा सकता है।

3 खात्रियां मानव निर्मित कुएं हैं।

4 विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

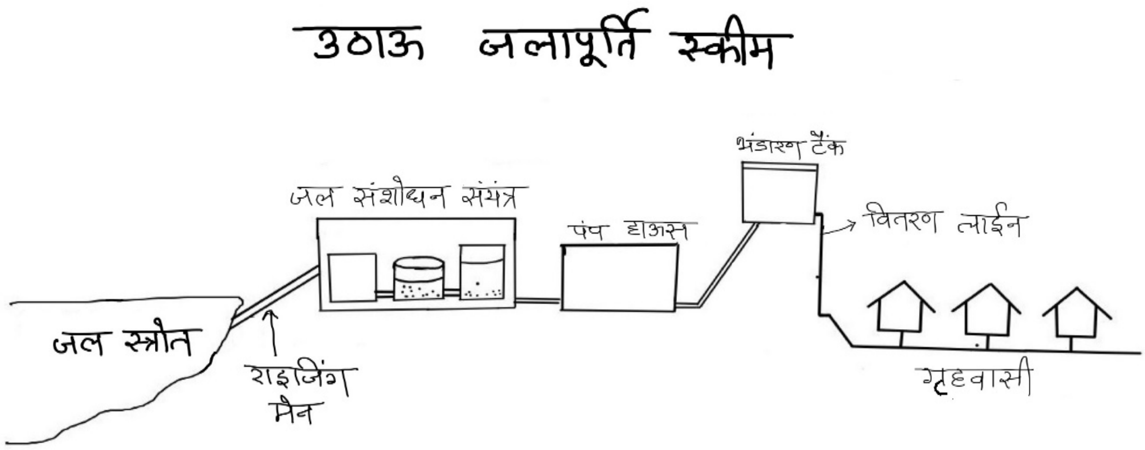

1.3 पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम

जल राज्य का विषय है और राज्य सरकार पीने योग्य पानी की न्यूनतम मात्रा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार, राज्य में निवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दे कर सहयोग करती है। हिमाचल प्रदेश में पेयजल सेवाएं उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व, जल शक्ति विभाग (पूर्व में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग) का है। राज्य में जल शक्ति विभाग जलापूर्ति स्कीमों के विकास, निष्पादन, परिचालन व रखरखाव हेतु नोडल विभाग है। स्कीमें भारत सरकार के कार्यक्रमों {राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम /जल जीवन मिशन} तथा ग्रामीण/शहरी जलापूर्ति स्कीमों हेतु राज्य के कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुमोदित की जाती हैं। राज्य की अधिकांश जलापूर्ति स्कीमों का निष्पादन, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण, विभागीय विनियमों एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत किया जाता है।

1.4 संगठनात्मक ढांचा

पेयजल सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु जल शक्ति विभाग का संस्थागत व अन्य संरचनात्मक विवरण **चार्ट-1.2** में दिया गया है।

चार्ट-1.2

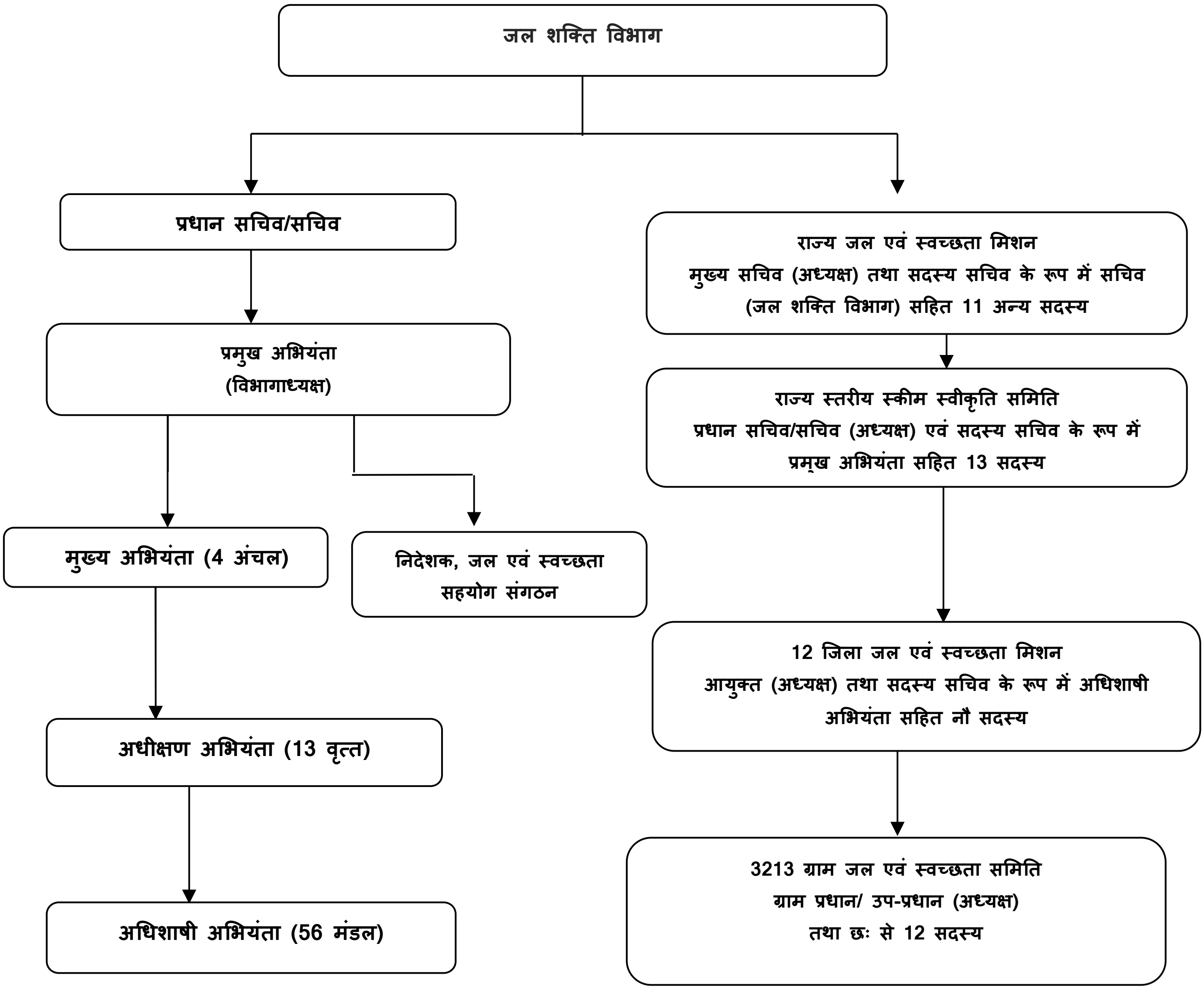

विभागीय तंत्र को जलापूर्ति स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन एवं प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने के लिए स्थापित मिशनों द्वारा सहयोग किया जाता है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन समुदाय नेतृत्व तथा सहभागी परियोजनाओं के लिए नीतिगत दिशानिर्देश उपलब्ध करवाने का प्रयास करता है। मिशन संरचना नवीनतम ज्ञान के साथ तालमेल करने तथा चलने का प्रयास करती है। यह नियमित अधिकारियों के अतिरिक्त विषय विशेषज्ञों को नियुक्त करता है। यह जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी, परियोजना प्रबंधन, वित्त प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना, शिक्षा व संचार, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण तथा गैर सरकारी संगठन समन्वय का प्रतिनिधित्व रखता है।

1.5 पेयजल आपूर्ति स्कीमों के अनुमोदन की प्रक्रिया

जलापूर्ति स्कीमों की आयोजना, निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण का उत्तरदायित्व जल शक्ति विभाग का है। जलापूर्ति स्कीम के अनुमोदन तथा निष्पादन की प्रक्रिया को निम्न प्रवाह **चार्ट-1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.3

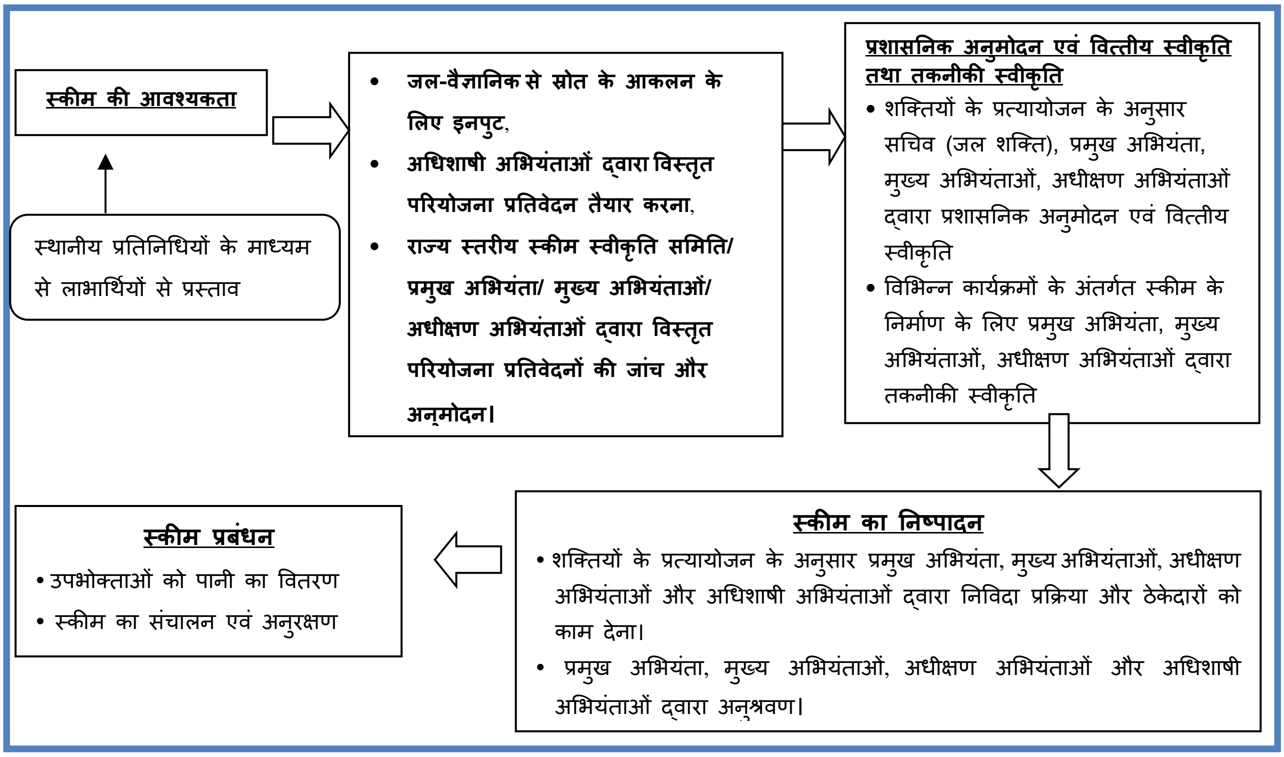

1.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में मुख्यतः यह निर्धारित करना था कि:

- ➢ क्या पेयजल कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु परिकल्पित संस्थागत तंत्र प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा था;
- ➢ क्या निधि प्रबंधन मितव्ययी एवं कुशल था;
- ➢ क्या कार्यक्रमों/ स्कीमों का कार्यान्वयन कुशल एवं प्रभावी था;
- ➢ क्या कार्यक्रमों/ स्कीमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु पर्याप्त एवं प्रभावी तंत्र विद्यमान था; तथा
- ➢ क्या गृहवासी पेयजल सेवाओं से संतुष्ट थे।

1.7 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ➢ केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन नियमावली;

- समरूप पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल, 2013;
- हिमाचल प्रदेश जल नीति, 2013;
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (2013) तथा जल जीवन मिशन (2019) के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश;
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश व निर्देश;
- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम तथा हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम और;
- स्कीमों/कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रक्रियाएं।

1.8 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि को आवृत्त किया गया था तथा निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्य जुलाई 2021 से मार्च 2022 के दौरान किया गया था। यादृच्छिक नमूनों के आधार पर चयनित प्रमुख अभियंता, निदेशक (जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन), सभी चार अंचलों[5] (ज़ोन) के मुख्य अभियंताओं, आठ (13 में से) वृत्तों[6] (प्रत्येक चार ज़ोन में से दो) के अधीक्षण अभियंताओं के अभिलेखों की संवीक्षा की गई। स्तरीकृत नमूना तकनीक के आधार पर चयनित वृत्तों में 20 मण्डलों[7] (56 में से) के अधिशाषी अभियंताओं के कार्यालयों के अभिलेखों की भी नमूना-जांच की गई। 2016-21 के दौरान उपरोक्त 20 मण्डलों में 457 पूर्ण पेयजल आपूर्ति स्कीमों में से 40 पेयजल आपूर्ति स्कीमों (उठाऊ जलापूर्ति स्कीम: 23 तथा ग्रेविटी जलापूर्ति स्कीम: 17) तथा 15 अपूर्ण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की विस्तृत संवीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, जल सेवाओं के वितरण एवं गुणवत्ता के निर्धारण हेतु 1109 लाभार्थियों/निवासियों (40 चयनित पूर्ण स्कीमों में से) का सर्वेक्षण भी किया गया।

सचिव (जल शक्ति) के साथ अगस्त 2021 में आरंभिक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, मापदण्ड तथा कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। अभिलेखों की संवीक्षा, प्रश्नावली जारी कर उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करके, लेखापरीक्षा ज्ञापन तथा विभिन्न स्तरों पर विभागीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष तैयार किए गए। 5 दिसंबर 2022 को आयोजित अंतिम सम्मेलन में सचिव (जल शक्ति) तथा विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई तथा इस प्रतिवेदन में विभाग के दृष्टिकोण को उचित रूप से समाविष्ट किया गया है।

1.9 आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश लेखापरीक्षा के दौरान विभागीय पदाधिकारियों/प्राधिकारियों एवं लाभार्थियों द्वारा दिए गए सहयोग व सहायता हेतु आभार व्यक्त करता है।

---

[5] धर्मशाला, हमीरपुर, मण्डी व शिमला।

[6] बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, रिकांगपिओ व शिमला।

[7] बग्गी, भोरंज, बिलासपुर, चम्बा, चौतड़ा, डलहौजी, धर्मशाला, हमीरपुर, झंडूता, काजा, केलांग, कुल्लू, मण्डी, मतियाना, पालमपुर, रामपुर, रिकांगपिओ, सलूणी, शिमला व थुरल

अध्याय-II

संस्थागत तंत्र

और योजना

अध्याय-II

संस्थागत तंत्र और योजना

किसी कार्यक्रम/स्कीम के सफल कार्यान्वयन तथा इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक संस्थागत तंत्र आवश्यक है। इसमें पेयजल सेवाओं की प्रभावी योजना तथा कार्यान्वयन के लिए राज्य/जिला/ग्राम स्तरों पर प्रासंगिक एजेंसियों की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक गृहवासी को पर्याप्त तथा गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम/स्कीम की विभिन्न गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी स्तरों पर पर्याप्त भागीदारी के साथ योजना महत्वपूर्ण है, जिससे समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हो।

भाग-I संस्थागत तंत्र

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति, राज्य तकनीकी एजेंसी, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां के रूप में संस्थागत तंत्र गैर-कार्यात्मक था और इसलिए नीतिगत मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता तथा अनुश्रवण के लिए अप्रभावी रहा।

2.1 संस्थाओं का गठन

(i) राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन सोसायटी

राज्य के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि से सम्बन्धित विभागों के बीच समन्वय तथा अभिसरण प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की स्थापना का प्रावधान है। राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत एकीकृत कार्यान्वयन तथा सामुदायिक भागीदारी के संस्थागतकरण के लिए राज्यों को प्रचालनात्मक लचीलापन प्रदान करना था।

राज्य सरकार ने एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन (जुलाई 2009 तथा मई 2020 में पुनर्गठित) किया जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अध्यक्ष के रूप में, सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग/ जल शक्ति) सदस्य सचिव तथा नौ सदस्य (पेयजल आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त एवं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव, जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता तथा केन्द्रीय भूजल बोर्ड और केन्द्रीय जल आयोग के राज्य प्रतिनिधि) शामिल है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता कार्यकलापों का विशेष परियोजनाओं सहित अभिसरण: संबंधित गतिविधियों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा अन्य भागीदारों के साथ समन्वय: जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन तथा प्रबंधन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन; जल आपूर्ति तथा स्वच्छता दोनों के लिए संचार एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करना; तथा

कार्यक्रम निधियों के खातों का अनुरक्षण एवं खातों के लिए आवश्यक लेखापरीक्षा करवाने के लिए नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है।

राज्य जल स्वच्छता मिशन द्वारा अनुश्रवण- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सोसायटी को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी अनिवार्य थी अर्थात् 2016-21 की अवधि के दौरान न्यूनतम दस बैठकें आयोजित की जानी थीं। तथापि, सोसायटी ने इस अवधि के दौरान न्यूनतम आवश्यक दस बैठकों के प्रति केवल दो बैठकें[1] (20 *प्रतिशत*) आयोजित कीं। बैठकों के कार्यवृत्त की जांच से पता चला कि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए, जल जीवन मिशन कार्यक्रम के संबंध में निर्देश जारी किए, जिसमें अन्य के साथ शामिल थे:

- ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों तथा ग्राम पंचायतों के परामर्श से बेसलाइन सर्वेक्षण, संसाधन मानचित्रण तथा ग्रामीण समुदाय की महसूस की गई आवश्यकतायों के आधार पर ग्राम कार्य योजना तैयार करना (गांव में जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना, नकद/वस्तु तथा/अथवा श्रम में आंशिक पूंजी लागत योगदान करने के लिए लोगों की इच्छा सामर्थ्य सहित तथा परिचालन एवं रखरखाव के लिए नियमित योगदान आदि);
- सभी हितधारक विभागों जैसे शिक्षा, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज स्कीमों /कार्यक्रमों के साथ अभिसरण;
- ग्रामीण विकास विभाग जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के रूप में सभी ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का पुनर्गठन करेगा ताकि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत उनके पास आवश्यक शक्तियां हों;
- सभी जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा 31 दिसंबर 2020 तक कार्यान्वयन सहायता एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा तथा जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा उसका अनुश्रवण किया जाएगा;
- जल आपूर्ति स्कीमों में बिजली शुल्क में कमी;
- वास्तव में इच्छित लाभार्थियों को प्रदान किए गए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों का सत्यापन एवं एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर अपलोड करना; तथा
- जल गुणवत्ता प्रयोगशाला परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त निर्देशों को लागू नहीं किया गया था जो इंगित करता है कि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने परिकल्पित अधिदेश को पूरा नहीं किया था।

---

[1] 28-04-2020 तथा 04-11-2020

(ii) राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों में राज्य तकनीकी एजेंसी द्वारा पुनरीक्षित स्कीमों के अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति की स्थापना भौतिक तथा वित्तीय निष्पादन का अनुरक्षण तथा जल आपूर्ति स्कीमों के प्रबन्धन आदि के लिए प्रावधान है।

राज्य सरकार ने (नवंबर 2010 तथा मई 2020 में पुनर्गठित) राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति का गठन किया जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधान सचिव/सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग/ जल शक्ति विभाग), सदस्य सचिव के रूप में विभाग के प्रमुख अभियंता तथा 12 सदस्य शामिल थे। समिति को वर्ष में कम से कम दो बैठकें करनी अनिवार्य थी। इसने 2016-21 के दौरान आयोजित आठ बैठकों[2] में राज्य में 1717 ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों (अनुमानित लागत: ₹ 5618.28 करोड़) को राज्य तकनीकी एजेंसी द्वारा उनकी तकनीकी व्यवहार्यता सुनिश्चित किए बिना मंजूरी दी, जैसा कि उत्तरवर्ती उप-परिच्छेद में बताया गया है।

(iii) राज्य तकनीकी एजेंसी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में स्रोत स्थिरता तथा कार्य योजनाओं की तैयारी पर जोर देते हुए ठोस तथा लागत प्रभावी मुख्य ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाने तथा डिजाइन बनाने में सहायता के लिए एक राज्य तकनीकी एजेंसी की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्य तकनीकी एजेंसी को क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे मामलों में कार्यक्रम/स्कीम तथा योजना एवं कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति को प्रतिक्रिया देना अपेक्षित था। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अलग-अलग समय पर नामित राज्य तकनीकी एजेंसी का विवरण **तालिका-2.1** में दिया गया है।

तालिका-2.1
जल आपूर्ति स्कीमों के लिए नामित राज्य तकनीकी एजेंसी का विवरण

क्र.सं.	राज्य तकनीकी एजेंसी का नाम (नामित करने का माह)	राज्य तकनीकी एजेंसी की अवधि	बैठकों में भाग लिया
1.	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय (मार्च 2014)	जून 2014 से मई 2015	शून्य
2.	कोई राज्य तकनीकी एजेंसी नहीं	जून 2015 से सितंबर 2015	शून्य
3.	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय (अक्टूबर 2015)	अक्टूबर 2015 से सितंबर 2016	शून्य
4.	कोई राज्य तकनीकी एजेंसी नहीं	अक्टूबर 2016 से जून 2018	शून्य
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर (जुलाई 2018)	जुलाई 2018 से जुलाई 2019	शून्य
6.	कोई राज्य तकनीकी एजेंसी नहीं	अगस्त 2019 से दिसंबर 2019	शून्य
जल जीवन मिशन के दिशानिर्देश (दिसंबर 2019) में राज्य तकनीकी एजेंसी को नामित करने का प्रावधान नहीं है।			

स्रोतः विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

[2] 2016-17 (एक), 2017-18 (एक), 2018-19 (दो), 2019-20 (दो) तथा 2020-21 (दो)।

- राज्य तकनीकी एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, ₹ 5.00 करोड़ तथा उससे अधिक मूल्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राज्य तकनीकी एजेंसी के माध्यम से पुनरीक्षित और संवीक्षित किए जाने की आवश्यकता थी। नमूना-जाँच किए गए सात (20 में से) मण्डलों[3] में ₹ 152.18 करोड़ की कुल लागत की नौ स्कीमें, जिनमें से प्रत्येक की अनुमोदित लागत ₹ 5.00 करोड़ से अधिक थी, स्वीकृत की गई थी (अगस्त 2016 से नवम्बर 2018 के मध्य)। यह पाया गया कि इनमें से कोई भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पुनरीक्षण के लिए राज्य तकनीकी एजेंसी को नहीं भेजी गई थी। इस प्रकार, राज्य तकनीकी एजेंसी की नियुक्ति का उद्देश्य विफल रहा।
- 2016-2018 की अवधि के 21 माह तथा 2019 में पांच माह के दौरान किसी राज्य तकनीकी एजेंसी को नामित नही किया गया था। यहां तक कि जब राज्य तकनीकी एजेंसी को नामित किया गया था, तब भी उनकी सेवाओं का लाभ नहीं उठाया गया, जबकि इस अवधि में 1717 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों को मंजूरी मिली। यह इंगित करता है कि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की योजना/डिजाइनिंग तथा कार्यान्वयन में राज्य तकनीकी एजेंसी की सहायता/प्रतिक्रिया सुनिश्चित नहीं की थी, इस प्रकार उनकी नियुक्ति का उद्देश्य विफल रहा।

  विभाग ने सूचित किया कि भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के एक प्रतिनिधि ने भी जल आपूर्ति स्कीमों के अनुमोदन के लिए आयोजित राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति बैठकों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, राज्य तकनीकी एजेंसी ने भी भाग लिया। तथापि मुद्दा यह है कि राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति ने राज्य तकनीकी एजेंसी द्वारा उनकी व्यवहार्यता तथा पुनरीक्षण सुनिश्चित किए बिना स्कीमों को मंजूरी दी, जिनके पास विस्तृत परियोजना रिपोर्टस कभी भी पुनरीक्षण के लिए नहीं भेजे गए थे।

(iv) जिला जल एवं स्वच्छता मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं का विश्लेषण तथा समेकन करने, जिला जल सुरक्षा योजनाएं तैयार करने, अन्य संबंधित कार्यक्रमों के साथ अभिसरण तथा त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से स्कीमों की प्रगति की स्थिति की समीक्षा करने के लिए जिला स्तर पर, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के गठन का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के

---

[3] धर्मशाला: दो स्कीमें (₹ 19.58 करोड़), झंडूता: एक स्कीम (₹ 5.44 करोड़), कुल्लू-1: एक स्कीम (₹ 16.71 करोड़), हमीरपुर: एक स्कीम (₹ 13.54 करोड़), पालमपुर: एक स्कीम (₹ 25.09 करोड़), सलूणी: एक स्कीम (₹ 34.69 करोड़) तथा थुरल: दो स्कीमें (₹ 37.13 करोड़)।

दिशा-निर्देशों में ग्राम कार्य योजना तैयार करने तथा कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए जिला कार्य योजना को अंतिम रूप देने, भुगतान से पहले कार्यों के निरीक्षण के लिए तीसरे पक्ष को नियुक्त करने तथा मासिक बैठकों के माध्यम से प्रगति की समीक्षा करने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार ने राज्य के सभी 12 जिलों में (नवंबर 2010 तथा मई 2020) जिला जल एवं स्वच्छता मिशनों का गठन किया। मिशनों का नेतृत्व जिला परिषद के अध्यक्ष/संबंधित जिले के उपायुक्त, जिला मुख्यालयों में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डलों के अधिशाषी अभियंता सदस्य सचिव के रूप में तथा आठ विभागों[4] में से प्रत्येक के एक सदस्य द्वारा किया जाता है। यह देखा गया कि:

- जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा आयोजित बैठकों की जानकारी प्रमुख अभियन्ता स्तर पर नहीं रखी गई थी।
- 40 चयनित स्कीमों वाले सभी नौ जिलों में, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन ने दिशानिर्देशों में परिकल्पित कार्यों का निष्पादन नहीं किया था। अप्रैल 2016 तथा मार्च 2021 के बीच आवश्यक 243 बैठकों[5] के प्रति विभिन्न जिला जल एवं स्वच्छता मिशनों की केवल 31 बैठकें[6] (12.76 *प्रतिशत*) हुई थीं। इस प्रकार, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रभावी रूप से समीक्षा नहीं की गई थी। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा नमूना जांच किए गए मण्डलों में स्कीमों के अपर्याप्त अनुश्रवण ने या तो स्कीमों के लंबी अवधि तक अधूरी रहने में योगदान दिया अथवा स्कीमों को देरी से पूरा किया।

(v) ग्राम जल और स्वच्छता समितियां

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में प्रत्येक पंचायत में एक स्थायी समिति के रूप में ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति की स्थापना करने का प्रावधान हैं, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों की योजना, अनुश्रवण, कार्यान्वयन तथा संचालन एवं रखरखाव के लिए ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के छह से 12 निर्वाचित सदस्य तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाली महिलाएं तथा गांव के गरीब वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में 50% महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व देते हुए 10-15 सदस्य शामिल करने का प्रावधान है।

---

4 जिला कार्यकारी अधिकारी - जिला परिषद/ जिला विकास अधिकारी, मण्डलीय वन अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी कार्यक्रम/में परियोजना निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, अधिशाषी अभियंता, जिला कृषि अधिकारी तथा जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी

5 अप्रैल 2016 से मार्च 2020: 144 बैठकें (प्रत्येक जिला जल एवं स्वछता मिशन द्वारा त्रैमासिक बैठक) और मई 2020 से मार्च 2021 तक: 99 बैठकें (प्रत्येक जिला जल एवं स्वछता मिशन द्वारा मासिक बैठक)

6 बिलासपुर-2, चम्बा-1; हमीरपुर-1; काँगड़ा-4; केलोंग-1; कुल्लू- 8; मण्डी-11; रिकोंगपिओ-1; शिमला-2

लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2021 तक राज्य में 3,615 ग्राम पंचायतों में से 3,213 ग्राम पंचायतों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की स्थापना की गई थी। सभी चयनित नौ जिला जल एवं स्वच्छता समितियों के गठन में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व पाया गया था। तथापि, 20 नमूना-जांच किए गए मण्डलों में, 2016-21 के दौरान किसी भी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति ने ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों का आयोजन, अनुश्रवण, कार्यान्वयन तथा संचालन एवं रखरखाव सहित गतिविधियों में भाग नहीं लिया था।

अन्तिम सम्मेलन (दिसम्बर 2022) में विभाग ने भविष्य में ग्राम स्तर पर समुदायों की भागीदारी का आश्वासन दिया। विभाग ने यह भी कहा कि पंचायती राज संस्थाओं/समुदायों को विभाग द्वारा परिसंपत्तियां सौंपने के बाद ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की स्थापना की जाएगी।

भाग-II योजना

जल आपूर्ति स्कीमों की निचले स्तर से योजना एवं निष्पादन दृष्टिकोण तथा सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं के अनुसार दीर्घकालिक विस्तृत जल सुरक्षा योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं। अन्य कार्यक्रमों/स्कीमों के साथ कोई अभिसरण प्रदान नहीं किया गया था तथा प्रबंधन और संवर्धन के लिए 2016-21 के दौरान समुदायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को कोई जल आपूर्ति स्कीम हस्तांतरित नहीं की गई थी।

2.2 विस्तृत जल सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम दिशा-निर्देशों (2013) में विभाग द्वारा कार्यक्रमों/स्कीमों को एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए पांच वर्ष की विस्तृत जल सुरक्षा कार्य योजना तैयार करने तथा प्रत्येक ग्रामीण गृहवासी को पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में हुई प्रगति का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने का प्रावधान है। साथ ही ग्रामीण पाइप जलापूर्ति स्कीमों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की नियमावली के अनुच्छेद 8.5 में जल पुनर्भरण की उपलब्धता, संरक्षण उपायों, पेयजल सुरक्षा आदि की उपलब्धता का ब्यौरा देते हुए ग्राम जल सुरक्षा योजना[7] तैयार करने का प्रावधान है। ऐसी योजना की एक प्रति विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ संलग्न करना भी अपेक्षित था। जल जीवन मिशन के 2019 में तैयार दिशानिर्देशों का उद्देश्य 2024 तक 100 *प्रतिशत* कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- विभाग ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में परिकल्पित दिशा-निर्देशों के अनुसार पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए 2016-19 के दौरान कोई पंचवर्षीय विस्तृत जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं की थी। योजनाओं के अभाव में, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति प्रदान करने में राज्य द्वारा की गई प्रगति का अनुश्रवण पर्याप्त नहीं था।

[7] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 13 के अनुसार ग्राम समुदाय द्वारा तैयार की गई एक योजना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जनसांख्यिकीय, भौतिक विशेषताएं, जल स्रोत तथा गांव के अन्य विवरण शामिल होंगे।

- लेखापरीक्षा में विश्लेषित 55 चयनित स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स के साथ ग्राम जल सुरक्षा योजनाएं संलग्न नहीं पायी गयीं। यह देखा गया कि ग्राम समुदायों द्वारा पेयजल सुरक्षा, संरक्षण उपायों, जल पुनर्भरण की उपलब्धता आदि का विवरण देने वाले ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार नहीं किया गया था। विभाग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स तैयार करने में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की थी। 40 पूर्ण स्कीमों के 1,109 लाभार्थियों के सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि 26 *प्रतिशत* लाभार्थी जल सुरक्षा से संतुष्ट नहीं थे। इसके अतिरिक्त, 18 नमूना-जांचित मण्डलों में 167 (498 में से) स्कीमों, जिन पर ₹ 160.03 करोड़ का व्यय किया गया था, पूर्ण होने की निर्धारित अवधि एक से 47 माह पीछे चल रही थी।

इस प्रकार, विभाग अपेक्षित स्तरों पर भागीदारी के साथ जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करने में विफल रहा जोकि वास्तविक आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के किसी भी आकलन के बिना तैयार की जा रही स्कीमों का सूचक था।

जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता ने कहा (जुलाई 2022) कि विभाग ने विस्तृत जल सुरक्षा योजनाएं तैयार नहीं की थी। उत्तर, विस्तृत जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं करने के कारणों की व्याख्या नहीं करता।

2.3 ग्राम कार्य योजनाएं

जल जीवन मिशन दिशनिर्देशों के अनुच्छेद 3.6 के अनुसार, कार्यान्वयन सहायता एजेंसी[8] (जल शक्ति विभाग तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन) के सहयोग से ग्राम पंचायत अथवा इसकी उप-समिति यानि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह इत्यादि द्वारा एक ग्राम कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता थी। बेसलाइन सर्वेक्षण, संसाधन मानचित्रण तथा ग्रामीण समुदाय की महसूस की गई आवश्यकताओं (गांव में जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना, लोगों की क्षमता सहित नकदी/वस्तु तथा/अथवा श्रम में आंशिक पूंजी लागत के लिए योगदान करने की इच्छा तथा परिचालन एवं रखरखाव, आदि के लिए नियमित योगदान) पर आधारित ग्राम कार्य योजना को आगे की कार्रवाई के लिए जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को प्रस्तुत करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी नमूना जांच किए गए मण्डलों में 2016-21 के दौरान ग्राम पंचायतों अथवा इसकी उप-समितियों द्वारा ग्राम कार्य योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। इसलिए, पूर्व-अपेक्षाएं सुनिश्चित नहीं होने के कारण कई स्कीमें रुकी हुई थीं।

---

[8] कार्यान्वयन सहायता एजेंसी गांवों में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे की योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन एवं रखरखाव के लिए समुदायों को जुटाने तथा संलग्नित करने में सहायता करता है।

2.4 अन्य कार्यक्रमों/ स्कीमों के साथ अभिसरण

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/ जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों/स्कीमों के साथ अभिसरण का प्रावधान है। जलभृत पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, जल निकायों की भंडारण क्षमता में वृद्धि, जलाशय, गाद निकालने, बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं, वाटरशेड प्रबंधन, जल संरक्षण आदि जैसे स्रोत स्थिरता उपाय अभिसरण के माध्यम से किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी नमूना-जाँच किए गए मण्डलों में, मनरेगा के अंतर्गत स्कीमों के निष्पादन के लिए श्रम की सेवाओं का उपयोग करने में विभाग की मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित अन्य कार्यक्रमों/स्कीमों के साथ कोई अभिसरण प्रदान नहीं किया गया था।

2.5 पंचायती राज संस्थाओं को पेयजल व्यवस्था का हस्तान्तरण

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/ जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों में समुदायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणाली के हस्तांतरण का प्रावधान किया गया हैं ताकि समुदाय जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने तथा उनका प्रबंधन कर सके। वर्ष 2016-21 के दौरान सभी नमूना जांच किए गए मण्डलों में प्रबंधन तथा संवर्धन के लिए समुदायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को कोई जलापूर्ति स्कीम हस्तांतरित नहीं की गई थी।

निष्कर्ष

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति, राज्य तकनीकी एजेंसी, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के रूप में संस्थागत तंत्र गैर-कार्यात्मक था तथा इसलिए नीतिगत मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता तथा अनुश्रवण के लिए अप्रभावी था। योजना, कार्यान्वयन तथा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में निर्णय लेने में परिकल्पित सामुदायिक भागीदारी प्राप्त नहीं की गई थी। इससे स्कीमों के पूरा होने तथा क्षमता बढ़ाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अगले अध्यायों में चर्चा की गई है कि कैसे अधिकांश स्कीमें भूमि एवं लाभार्थी योगदान की कमी के कारण अपूर्ण पड़ी थी तथा पूर्ण स्कीमों में खराब पैठ और सामुदायिक स्वामित्व की कमी थीं।

सिफारिशें

सरकार इन पर विचार कर सकती है:

(i) जल आपूर्ति स्कीमों की योजना एवं कार्यान्वयन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा नियमित रूप से स्कीमों की योजना एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करना। इस प्रक्रिया में एजेंसियों की तकनीकी सहायता सुनिश्चित करना।

(ii) *जल आपूर्ति स्कीमों की योजना एवं निष्पादन में निचले स्तर से दृष्टिकोण तथा सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं के आधार पर दीर्घकालिक विस्तृत जल सुरक्षा योजना तैयार करना।*

अध्याय-III

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय-III

वित्तीय प्रबंधन

3.1 निधियन स्वरूप तथा निधियों का प्रवाह

निधियां पेयजल आपूर्ति स्कीमों के लिए मुख्यत: भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/ जल जीवन मिशन (90:10 के अनुपात में भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच हिस्सेदारी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ऋण द्वारा राज्य सरकार और अन्य राज्य स्कीमों (ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति स्कीमों) के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाती हैं। निधियां राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/ जल जीवन मिशन और अन्य राज्य स्कीमों के अंतर्गत राज्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से भेजी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, निधियां प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त स्कीमों, यदि कोई हो, के पुनर्स्थापन के लिए संबंधित जिले के उपायुक्तों द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि/ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत भी सीधे जल शक्ति विभाग के मंडलों को उपलब्ध करवाई जाती हैं।

राज्य में पेयजल स्कीमों का वित्तीय प्रबंधन अकुशल एवं अमितव्ययी था। स्वीकृत स्कीमों के लिए निधियों की उपलब्धता को कम करते हुए निधियों का अन्यत्र व्यपवर्तन तथा अतिरिक्त व्यय किया गया। नमूना-जांचित मंडलों में कोषागार से आहरित तथा उपायुक्तों और अन्य मंडलों से प्राप्त ₹ 35.79 करोड़ की निधियां 10 से 79 माह तक अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। चूंकि समुदायों को स्कीमों में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया था, इसलिए परिकल्पित सामुदायिक स्वामित्व घटित नहीं हुआ था।

3.2 बजट आवंटन और व्यय

वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य में जलापूर्ति स्कीमों के लिए बजट आबंटन एवं उस पर किए गए व्यय का ब्यौरा **तालिका-3.1** और **तालिका-3.2** में दिया गया है।

तालिका-3.1

2016-21 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित जल आपूर्ति स्कीमों के लिए बजट तथा व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कार्यक्रम का नाम	बजट			व्यय		
		भारत सरकार	राज्य	कुल	भारत सरकार	राज्य	कुल
2016-17	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	85.80	44.72	130.52	64.34	42.91	107.25
2017-18	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	124.36	35.27	159.63	142.01	35.45	177.46
2018-19	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	81.25	26.06	107.31	89.64	26.52	116.16
2019-20	जल जीवन मिशन	200.83	15.93	216.76	200.83	15.93	216.76
2020-21	जल जीवन मिशन	319.98	41.95	361.93	307.24	40.48	347.72
कुल		**812.22**	**163.93**	**976.15**	**804.06**	**161.29**	**965.35**

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

तालिका-3.2

2016-21 के दौरान राज्य जल आपूर्ति स्कीमों के लिए बजट तथा व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट				व्यय			
	ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम		शहरी जल आपूर्ति स्कीम	कुल	ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम		शहरी	कुल
	राज्य	नाबार्ड			राज्य	नाबार्ड		
2016-17	54.29	114.02	21.00	189.31	53.86	114.03	21.00	188.90
2017-18	57.06	135.35	37.95	230.36	56.97	135.37	37.95	230.29
2018-19	62.14	121.56	71.82	255.52	62.17	121.55	71.82	255.54
2019-20	75.41	142.64	56.99	275.04	74.57	138.85	56.91	270.32
2020-21	182.48	167.11	45.00	394.59	232.01	156.98	44.31	433.30
कुल	**431.38**	**680.68**	**232.76**	**1344.82**	**479.58**	**666.78**	**231.99**	**1378.35**

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि बुक किए गए व्यय के आंकड़े केवल राजकोष से आहरित राशि को दर्शाते हैं और वास्तव में निष्पादित जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यों पर व्यय नहीं किया गया है। कुछ नमूना-जांचित मण्डलों में बहुत मात्रा में राशि अव्ययित रही, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.3 वास्तव में निष्पादित नहीं किए गए कार्यों के लिए आहरित निधियां

नमूना-जांचित सात[1] (20 में से) मण्डलों में, 2016-21 के दौरान ₹ 257.52 करोड़ के कुल व्यय में से अधिशाषी अभियन्ताओं ने 2016-20 के दौरान समेकित निधि से ₹ 17.74 करोड़ आहरित किए थे और इसे 39 जल आपूर्ति स्कीमों[2] पर अंतिम व्यय के रूप में दिखाया था, जो वास्तव में निष्पादित नहीं की गई थीं और राशि को निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत रखा गया था। इसमें से ₹ 7.54 करोड़[3] का व्यय कार्यों के निष्पादन के लिए बाद के वर्षों में किया गया था और शेष ₹ 10.20 करोड़[4] अगस्त 2021 से फरवरी 2022 तक निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत 20 से 80 माह से अधिक समय तक अव्ययित पड़े थे।

इन निधियों का इनकी वास्तविक आवश्यकता के बिना आहरित करना हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम, 2017 के नियम 183, जिसमें प्रावधान है कि कोषगार से कोई भी राशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि इसका तत्काल संवितरण करना आवश्यक न हो, के विरूद्ध था।

सचिव ने अंतिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान सूचित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निधियों का प्रवाह किया जाता है, ऐसे में अग्रिम में निधियों को आहरित करने और निक्षेप शीर्ष में रखने की प्रथा को अब बंद कर दिया गया है। तथापि,

---

1 चम्बा: ₹ 4.28 करोड़ (मार्च 2015 और मार्च 2020), डलहौज़ी: ₹ 1.33 करोड़ (मार्च 2018 और मार्च 2019), धर्मशाला: ₹ 0.94 करोड़ (मार्च 2018), हमीरपुर: ₹ 8.03 करोड़ (मार्च 2017, मार्च 2018 और मार्च 2020), काज़ा: ₹ 0.45 करोड़ (मार्च 2019), पालमपुर: ₹ 0.80 करोड़ (मार्च 2018) और थुरल: ₹ 1.91 करोड़ (मार्च 2018)।

2 पूर्ण स्कीमें: 24 और अपूर्ण स्कीमें: 15

3 चम्बा: ₹ 3.10 करोड़, डलहौज़ी: ₹ 0.70 करोड़, धर्मशाला: ₹ 0.59 करोड़, हमीरपुर: ₹ 2.20 करोड़, पालमपुर: ₹ 0.52 करोड़ और थुरल: ₹ 0.43 करोड़।

4 चम्बा: ₹ 1.18 करोड़, डलहौज़ी: ₹ 0.63 करोड़, धर्मशाला: ₹ 0.34 करोड़, हमीरपुर: ₹ 5.83 करोड़, काज़ा: ₹ 0.45 करोड़, पालमपुर: ₹ 0.28 करोड़ और थुरल: ₹ 1.49 करोड़।

तथ्य यह है कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली केवल जल जीवन मिशन पेयजल स्कीमों के लिए लागू है तथा राज्य द्वारा अनुमोदित स्कीमों के लिए लागू नहीं है। इसलिए, लेखापरीक्षा का मानना है कि जल जीवन मिशन स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध प्रतिबन्ध राज्य स्कीमों के लिए प्रयुक्त नहीं होगें।

3.4 अप्रयुक्त निधियां

संबंधित उपायुक्तों और अन्य मण्डलों द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि/ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष रुप से प्राप्त निधियां क्षतिग्रस्त स्कीमों के पुनर्स्थापन के कार्यों पर व्यय की जानी अपेक्षित थी। प्राप्त/व्ययित निधियां और अवधि जबसे अव्ययित पड़ी हैं का विवरण **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका-3.3

प्राप्त/व्ययित निधियां तथा अवधि जबसे अव्ययित पड़ी है का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	एजेंसी जिससे निधियां प्राप्त हुई	मण्डलों की संख्या	प्राप्ति का माह/वर्ष	स्कीमों की संख्या जिनके लिए निधियां प्राप्त हुई	प्राप्त निधियां	किया गया व्यय	शेष	अवधि जबसे निधियां अप्रयुक्त पड़ी रही
1.	उपायुक्त	04	जुलाई 2015 तथा मार्च 2021 के मध्य	60	3.33	0.04	3.29	10 से 79 माह
2.	नगर परिषद्		जनवरी 2015 तथा जून 2020 के मध्य	03	54.36	38.57	15.79	13 से 78 माह
3.	अन्य मण्डल		मार्च 2018 तथा जुलाई 2019 के मध्य	04	0.72	0.11	0.61	28 से 95 माह
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	02	अगस्त 2013 तथा मार्च 2019 के मध्य	एकमुश्त आधार	5.12	2.35	2.77	31 से 55 माह
5.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	04	सितम्बर 2016 तथा मार्च 2021 के मध्य	एकमुश्त आधार	4.93	1.80	3.13	सात से 58 माह
	कुल	**10**			**68.46**	**42.87**	**25.59**	

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

- चार नमूना-जांचित मण्डलों[5] में, संबंधित अधिशाषी अभियंता ने, 67 जल आपूर्ति स्कीमों के निष्पादन के लिए विभिन्न एजेंसियों (उपायुक्त, नगर परिषद और अन्य मण्डलों) से प्राप्त ₹ 58.41 करोड़ के प्रति, अगस्त 2021 से जनवरी 2022 तक ₹ 38.72 करोड़ का व्यय किया

[5] झण्डुता: जल शक्ति विभाग मण्डल घुमारवीं से ₹ 0.70 करोड़, कुल्लू-I: उपायुक्त कुल्लू (₹ 0.12 करोड़) तथा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू (₹ 54.36 करोड़) से ₹ 54.48 करोड़, पालमपुर: ₹ 1.56 करोड़ तथा थुरल: उपायुक्त कांगड़ा (₹ 1.65 करोड़) तथा लोक निर्माण विभाग मण्डल जयसिंहपुर (₹ 0.02 करोड़) से ₹ 1.67 करोड़।

और ₹ 19.69 करोड़ 10 से 79[6] माह से निक्षेप शीर्ष में पड़े थे। निधियों की उपलब्धता के बावजूद, स्कीमों/कार्यों को लंबे समय तक पूरा नहीं किया गया, इस प्रकार लाभार्थियों को अभिप्रेत लाभों से वंचित कर दिया गया। संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं ने कहा (अगस्त 2021 से फरवरी 2022) कि कार्य प्रगति पर हैं और निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत राशि का कार्यों के बिल प्राप्त होने पर उपयोग किया जाएगा।

- दो नमूना-जांचित मण्डलों (केलांग और मण्डी) में, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत स्कीमों के निष्पादन के लिए ₹ 5.12 करोड़ (केलांग: अगस्त 2013-मार्च 2019 के दौरान प्राप्त ₹ 1.27 करोड़ तथा मण्डी: मार्च 2018 के दौरान प्राप्त ₹ 3.85 करोड़) एकमुश्त आधार पर प्राप्त हुए थे और निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत रखे गए थे। अधिशाषी अभियंताओं ने जुलाई 2021 और अक्टूबर 2021 तक ₹ 2.35 करोड़ (केलांग: ₹ 0.03 करोड़ एवं मण्डी: ₹ 2.32 करोड़) का व्यय किया था। संबंधित मण्डलों ने 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम स्कीम बंद होने के बावजूद निक्षेप शीर्ष में पड़ी राशि का अभ्यर्पण नहीं किया था।
- चार नमूना-जांचित मण्डलों में, वर्षा एवं सर्दी के मौसम के दौरान क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति स्कीमों के पुनर्स्थापन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया/ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधियों के प्रति, ₹ 4.93 करोड़[7] (शिमला मण्डल नंबर 1 से: ₹ 2.62 करोड़ एवं उपायुक्तों से ₹ 2.31 करोड़) प्राप्त हुए थे। संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं ने ₹ 1.80 करोड़ व्यय किए थे और निक्षेप शीर्ष में ₹ 3.13 करोड़[8] जुलाई से दिसंबर 2021 तक अव्ययित पड़े थे। तथापि, जल आपूर्ति स्कीमों को अस्थायी रूप से पुनर्स्थापित कर दिया गया था, लेकिन वे लेखापरीक्षा की तिथि तक अपूर्ण पड़ी थी। यह इंगित करता है कि क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति स्कीमों के पुनर्स्थापन के लिए निधियों को लंबे समय तक (सात से 58 माह) अप्रयुक्त रखा गया, जिससे अभिप्रेत लाभार्थियों को तत्काल राहत प्रदान करने का उद्देश्य विफल हो गया। संबंधित मण्डलों के अधिशाषी अभियन्ताओं ने कहा (अगस्त 2021 से जनवरी 2022) कि कोडल औपचारिकताओं (अनुमान तैयार करना, निविदा प्रक्रिया, स्थानीय विवाद, ठेकेदारों द्वारा विलम्ब इत्यादि) को पूरा न करने के कारण राशि प्रयुक्त नहीं की जा सकी।

3.5 निधियों का विचलन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 14 में प्रावधान है कि व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए निधियां प्रदान की गई है। नाबार्ड के अंतर्गत निधियों को ग्रामीण जल-आपूर्ति स्कीमों के लिए स्वीकृत तथा प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के

[6] जल आपूत्ति स्कीम मनाली शहर का आवर्धन (79 माह का विलम्ब) तथा जल आपूर्ति स्कीम कुल्लू शहर का आवर्धन (₹ 7.82 करोड़ की अधिकतम अप्रयुक्त राशि)।

[7] केलांग: ₹ 1.91 करोड़, कुल्लू-I: ₹ 0.35 करोड़, मण्डी: ₹ 2.62 करोड़ तथा पालमपुर: ₹ 0.05 करोड़।

[8] केलांग: ₹ 1.31 करोड़; कुल्लू-I: ₹ 0.24 करोड़, मण्डी: ₹ 1.53 करोड़ तथा पालमपुर: ₹ 0.05 करोड़।

परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.10 के अनुलग्नक-IV के अनुसार निधियों का भूमि, वाहनों के क्रय, कार्यालय/आवासीय भवनों के निर्माण/नवीकरण/मरम्मत, राज्य की अन्य स्कीमों इत्यादि के लिए विचलन नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देश कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र से बाहर निधियों का विचलन करना निषेध हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुछ नमूना-जांचित मण्डलों ने **तालिका-3.4** में दिए गए विवरण के अनुसार कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र से बाहर नाबार्ड, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का विचलन किया था।

तालिका 3.4

कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र से बाहर निधियों के विचलन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	एजेंसी जिससे निधियां प्राप्त हुई	उद्देश्य	मण्डलों की संख्या	निधियों का विचलन		स्कीमों की संख्या जिनको निधियों का विचलन किया गया
				माह/वर्ष	राशि	
1.	नाबार्ड	पेयजल आपूर्ति स्कीमों के लिए	01	मार्च 2020	1.10	01 (शहरी)
2.	जल जीवन मिशन		05	दिसम्बर 2019 और जनवरी 2021 के मध्य	4.87	93 (जल जीवन मिशन के अंतर्गत अनुमोदित नहीं)
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम		01	अक्टूबर 2019 और अक्टूबर 2020 के मध्य	1.01	13 (उठाऊ सिंचाई स्कीम/ प्रवाह सिंचाई स्कीम, शहरी जल आपूर्ति स्कीम, आवासीय/सरकारी भवन, सीवरेज़ स्कीमें, आदि)
कुल			**07**		**6.98**	

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

- कुल्लू मण्डल नंबर I में अधिशाषी अभियन्ता ने नाबार्ड निधि के ₹ 1.10 करोड़ अनियमित रूप से 'मनाली शहर की जल आपूर्त्ति स्कीम के संवर्धन' के निर्माण के लिए विचलन किया था, जिसे आरम्भ में गांवों के समूह (फाट्टी पीज, खराहल बल्ह, बनहार, खरियार, आदि) को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम उपलब्ध करवाने की स्वीकृति दी गई थी (अक्तूबर 2014)। संबंधित अधिशाषी अभियन्ता ने (अगस्त 2021) कहा कि भविष्य में निधियों का सुधार कर लिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नाबार्ड निधियों को शहरी जल आपूर्ति स्कीम में विचलन और उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था।

- पांच मण्डलों[9] में, अधिशाषी अभियन्ताओं ने जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 93 अन्य राज्य स्कीमों[10] के लिए ₹ 4.87 करोड़ की जल जीवन मिशन निधियों का विचलन किया था।
- रामपुर मण्डल में अधिशाषी अभियन्ता ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 1.01 करोड़ की राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि को 13 अन्य स्कीमों (उठाऊ /प्रवाह सिंचाई स्कीम, शहरी जल आपूर्ति स्कीम, आवासीय/सरकारी भवन, सीवरेज स्कीमें इत्यादि) के लिए विचलन किया था।

3.6 समुदायों द्वारा पूंजीगत लागत के हिस्से का योगदान न करना

जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के परिच्छेद 6.1.2 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत तथा/अथवा इसकी उप-समिति अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह इत्यादि द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले गांव में पाइप से जलापूर्ति अवसंरचना तथा संबंधित स्त्रोत के विकास के लिए समुदाय पहाड़ी और वनाच्छादित क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में नकद तथा/ अथवा अन्य प्रकार तथा/ अथवा श्रम में पूंजीगत लागत के 5 *प्रतिशत* का योगदान देंगें। गांव के अवसंरचना सृजन के लिए नकद में किए गए सामुदायिक अंशदान को ग्राम पंचायत तथा/ अथवा इसकी उप-समिति अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि के संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाएगा, जिसे किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास खोला जा सकता है। इस खाते को ग्राम पंचायत तथा/ अथवा उसकी उप-समिति अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि के अध्यक्ष तथा संबंधित पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाना था। सामुदायिक अंशदान (गांव के भीतर अवसंरचना सृजन के लिए), प्राप्त प्रोत्साहन तथा परिचालन एवं रखरखाव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृहवासियों द्वारा प्रदत्त उपयोगकर्ता शुल्क के लिए पृथक बहीखाते बनाने थे। सामुदायिक अंशदान का भुगतान जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तय की गई एजेंसी/ विक्रेता को किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- विभाग ने राज्य स्तर पर सामुदायिक अंशदान के संग्रहण और जल आपूर्ति स्कीमों के सामुदायिक स्वामित्व से संबंधित अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया था।
- दो (20 में से) नमूना-जांचित मण्डलों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल आपूर्ति स्कीम की कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित नहीं की गई थी। शेष 18 नमूना-जांचित मण्डलों में

---

[9] बग्गी: ₹ 1.58 करोड़, बिलासपुर: ₹ 0.86 करोड़, कुल्लू-1: ₹ 0.47 करोड़, मतियाना: ₹ 1.65 करोड़ तथा रामपुर: ₹ 0.31 करोड़।

[10] पुरानी स्कीमों की मुरम्मत एवं रखरखाव (65 कार्य: ₹ 2.08 करोड़), अनुसूचित जाति उप योजना (पांच स्कीमें: ₹ 0.12 करोड़), नाबार्ड (पांच स्कीमें: ₹ 0.39 करोड़), प्रवाह सिंचाई स्कीम/ उठाऊ सिंचाई स्कीमें (चार स्कीमें: ₹0.06 करोड़), शहरी जल आपूर्ति स्कीम (पांच स्कीमें: ₹ 0.09 करोड़), आवासीय भवन (पांच कार्य: ₹ 0.07 करोड़), विद्युत आपूर्ति (तीन स्कीमें: ₹ 0.47 करोड़) तथा कार की मुरम्मत (एक मामला: ₹ 0.01 करोड़)।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 11,074 बस्तियों को आवृत करने के लिए विभाग द्वारा (सितम्बर 2019 तथा मार्च 2021 के मध्य) 410 जलापूर्ति स्कीमों को ₹ 1,151.56 करोड़ की अनुमानित लागत से अनुमोदित किया गया था। तथापि, समुदायों ने जून 2021 से फरवरी 2022 तक दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 57.58 करोड़ (अनुमानित लागत के पांच प्रतिशत की दर से) के अंश का योगदान नहीं किया था, जिसका विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5
जल जीवन मिशन के अंतर्गत सितंबर 2019 से मार्च 2021 के दौरान स्वीकृत स्कीमों के लिए समुदायों द्वारा नहीं दिए गए पूंजीगत लागत अंशदान का विवरण
(स्कीमों तथा बस्तियाँ संख्या में और अनुमानित लागत तथा अंशदान ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मण्डल	स्कीमें	अनुमानित लागत	बस्तियां	समुदायों से प्राप्त किया जाने वाला अंशदान (पाँच *प्रतिशत*)
1.	बग्गी	31	58.21	939	2.91
2.	भोरंज	5	51.42	296	2.57
3.	बिलासपुर	15	95.37	570	4.77
4.	चम्बा	33	12.68	1546	0.63
5.	चौंतड़ा	9	66.65	368	3.33
6.	धर्मशाला	12	25.88	173	1.29
7.	झण्डुता	10	115.18	664	5.76
8.	काज़ा	44	11.59	57	0.58
9.	केलांग	9	2.79	177	0.14
10.	कुल्लू 1	52	90.17	693	4.51
11.	मण्डी	13	81.17	321	4.06
12.	मतियाना	9	147.62	1470	7.38
13.	पालमपुर	25	132.36	370	6.62
14.	रामपुर	83	45.54	541	2.28
15.	रिकांगपिओ	11	6.35	24	0.32
16.	सलूणी	6	19.84	585	0.99
17.	शिमला	11	87.91	1732	4.40
18.	थुरल	32	100.83	548	5.04
कुल		**410**	**1151.56**	**11074**	**57.58**

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

स्कीमों के स्थान जैसे महत्वपूर्ण निर्णय में लाभार्थी समुदायों की कोई भागीदारी नहीं थी। विभाग अनुमानित लागत के पांच *प्रतिशत* का अंशदान प्राप्त न करके स्थानीय समुदाय के बीच स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देने तथा इसे सुनिश्चित करने में विफल रहा। सामुदायिक योगदान सुनिश्चित न करने से विभाग, जल आपूर्ति स्कीमों के संचालन और रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी/ स्वामित्व सुनिश्चित करने में असमर्थ रहा।

अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान सचिव ने कहा कि गांव की अवसंरचना की लागत का आकलन करने के बाद, यह निर्णय लिया गया और अधिसूचित किया गया कि सामुदायिक योगदान के रूप में प्रत्येक गृहवासी से ₹ 100/- की राशि एकत्रित की जाएगी तथा इस राशि को गृहवासियों से

वसूल किया जा रहा है। तथापि, वसूली के लिए ऐसा कोई आदेश जैसा कि कहा गया है, लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में नहीं आया।

अनुबंध मांग/ अनुबंध मांग उल्लंघन प्रभारों में संशोधन न किए जाने तथा शून्य उपभोग के लिए ऊर्जा प्रभारों के भुगतान से ₹ 1.79 करोड़ के ऊर्जा प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

3.7 ऊर्जा प्रभारों का भुगतान

(i) मांग प्रभारों और अनुबंध मांग उल्लंघन प्रभारों का परिहार्य भुगतान

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के टैरिफ की सामान्य शर्तों के अनुसार, "दो भाग टैरिफ के अंतर्गत उपभोक्ता, जिनकी ऊर्जा उपभोग का रूपये प्रति केवीएएच (किलो वॉल्ट एम्पीयर आवर) में बिल दिया/प्रभारित किया जाता है, को केवीएएच प्रभारों के अतिरिक्त, भाग-III के अनुसार 'डिमांड चार्ज' (रुपये/वीए/माह में) भी वसूला जाएगा। माह के किसी भी निरन्तर 30 मिनट ब्लॉक अवधि के दौरान ऊर्जा मीटर पर दर्ज वास्तविक अधिकतम मांग (केवीए में) अथवा अनुबंध मांग के 90 *प्रतिशत* (केवीए में), जो भी अधिक हो, लेकिन वर्तमान में लागू अनुबंध मांग की सीमा तक गणना की जाती है। यदि किसी निरन्तर 30 मिनट की ब्लॉक अवधि के दौरान ऊर्जा मीटर पर दर्ज की गई वास्तविक अधिकतम मांग अनुबंध मांग से अधिक है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड जिस सीमा तक उल्लंघन अनुबंध मांग से अधिक हुआ है ऐसी घटना में एक दर पर जो मांग शुल्क की दर से तीन गुना होगी, अनुबंध मांग उल्लंघन प्रभार लगाता है। इसके अतिरिक्त, अनुबंध मांग को वर्ष में दो बार संशोधित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- सात नमूना-जांचित मण्डलों में, मार्च 2018 से अक्टूबर 2021 (लेखापरीक्षा की तिथि तक) के दौरान 10 उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमों के बिजली मीटरों की अभिलेखित मांग अनुबंध मांग की तुलना में बहुत कम थी, जहां मण्डलों को अनुबंध मांग के 90 *प्रतिशत* की दर से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को मांग प्रभारों का भुगतान करना पड़ा। संबंधित मण्डलों के अधिशाषी अभियन्ताओं ने वास्तविक उपयोग के चलन के अनुसार अनुबंध मांग को संशोधित/कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ मामला नहीं उठाया था। यदि वास्तविक उपभोग के चलन के अनुसार संविदा मांग को कम किया गया होता, तो इस अवधि के दौरान ₹ 0.94 करोड़ के भुगतान से बचा जा सकता था जैसा कि **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका-3.6

मांग प्रभारों के परिहार्य भुगतान जहां अभिलेखित मांग अनुबंध की मांग से कम है का विवरण

क्रम सं.	मण्डल का नाम	स्कीमों की संख्या	अनुबंध मांग (केवीए में)	अभिलेखित मांग की सीमा (केवीए में)	अवधि	परिहार्य भुगतान (₹ लाख में)
1.	भोरंज	1	66.41	23 से 36.5 तक	मई 2019 से सितम्बर 2021	1.50
2.	बिलासपुर	1	920	319.35 से 444.78 तक	फरवरी 2020 से मार्च 2021	13.61
3.	डलहौज़ी	1	889	171 से 332 तक	मार्च 2018 से जुलाई 2021	58.97
4.	धर्मशाला	1	88	30.39 से 30.75 तक	जून 2019 से सितम्बर 2020	2.34
5.	हमीरपुर	4	1220	880 से 997.3 तक	मार्च 2020 से अक्टूबर 2021	4.43
			80	0.037 से 24.763 तक	जनवरी 2019 से अक्टूबर 2021	3.78
			106	18.208 से 39.796 तक	जनवरी 2019 से अक्टूबर 2021	4.82
			67	24 से 29 तक	मार्च 2020 से अक्टूबर 2021	1.80
6.	मण्डी	1	292	0 से 143.089 तक	फरवरी 2020 से सितम्बर 2021	2.14
7.	सलूणी	1	37	5 से 21.3 तक	जुलाई 2018 से सितम्बर 2021	0.35
कुल		**10**				**93.74**

स्रोत: ऊर्जा बिल और विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

- छः मण्डलों[11] (20 में से) में, दिसंबर 2017 और मार्च 2021 के मध्य की अवधि के दौरान 10 उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमों के संबंध में दर्ज की गई मांग अनुबंध मांग से अधिक थी। संबंधित मण्डलों के अधिशाषी अभियन्ताओं ने वास्तविक उपयोग के अनुसार अनुबंध मांग को संशोधित करने के लिए कार्रवाई नहीं की थी जिसके कारण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को ₹ 0.64 करोड़ के अनुंबध मांग उल्लंघन प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ जैसा कि **तालिका-3.7** में विवरण दिया गया है।

[11] बग्गी, भोरंज, बिलासपुर, हमीरपुर, मण्डी तथा रामपुर।

तालिका 3.7

मांग प्रभारों के परिहार्य भुगतान का विवरण जहां दर्ज की गई मांग अनुबंध मांग से अधिक है

क्रम सं.	मण्डल का नाम	स्कीमों की संख्या	अनुबंध मांग (केवीए में)	अभिलेखित मांग की सीमा (केवीए में)	अवधि	परिहार्य भुगतान (₹ लाख में)
1.	बग्गी	1	30	71 से 88.1 तक	नवम्बर 2019 से नवम्बर 2020	0.94
		1	60	122.6 से 157.3 तक	नवम्बर 2018 से फरवरी 2021	3.19
2.	भोरंज	1	80	109.6 से 148 तक	मई 2019 से मार्च 2021	5.88
		1	67	80.6 से 91.6 तक	जून 2019 से मार्च 2021	1.37
3.	बिलासपुर	1	108	113.6 से 126 तक	फरवरी 2020 से फरवरी 2021	0.88
		1	29.84	42 से 47.2 तक	अप्रैल 2020 से फरवरी 2021	0.97
4.	हमीरपुर	1	50	80.32 से 84.98 तक	दिसम्बर 2019 से मार्च 2021	0.69
		1	94	117 से 126 तक	अप्रैल 2020 से मार्च 2021	1.12
5.	मण्डी	1	75	118 से 157.6 तक	मई 2020 से मार्च 2021	4.29
6.	रामपुर	1	814	732 से 1096 तक	दिसम्बर 2017 से मार्च 2021	44.39
कुल		**10**				**63.72**

संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं ने बताया (सितंबर 2021 और मार्च 2022 के मध्य) कि अनुबंध मांग के संशोधन का मामला हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ उठाया जाएगा। तथापि, तथ्य यह है कि अधिशाषी अभियन्ताओं ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ मामले को समय पर नहीं उठाया था, जिससे मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

(ii) 'शून्य' उपभोग पर ऊर्जा प्रभार

तीन मण्डलों (20 में से) में, सात उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमों के मीटरों के संबंध में ऊर्जा प्रभार के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को ₹ 21.29 लाख[12] का भुगतान (अप्रैल 2016 और मार्च 2021 के दौरान) किया गया था, जहां बिजली की खपत 'शून्य' थी। संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं ने मामलों की समीक्षा नहीं की थी तथा समय पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ इस मामले को नहीं उठाया था जिसके परिणामस्वरूप सरकार को उस सीमा तक हानि हुई। संबंधित

[12] बिलासपुर: ₹ 6.35 लाख, चौंतड़ा: ₹ 9.53 लाख और हमीरपुर: ₹ 5.41 लाख।

मण्डलों के अधिशाषी अभियन्ताओं ने (अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 के दौरान) मीटर काटने का मामला नोट किया।

नमूना-जांचित मण्डलों ने ₹ 9.35 करोड़ के जलप्रभारों की वसूली नहीं की थी तथा जल प्रभार 31 मार्च 2021 तक वसूली हेतु बकाया थे। नमूना-जांचित मण्डलों में जलापूर्ति स्कीमों के संचालन और रखरखाव पर ₹ 243.77 करोड़ के व्यय के प्रति, ₹ 99.81 करोड़ का राजस्व संग्रह 2016-21 की अवधि के दौरान केवल 41 *प्रतिशत* था तथा संचालन और रखरखाव पर व्यय 2019-20 (36 *प्रतिशत*) और 2020-21 (46 *प्रतिशत*) के दौरान अत्याधिक बढ़ गया था। रिकांगपिओ मण्डल में ₹ 27.42 लाख के जल-प्रभारों का गबन किया गया तथा ₹ 12.02 लाख की राशि सरकारी खाते में जमा नहीं की गई थी।

3.8 जल-प्रभार

हिमाचल प्रदेश जल आपूर्ति अधिनियम 1968 में प्रावधान है कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रुप से चलाई जा रही जल आपूर्ति स्कीम से उपभोक्ता को दिए गए जल के लिए राज्य सरकार जल-प्रभार लगायेगी। उपभोक्ताओं से जल-प्रभारों की वसूली एक समान दर के आधार पर अथवा मीटर कनेक्शन के मामले में अभिलेखित जल की खपत के आधार पर की जानी आवश्यक थी। प्रमुख अभियन्ता ने घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए प्रति माह ₹ 28.55 प्रति कनेक्शन और वाणिज्यिक कनेक्शनों के लिए न्यूनतम ₹ 100 प्रति माह की शर्त के साथ ₹ 22.90 प्रति किलो लीटर की संशोधित दरों (जनवरी 2016) को अधिसूचित किया था, इन दरों में प्रति वर्ष 1 अप्रैल से 10 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी की गई थी।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां ध्यान में आई:

(i) उपभोक्ताओं से जल-प्रभारों का वसूल न करना

वर्ष 2016-21 के दौरान सभी 20 नमूना-जांचित मण्डलों में उपभोक्ताओं से ₹ 109.16 करोड़ (1 अप्रैल 2016 को अथ शेष: ₹ 3.90 करोड़ और 2016-21 के दौरान जारी किए जल प्रभार बिल: ₹ 105.26 करोड़) के जल प्रभारों के प्रति संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं ने ₹ 99.81 करोड़ की वसूली की थी तथा 31 मार्च 2021 तक वसूली के लिए ₹ 9.35 करोड़ बकाया थे (**तालिका 3.8)**।

तालिका 3.8

31 मार्च 2021 तक नमूना-जांचित मण्डलों में बकाया जल-प्रभारों का विवरण

वर्ष	जल आपूर्ति उपभोक्ताओं की संख्या	उपभोक्ताओं की संख्या जिनसे बकाया जल-प्रभारों की वसूली की जानी है	बकाया जल प्रभारों का अथशेष (₹ करोड़ में)	जारी किए गए जल-प्रभार बिल (₹ करोड़ में)	एकत्रित जल-प्रभार (₹ करोड़ में)	बकाया जल-प्रभार (₹ करोड़ में)
2016-17	3,14,349	27,770	3.90	16.96	16.42	4.43
2017-18	3,23,599	28,361	4.43	19.33	18.35	5.41
2018-19	3,40,236	33,238	5.41	21.18	20.42	6.17
2019-20	3,76,306	37,196	6.17	24.18	22.67	7.69
2020-21	3,99,973	50,341	7.69	23.61	21.95	**9.35**
कुल				**105.26**	**99.81**	

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

विभाग ने अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान सूचित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मई 2022 से जल-प्रभारों की वसूली बंद कर दी गई है और बकाया जल-प्रभारों की वसूली के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया।

(ii) संचालन तथा रखरखाव के अंतर्गत किए गए राजस्व के उदग्रहण तथा संग्रहण और व्यय का तुलनात्मक विश्लेषण

नमूना-जांचित मण्डलों में जल आपूर्ति स्कीमों के संचालन तथा रखरखाव के अंतर्गत किए गए राजस्व के उद्ग्रहण एवं संग्रहण तथा व्यय का तुलनात्मक विश्लेषण **चार्ट-3.1** में दिया गया है।

चार्ट-3.1

संचालन तथा रखरखाव के अंतर्गत किए गए राजस्व के उदग्रहण तथा संग्रहण और व्यय का तुलनात्मक विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

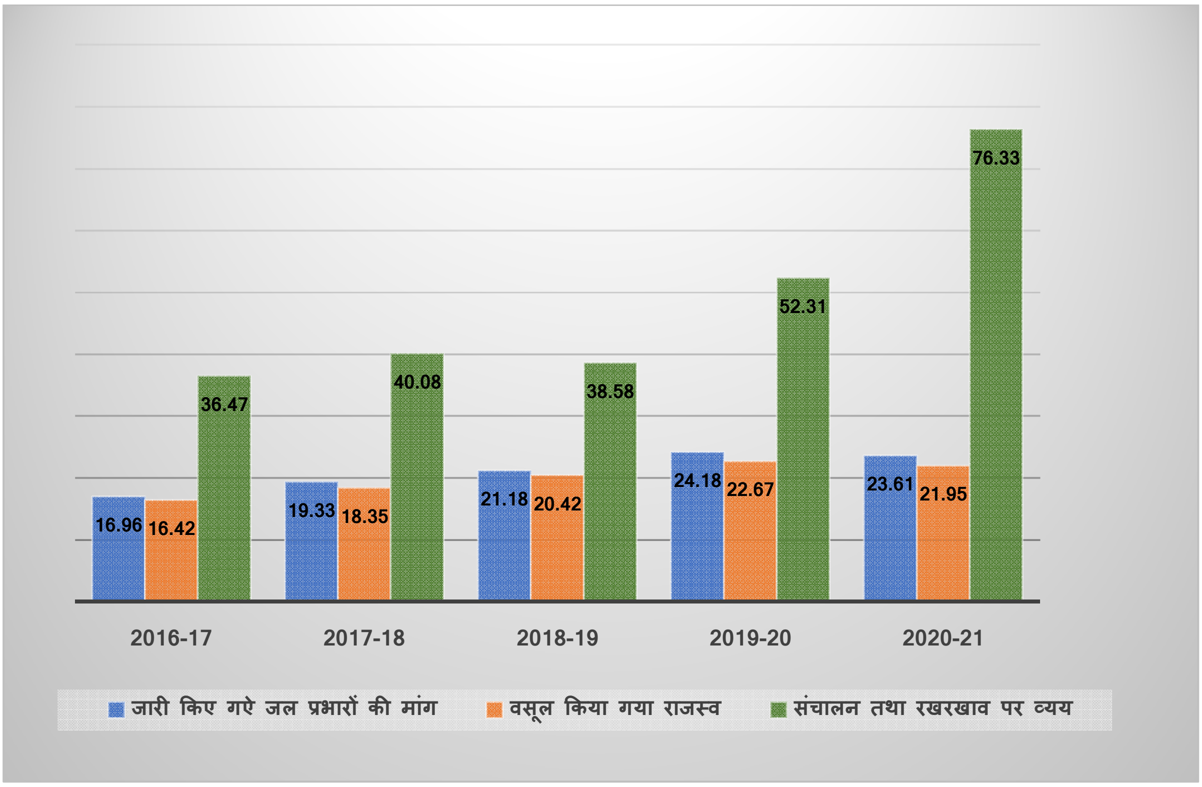

जैसाकि ऊपर से देखा जा सकता है, नमूना-जांचित मण्डलों में जल आपूर्ति स्कीमों के संचालन और रखरखाव पर ₹ 243.77 करोड़ के व्यय के प्रति, 2016-21 की अवधि के दौरान ₹ 99.81 करोड़ का राजस्व संग्रहण केवल 41 *प्रतिशत* था। इस प्रकार, जल प्रभारों का संग्रहण संचालन और रखरखाव पर व्यय के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त, 2019-20 (36 *प्रतिशत*) तथा 2020-21 (46 *प्रतिशत*) के दौरान संचालन और रखरखाव पर व्यय में अत्याधिक वृद्धि हुई थी।

अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान, सचिव ने संचालन और रखरखाव पर व्यय में वृद्धि का संज्ञान लिया तथा विभागीय अधिकारियों को इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया।

(iii) जल-प्रभारों का संदेहास्पद गबन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 3 में प्रावधान है कि सरकार की देय राशि के रूप में सरकार द्वारा अथवा की ओर से प्राप्त सम्पूर्ण राशि तुरंत सरकारी खाते में जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त नियम 5 में प्रावधान है कि यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार के संबंधित विभाग का कर्तव्य होगा कि सरकार की प्राप्तियों और देय राशियों को सही और तत्परता से निर्धारण, संग्रहण और समेकित निधि में विधिवत जमा किया जाए।

- रिकांगपिओ मण्डल में अधिशाषी अभियन्ता ने जल-प्रभारों के संग्रहण हेतु उपभोक्ताओं को रसीद जारी करने के लिए 1000 रसीद पुस्तिकाएं मुद्रित करवाई थीं (जुलाई 2015)। इनमें से, 893 रसीद पुस्तिकाएं मण्डल के स्टोर में खाली/अप्रयुक्त पाई गईं और 89 रसीद पुस्तिकाओं का हिसाब-किताब कैश बुक में लेखाबद्ध किया गया और तदनुसार राशि को कोषागार में जमा करवाया गया। रसीद संख्या 23901-24000 वाली एक रसीद पुस्तिका, मण्डल द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गई। शेष 17 रसीद पुस्तिकाओं में मण्डल के कर्मचारी द्वारा वर्ष 2016-21 के दौरान उपभोक्ताओं से प्राप्त ₹ 27.25 लाख[13] के जल प्रभारों को न तो कैश बुक में लेखाबद्ध किया गया और न ही सरकार को क्रेडिट के लिए कोषागार में जमा करवाया गया, जिसके परिणामस्वरूप संदेहास्पद गबन हुआ। उपरोक्त 17 रसीद पुस्तिकाओं में चार रसीद पुस्तिकाओं में सात प्रतिदर्शी[14] गायब पाए गए जिससे संदेहास्पद गबन की राशि बढ़ सकती है।
- फरवरी 2021 में प्राप्त ₹ 5.89 लाख के जल-प्रभारों को कैश बुक में ₹ 5.78 लाख के रूप में लिया गया तथा कोषागार में जमा करवाया गया। इस प्रकार ₹ 0.11 लाख का संदेहास्पद गबन हुआ।
- निचार उप-मण्डल में, दस उपभोक्ताओं से प्राप्त (अगस्त 2018 तथा मार्च 2020 के मध्य) ₹ 0.10 लाख के प्रति, केवल ₹ 0.04 लाख कैश बुक में लेखाबद्ध किए गए और कोषागार में जमा किए गए। इस प्रकार ₹ 0.06 लाख का संदेहास्पद गबन हुआ।

इस प्रकार, मण्डल के कर्मचारियों द्वारा कोषागार में जल प्रभार संग्रहणों को जमा न करवाने/कम जमा करवाने के परिणामस्वरूप ₹ 27.42 लाख के सरकारी राजस्व का संदेहास्पद गबन हुआ।

सचिव ने तथ्यों का संज्ञान लेते हुए (दिसंबर 2022) प्रमुख अभियंता को मामले की जांच पड़ताल करने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सभी मण्डलों में स्थिति की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया।

---

13 रसीद पुस्तिका का सन्दर्भ- (i) 2901-3000: ₹ 1.76 लाख (ii) 3901-4000: ₹ 1.80 लाख, (iii) 5101-5200: ₹ 1.80 लाख (iv) 5301-5400: ₹ 1.61 लाख (v) 5401-5500: ₹ 1.02 लाख (vi) 6201-6300: ₹ 1.82 लाख (vii) 6401-6500: ₹ 2.21 लाख (viii) 7101-7200: ₹ 1.63 लाख (ix) 7201-7300: ₹ 1.75 लाख (x) 7301-7400: ₹ 1.92 लाख (xi) 7401-7500: ₹ 1.67 लाख (xii) 7501-7600: ₹ 1.38 लाख (xiii) 7601-7700: ₹ 1.48 लाख (xiv) 7701-7800: ₹ 1.57 लाख (xv) 20901-21000: ₹ 1.33 लाख (xvi) 21101-21200: ₹ 2.15 लाख (xvii) 89601- 89618: ₹ 0.35 लाख.

14 (i) 2923 (ii) 2954 (iii) 2958 (iv) 2997 (v) 5369 (vi) 5482 (vii) 89613.

(iv) जल प्रभार संग्रहणों का सरकारी खाते में जमा न करना

रिकांगपिओ मण्डल में, 2018-21 के दौरान एकत्र किए गए ₹ 12.02 लाख के जल प्रभारों को राजस्व शीर्ष- 0215 'जल आपूर्ति एवं स्वच्छता' के अंतर्गत कोषागार में जमा करवाने के बदले सहायक अभियंता, उप मण्डल रिकांगपिओ के नाम से खाता खोलकर एक वाणिज्यिक बैंक में चालू खाते में जमा किया गया था। अधिशाषी अभियन्ता ने जल प्रभारों को सरकारी खाते में जमा करने का आश्वासन दिया (अगस्त 2021)। तथ्य यह है कि अधिशाषी अभियन्ता ने लंबे समय तक निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखा था जोकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था।

(v) जल-प्रभारों की वसूली न करना

पालमपुर मण्डल में जल शक्ति विभाग द्वारा नगर परिषद/नगर निगम पालमपुर को ₹ 13.86 प्रति किलो लीटर प्रतिदिन की दर से 1534 किलो लीटर जल की आपूर्ति की गई। तथापि, जनवरी, 2022 तक नगर निगम पालमपुर से वर्ष 2006-21 के दौरान वसूल की जाने वाली ₹ 8.55 करोड़ की राशि अभी भी बकाया है। अधिशाषी अभियन्ता, पालमपुर ने सूचित किया (जनवरी 2022) कि बार-बार पत्र-व्यवहार करने के बावजूद, नगर निगम ने जल-प्रभारों का भुगतान नहीं किया।

निष्कर्ष

राज्य में पेयजल स्कीमों का वित्तीय प्रबंधन अकुशल तथा अमितव्ययी था। जल-प्रभारों के रूप में राजस्व का कुशलतापूर्वक संग्रहण नहीं किया जा रहा था तथा साथ ही अनावश्यक रूप से अनुबंध मांग उल्लंघन प्रभारों के रूप में भारी धनराशि का भुगतान किया जा रहा था क्योंकि अधिशाषी अभियन्ताओं ने बिजली के वास्तविक उपभोग की प्रवृतियों पर ध्यान नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त, जल आपूर्ति स्कीमों के लिए जारी की गई निधियों में से बड़ी राशि लंबे समय तक मण्डलों में अप्रयुक्त रही। इसके अतिरिक्त निधियों का विचलन तथा अधिक व्यय भी किया गया जिससे स्वीकृत स्कीमों के लिए निधियों की उपलब्धता कम हुई। चूंकि समुदायों को स्कीमों में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया था, इसलिए परिकल्पित सामुदायिक स्वामित्व घटित नहीं हुआ।

सिफारिशें

विभाग चाहे तो:

(i) *पेयजल निधियों के अन्य क्षेत्रों/कार्यों के लिए विचलन करने से बचने के साथ पेयजल सेवाओं से संबंधित स्कीमों के लिए आवंटित निधियों का समयबद्ध ढ़ंग से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें।*

(ii) *जल-प्रभारों के बिल जारी करने, संग्रहण, वसूली/जमा करने के लिए ऑनलाइन हिमाचल प्रदेश जल बिल ऐप का उपयोग करना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के अतिरिक्त किसी भी तरह के दुर्विनियोजन, सरकारी राजस्व को राजकोष में जमा करवाने में विलम्ब से बचा जा सके।*

(iii) *जल आपूर्ति स्कीमों के प्रबंधन में लाभार्थी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके बीच सूचना, संचार तथा शिक्षण गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए।*

अध्याय-IV

स्कीमों का निष्पादन

अध्याय-IV

स्कीमों का निष्पादन

राज्य में पेयजल आपूर्ति स्कीमें जल शक्ति विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाती हैं तथा अधिशाषी अभियंता कार्य की वांछित गति सुनिश्चित करने तथा स्कीमों को निर्धारित समय एवं लागत के भीतर पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी थे। स्कीमों के निष्पादन में कमियों जैसे कि स्कीमों के आरंभ/ पूर्ण होने में विलम्ब, भार-मुक्त भूमि के अभाव में रुकी पड़ी स्कीमें तथा लागत में वृद्धि इत्यादि पर नीचे चर्चा की गई है।

राज्य में कुल 18,60,585 गृहवासियों में से जून 2021 तक 14,25,114 गृहवासियों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए थे।

4.1 जल आपूर्ति स्कीमों का निष्पादन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगस्त 2022 तक सभी ग्रामीण गृहवासियों (17,04,231 संख्या) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित (जुलाई 2020) किया था। शहरी गृहवासियों (1,56,354 संख्या) के लिए कनेक्टिविटी के लिए कोई लक्ष्य निर्धरित नहीं किया गया था।

जून 2021 तक, 17,04,231 ग्रामीण गृहवासियों में से 13,01,681 (76 *प्रतिशत*) तथा 1,56,354 शहरी गृहवासियों में से 1,23,433 (79 *प्रतिशत*) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए थे।

चार्ट-4.1

राज्य में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन की स्थिति

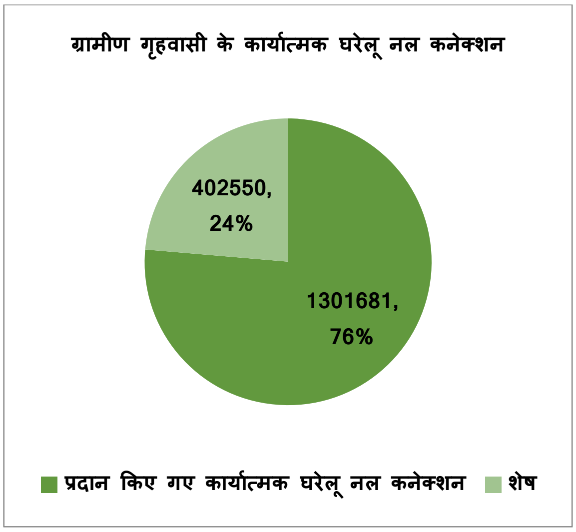

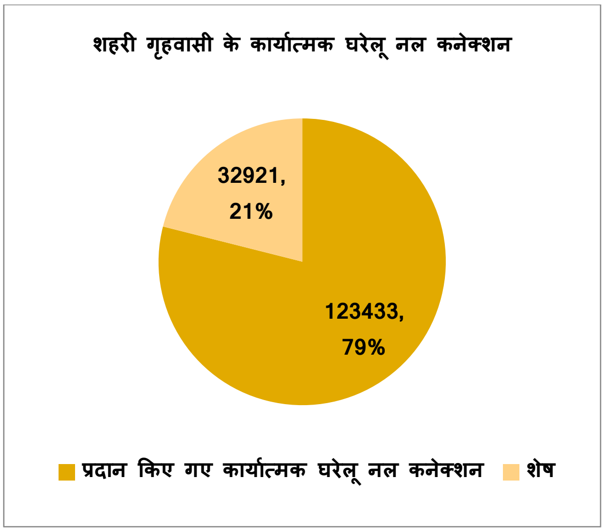

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

4.2 पूर्ण हो चुकी स्कीमों में आपूर्ति

लाभार्थियों को आपूर्ति किए जा रहे जल की मात्रा तथा गुणवत्ता का आश्वासन प्राप्त करने के लिए, लेखापरीक्षा ने विभागीय प्रतिनिधियों के साथ 40 पूर्ण हो चुकी स्कीमों (उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमें: 23 तथा ग्रेविटी जल आपूर्ति स्कीमें: 17) का संयुक्त निरीक्षण (जुलाई 2021 तथा मार्च 2022 के मध्य) किया। इन स्कीमों के क्षेत्रों में 787 बस्तियों के बीच फैली 1.77 लाख की अनुमानित जनसंख्या शामिल थी **(परिशिष्ट-1)**। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को इस अध्याय के बाद में विवर्णित किया गया है।

4.3 गृहवासियों की व्याप्ति के ऑनलाइन आंकड़ों तथा वास्तविक जल उपभोक्ताओं के आंकड़ों में भिन्नता

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत/इसकी उप-समिति अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, इत्यादि से कमीशनिंग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन का विवरण एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली[1] पर अपलोड किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया:

- एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के आकड़ों के अनुसार, 15 (20 में से) नमूना-जांचित मण्डलों[2] में फरवरी 2022 तक 4,18,714 ग्रामीण गृहवासियों के पास कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन थे। तथापि, उपभोक्ता बही-खातों[3] के अनुसार केवल 2,69,581 कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन थे। 1,49,133 कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन का अंतर इंगित करता है कि आंकड़ें बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए थे तथा गृहवासियों की वास्तविक व्याप्ति एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली में दिखाई गई व्याप्ति से बहुत कम थी।
- लाहौल एवं स्पीति जिले में, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के आकड़ों के अनुसार, 100 *प्रतिशत* अर्थात् 7,284 गृहवासियों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए थे, जबकि उपभोक्ता बहीखातों के अनुसार, केवल 1,335 कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (18 *प्रतिशत*) प्रदान किए गए थे।

एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के आंकड़ों को अपलोड करने से पहले ग्राम पंचायत/उसकी उप-समिति, अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, इत्यादि से मण्डलों द्वारा कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के कमीशनिंग प्रमाण पत्र भी प्राप्त

[1] जल जीवन मिशन पोर्टल, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की ऑनलाइन रिपोर्ट।

[2] बग्गी, बिलासपुर, चम्बा, चौतड़ा, डलहौज़ी, हमीरपुर, झण्डुता, काज़ा, केलांग, कुल्लू-I, मण्डी, मतियाना, रामपुर, सलूणी तथा थुरल

[3] उपभोक्ता को स्वीकृत नए जल कनेक्शन को अभिलेख के लिए खाताबही में दर्ज किया जाता है। खाताबही उपभोक्ता का नाम, जारी किए गए बिलों की राशि, वसूली तथा शेष राशि भी दिखाता है

नहीं किए गए थे। इस प्रकार, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर अपलोड किए गए आकड़ों की विश्वसनीयता संदेहास्पद थी।

अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान, यह सामने लाया गया कि उपभोक्ता बहीखातों को अद्यतन नहीं करने के कारण भिन्नताएं थीं, जिन्हें अब अद्यतन किया जा रहा है तथा कमीशनिंग प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जा रहे हैं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन का ब्यौरा ग्राम पंचायतों/इसकी उप-समितियों अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/प्रयोक्ता समूहों, इत्यादि से कमीशनिंग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर अपलोड किया जाना चाहिए था।

1,125 स्वीकृत स्कीमों में से 88 स्कीमें आरम्भ नहीं की गई तथा 457 स्कीमें पूर्ण की जा सकी तथा 580 अपूर्ण पड़ी थी। 457 पूर्ण स्कीमों में से 282 स्कीमें एक से 113 माह के विलम्ब से पूर्ण की गई। 580 अपूर्ण स्कीमों में से 245 स्कीमें पूर्ण होने की अपनी निर्धारित अवधि से एक से 138 माह पीछे चल रही थी।

4.4 स्कीमों के निष्पादन की स्थिति

अधिशाषी अभियंता कार्य की वांछित गति सुनिश्चित करने तथा स्कीमों को निर्धारित समय एवं लागत के भीतर पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी थे। स्कीमों के निष्पादन में कमियों जैसे कि स्कीमों के आरंभ होने में विलम्ब, रुकी पड़ी स्कीमों, विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि, स्कीमों के त्रुटिपूर्ण समापन इत्यादि पर नीचे चर्चा की गई है।

वर्ष 2016-21 के दौरान निष्पादन के लिए शुरू की गई स्कीमों, पूर्ण की गई स्कीमों तथा अपूर्ण रह गई स्कीमों के कार्य-वार समेकित अभिलेख प्रमुख अभियंता स्तर पर अनुरक्षित/अद्यतन नहीं किए गए थे।

वर्ष 2016-21 के दौरान सभी नमूना-जांचित मण्डलों में स्कीमों के निष्पादन का ब्यौरा **तालिका-4.1** तथा **4.2** में दिया गया है।

तालिका-4.1

2016-21 के दौरान सभी नमूना-जांचित मण्डलों में स्कीमों के निष्पादन का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमोदित स्कीमें		जो स्कीमें आरम्भ नहीं हुई		पूर्ण स्कीमें		सितंबर 2021 तक अपूर्ण/ चल रही स्कीमें	
	संख्या	अनुमोदित लागत	संख्या (%)	अनुमोदित लागत	संख्या (%)	व्यय	संख्या (%)	व्यय
03/2016 से पहले	331	756.24	2 (01)	3.30	247 (75)	387.32	82 (24)	208.80
2016-17	109	124.96	1 (01)	0.36	67 (61)	25.32	41 (38)	90.15

वर्ष	अनुमोदित स्कीमें		जो स्कीमें आरम्भ नहीं हुई		पूर्ण स्कीमें		सितंबर 2021 तक अपूर्ण/ चल रही स्कीमें	
	संख्या	अनुमोदित लागत	संख्या (%)	अनुमोदित लागत	संख्या (%)	व्यय	संख्या (%)	व्यय
2017-18	76	55.69	4 (05)	0.12	32 (42)	6.15	40 (53)	27.19
2018-19	95	119.34	8 (08)	33.85	23 (24)	6.65	64 (68)	43.76
2019-20	249	760.03	9 (04)	12.05	64 (26)	19.91	176 (70)	242.46
2020-21	265	446.67	64 (24)	236.94	24 (09)	2.08	177 (67)	71.29
कुल	**1125**	**2262.93**	**88 (08)**	**286.62**	**457 (41)**	**447.43**	**580 (51)**	**683.65**

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

तालिका-4.2

2016-21 के दौरान सभी नमूना-जांचित मण्डलों में देखे गए समय तथा लागत में वृद्धि का विवरण

स्कीमें	समय वृद्धि के मामलों की संख्या	समय वृद्धि माह में	लागत वृद्धि के मामलों की संख्या	लागत में वृद्धि (करोड़ में)	विलंब से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या
पूर्ण स्कीमें	282	एक से 113 माह	125	39.66	4,65,099
अपूर्ण स्कीमें	245	एक से 138 माह	57	26.42	9,58,987
स्कीमें आरम्भ नहीं हुई	27	एक से 60 माह	दायित्व अभी तक सही रूप से कार्यान्वित नहीं हुए	दायित्व अभी तक सही रूप से कार्यान्वित नहीं हुए	37,309
कुल	**554**		**182**	**66.08**	**14,61,395**

4.4.1 पूर्ण स्कीमें

आरम्भ में अनुमोदित 1,125 स्कीमों में से, केवल 457 स्कीमें ही पूर्ण हो सकीं। इन 457 स्कीमों में से 282 स्कीमें भूमि विवाद (57), निधियों की अनुपलब्धता (37), वन स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब (नौ), ठेकेदारों के कारण विलंब (64), बर्फ से ढका क्षेत्र/ सीमित कामकाजी मौसम (10), बिजली की आपूर्ति में विलंब (पांच) तथा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन से विलंब (एक) के कारण एक से 113 माह के विलंब के बाद पूर्ण हुईं। शेष 99 जल आपूर्ति स्कीमों के संबंध में विभाग द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप, इन 282 स्कीमों के 4,65,099 लाभार्थी समय पर पर्याप्त पेयजल आपूर्ति से वंचित रह गए। विलंब से पूर्ण की गई इन 282 स्कीमों में से 86 स्कीमें ₹ 24.26 करोड़ की लागत वृद्धि के साथ पूर्ण की गईं। इसी तरह, निर्धारित समय के भीतर पूर्ण की गई 175 स्कीमों में से 39 स्कीमों की लागत में ₹ 15.40 करोड़ की वृद्धि हुई।

4.4.2 अपूर्ण स्कीमें तथा आरम्भ नहीं हुई स्कीमें

- 31 मार्च 2021 तक 1,125 अनुमोदित जल आपूर्ति स्कीमों में से, कुल मिलाकर 580 स्कीमें अपूर्ण थीं (335 चालू कार्यों सहित जो पूरा होने की निर्धारित अवधि के भीतर थे)। यह 88 कार्यों के अतिरिक्त थे जो कभी आरम्भ नहीं हुए। 580 स्कीमों में से 82 स्कीमों को अप्रैल

2016 से पहले स्वीकृति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, 78 (82 में से) स्कीमें पूर्ण होने की अपनी निर्धारित अवधि (जनवरी 2010 तथा जनवरी 2021 के मध्य) से 13 से 138 माह पीछे चल रही थीं। परिणामस्वरूप, इन 78 स्कीमों के 4,49,016 लाभार्थी समय पर पर्याप्त पेयजल आपूर्ति से वंचित रह गए। ये स्कीमें भूमि विवाद (13), आवश्यक वन अधिकार अधिनियम स्वीकृतियों की अनुपलब्धता (1), ठेकेदार द्वारा विलंबित कार्य (2) तथा अपर्याप्त निधियों (5) के कारण अपूर्ण पड़ी थीं। शेष 57 जल आपूर्ति स्कीमों के संबंध में विभाग द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप विलम्ब के साथ चल रही 23 स्कीमों की लागत में ₹ 6.98 करोड़ की वृद्धि हुई थी, जिसके लिए विभाग को अभी संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त करनी थी।

- 2016-21 के बीच अनुमोदित शेष 498 स्कीमों में से, 167 स्कीमें अपनी निर्धारित पूर्णता अवधि से अधिक समय से अपूर्ण पड़ी थीं तथा इन स्कीमों में पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (फरवरी 2017 तथा सितंबर 2021 के मध्य) से एक से 47 माह के मध्य की वृद्धि देखी गई थी। इन 498 स्कीमों में से 331 स्कीमें अभी भी पूर्ण होने की अपनी निर्धारित तिथि के भीतर चल रही स्कीमें थीं। परिणामस्वरूप, 5,09,971 लाभार्थी समय पर पर्याप्त पेयजल आपूर्ति से वंचित रह गए। ये स्कीमें स्थान/ भूमि विवाद (23), सीमित कामकाजी मौसम (10), निधियों की अनुपलब्धता (12), ठेकेदारों द्वारा विलंब (दो), विद्युत आपूर्ति उपस्करों को स्थापित न करने (एक) तथा अन्य (चार) के कारण अपूर्ण पड़ी थीं। 115 जल आपूर्ति स्कीमों में संबंधित अधिशाषी अभियंताओं द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए थे। कार्यों को पूर्ण होने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 24 स्कीमों की लागत में ₹ 17.67 करोड़ की वृद्धि हुई थी, जिसके लिए विभाग को अभी संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त करनी थी। इसी तरह, मार्च 2016 के बाद अनुमोदित 498 स्कीमों में से 10 स्कीमें, जो अभी भी प्रगति पर हैं, की लागत में ₹ 1.77 करोड़ की वृद्धि हुई।
- यह देखा गया कि 31 मार्च 2021 तक 88 (8 *प्रतिशत*) स्कीमों का निष्पादन आरम्भ भी नहीं किया गया था। इन 88 स्कीमों में से, जून 2016 तथा अगस्त 2021 के मध्य पूर्ण होने वाली 27 स्कीमें, अपनी निर्धारित पूर्णता तिथियों से एक से 60 माह तक बढ़ चुकी थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्थानीय विवाद (एक), सूखा स्रोत (एक), तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न करना (एक), ठेकेदारों द्वारा आरम्भ नहीं किए गए कार्य (तीन), प्रक्रियाधीन निविदा (पांच) विलंब में योगदान के रूप में उद्धृत कारण थे। विभाग ने शेष 16 स्कीमों के संबंध में विलंब के कारणों का उल्लेख नहीं किया। परिणामस्वरूप, इन 27 स्कीमों के 37,309 लाभार्थी पर्याप्त पेयजल आपूर्ति से वंचित रह गए। चूंकि इन स्कीमों को न तो कार्यान्वित किया गया था तथा न ही रद्द किया गया था, इसलिए इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता से इनकार नहीं किया जा सकता है।

जैसाकि **तालिका 4.2** से देखा जा सकता है, कि विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण होने में विलम्ब के कारण प्रभावित व्यक्तियों का प्रतिशत राज्य की जनसंख्या (2011 की अंतिम उपलब्ध जनसंख्या जनगणना के अनुसार) का 21.29 *प्रतिशत* था। परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब के परिणामस्वरूप समय में वृद्धि के साथ परियोजनाओं की संख्या कुल अनुमोदित परियोजनाओं का 49.24 *प्रतिशत* थी। इसी तरह, लागत में वृद्धि वाली परियोजनाओं की संख्या कुल अनुमोदित परियोजनाओं का 16.18 *प्रतिशत* है, जिनकी लागत में ₹ 66.08 करोड़ की वृद्धि हुई है। लागत वृद्धि के इस आंकड़े में 88 परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिन्हें अभी आरम्भ किया जाना था।

4.5 अनुमान से अधिक व्यय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार, संशोधित अनुमान तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब स्वीकृत अनुमान 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की संभावना हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 18 नमूना-जांचित मण्डलों[4] में, 95 स्कीमों (68 पूर्ण जल आपूर्ति स्कीमें तथा 27 प्रगतिरत जल आपूर्ति स्कीमें) के लिए स्वीकृत अनुमानों से ₹ 59.66 करोड़ अधिक व्यय किए गए थे, लेकिन इन कार्यों के संशोधित अनुमान जुलाई 2021-मार्च 2022 तक तैयार नहीं किए गए थे। 85 जल आपूर्ति स्कीमों में स्वीकृत अनुमानों का 11 से 97 प्रतिशत तथा नौ स्कीमों में 107 से 437 प्रतिशत के मध्य अधिक व्यय था; एक मामले में यह स्वीकृत अनुमानों का 748[5] प्रतिशत था। अधिक व्यय को नियमित करने की आवश्यकता थी।

अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (जुलाई 2021 तथा मार्च 2022) कि संशोधित अनुमान तैयार किए जाएंगे तथा अधिक व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

पूर्ण हो चुकी नौ जल आपूर्ति स्कीमों में ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा अर्ध शहरी क्षेत्र में 120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानकों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 22 से 67 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा अर्ध शहरी क्षेत्र में 73 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बीच लाभार्थियों को जलापूर्ति प्रदान की जा रही थी। नमूना-जांचित 40 पूर्ण स्कीमों में स्त्रोत, जल शोधन इकाई, पंपिंग मशीनरी, राइजिंग/ ग्रेविटी मेन, भंडारण टैंक/ वितरण नेटवर्क तथा ऑटोमेशन/ क्लोरीनीकरण प्रणाली में कमियां पाई गईं, जिससे प्रयोक्ता आबादी को आपूर्ति किए जाने वाले जल की मात्रा तथा गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

4 बग्गी: ₹ 2.55 करोड़, बिलासपुर: ₹ 0.45 करोड़, भोरंज: ₹ 0.55 करोड़, चम्बा: ₹ 2.01 करोड़, चौतड़ा: ₹ 0.35 करोड़, डलहौजी: ₹ 3.01 करोड़, धर्मशाला: ₹ 10.15 करोड़, हमीरपुर: ₹ 15.93 करोड़, काज़ा: ₹ 3.47 करोड़, केलांग: ₹ 0.20 करोड़, कुल्लू-1: ₹1.30 करोड़, मण्डी: ₹10.55 करोड़, मतियाना: ₹ 0.89 करोड़, रामपुर: ₹3.90 करोड़, रिकांगपिओ: ₹1.08 करोड़, सलूणी: ₹ 0.42 करोड़, शिमला: ₹ 2.78 करोड़ तथा थुरल: ₹ 0.07 करोड़।

5 केलांग जिले में आंशिक आवृत बस्ती कुरचेड को जलापूर्ति स्कीम प्रदान करना- अनुमानित लागत: ₹ 1.32 लाख तथा व्यय: ₹ 11.20 लाख।

4.6 चयनित जल आपूर्ति स्कीमों की विस्तृत जांच

लेखापरीक्षा ने सितंबर 2006 तथा सितंबर 2019 के मध्य ₹ 116.47 करोड़ में अनुमोदित और अप्रैल 2016 तथा अक्टूबर 2021 के मध्य ₹ 132.49 करोड़ के व्यय के बाद पूर्ण हो चुकी 40 पूर्ण पेयजल आपूर्ति स्कीमों (उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमें: 23 तथा ग्रेविटी जल आपूर्ति स्कीमें: 17) की **(परिशिष्ट-1)** विस्तृत जांच की। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2011 तथा नवंबर 2018 के मध्य ₹ 37.51 करोड़ के लिए अनुमोदित 15 अपूर्ण जल आपूर्ति स्कीमों (उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमें: 08 तथा ग्रेविटी जल आपूर्ति स्कीमें: 07) जिनपर ₹ 22.04 करोड़ का व्यय हो चुका है, की भी विस्तृत जांच की गई **(परिशिष्ट-2)**।

जल की आपूर्ति में कमी

पांच नमूना-जांचित मण्डलों में नौ उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमों में यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए आंशिक रूप से प्रस्तावित स्कीम) में 120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आपूर्ति के डिजाइन के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में 22 से 67 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों (उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजारली) में 73 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बीच जल की आपूर्ति लाभार्थियों को की जा रही थी, जैसा कि **परिशिष्ट-3** में विवर्णित है।

अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान, सचिव ने स्थिति को स्वीकार किया तथा बस्तियों में पेयजल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

पूर्ण जलापूर्ति स्कीमों की घटक-वार कमियों पर नीचे चर्चा की गई है।

4.6.1 जल आपूर्ति स्कीमों के स्रोत में कमियां

जल के स्रोत से आशय जल के उन स्त्रोतों से है जो जनता को पेयजल प्रदान करते हैं। जल स्रोतों में सतही जल (नदियाँ, खड्ड, नाला, नहर, इत्यादि) तथा भूजल (अंत:स्त्रवण कुएं, बोरवेल, इत्यादि) शामिल हैं। 40 स्कीमों में से 31 स्कीमों में सतही जल स्त्रोत तथा नौ में भूजल स्त्रोत थे। लेखापरीक्षा के दौरान स्कीमों के स्त्रोत से संबंधित पाई गई कमियां नीचे **तालिका 4.3** में दी गई हैं।

तालिका-4.3

जल आपूर्ति स्कीमों में स्रोत की कमियां

क्र.स.	स्कीम	स्रोत की कमियां
1.	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम जख्याल फेज 2 (हमीरपुर जिला)	• अंत:स्त्रवण कुएं के मूल स्थल को फैली हुई सीर खड्ड से ऊपर की ओर परिवर्तित कर दिया गया तथा सीर खड्ड के बीच में निर्मित कर दिया। **सीर खड्ड के बाढ़ प्रवण क्षेत्र में अंत:स्त्रवण कुआँ**

		• प्रवाह को मोड़ने के लिए तटरक्षक दीवार[6] (स्पर) का निर्माण नहीं किया गया था। अंत:स्त्रवण कुआं संरक्षित नहीं था तथा बाढ़ के दौरान बह सकता था।
2.	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम करेरी, टकरून, ग्वाल पाथेर तथा हथोल का सुधार (हमीरपुर जिला)	• मान खड्ड के किनारे पर अंत:स्त्रवण कुएं का निर्माण किया गया था, लेकिन खड्ड में जल के प्रवाह के साथ, इसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार बारिश के मौसम के दौरान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। निकट भविष्य में अंत:स्त्रवण कुएं के क्षतिग्रस्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। • अंत:स्त्रवण कुएं के संरक्षण के लिए कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी। **मान खड्ड के तट पर अंत:स्त्रवण कुएं की क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार**
3.	हमीरपुर जिले में उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम लगवाल्टी जांगले तथा उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम भाटलाम्बर का सुधार	• यह स्कीम अक्टूबर 2020 के दौरान ₹ 56.55 लाख की लागत से पूर्ण दिखाई गई थी, लेकिन अंत:स्त्रवण कुएं तथा पंप हाउस का निर्माण अभी तक नहीं किया गया था। • एक अन्य उठाऊ सिंचाई स्कीम जाखू के अंत:स्त्रवण कुएं का उपयोग 10 हॉर्सपॉवर सबमर्सिबल पंपिंग सेट की स्थापना करके स्कीम को कार्यात्मक बनाने के लिए किया गया था, जबकि उठाऊ सिंचाई स्कीम को अकार्यात्मक कर दिया गया था। • लेखापरीक्षा द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में, सात (30 में से) लाभार्थी इस स्कीम के माध्यम से आपूर्ति किए गए पेयजल की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं थे।
4.	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजारली (शिमला जिला)	• 5 लीटर प्रति सेकंड की क्षमता वाला एक बोरवेल तथा बोरवेल से जल प्रशोधन संयंत्र तक इसकी राइजिंग मेन, इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड, बिजली का खंभा, इत्यादि अगस्त 2019 के दौरान आई बाढ़ से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त तथा बह गए थे। बोरवेल का निर्माण स्रोत (अश्वनी खड्ड) के बीच में किया गया था। **अश्वनी खड्ड में स्रोत के बीच में निर्मित क्षतिग्रस्त बोरवेल** • 6,64,080 लीटर प्रतिदिन की कुल जल आवश्यकता की तुलना में, 7 लीटर प्रति सेकंड की क्षमता वाले दूसरे बोरवेल से केवल 4,03,200 लीटर प्रति दिन (बोरवेल से 16 घंटे x 7 लीटर प्रति सेकंड पंपिंग की दर से) उठाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 2,60,880 लीटर प्रति

6 स्पर (अथवा ग्राइनस) ऐसी संरचनाएं हैं जिन्हें जल प्रवाह के अनुप्रस्थ रखा जाता है और तट से नदी/ खड्ड तक विस्तारित करता है।

		दिन की कम आपूर्ति हुई थी। जल केवल वैकल्पिक दिनों में बस्तियों को वितरित किया जा रहा था। • बोरवेल के क्षतिग्रस्त होने की तिथि से दो साल (जुलाई 2021 तक) की अवधि बीत चुकी थी, लेकिन इसकी मुरम्मत नहीं की गई थी। 120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की तुलना में, इस स्कीम के लाभार्थियों को केवल 73 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल उपलब्ध करावाया जा रहा था।
5.	जलापूर्ति स्कीम से आंशिक रूप से आच्छादित की गई बस्ती बनूरी, बनूरी खास (कांगड़ा जिला)	• किसी इन्टेक चैम्बर का निर्माण नहीं किया गया था। • जल का सीधे आवा खड्ड से दोहन किया गया था तथा पाइपों को खड्ड में खुला रखा गया था, जिनके बारिश के मौसम में जल के उच्च प्रवाह के साथ बह जाने की संभावना थी। **आवा खड्ड से सीधे (बिना इन्टेक चैम्बर के) जल का दोहन किया गया**
6.	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम सुका कुन (मण्डी जिला)	• सबमर्सिबल पंप के माध्यम से ब्यास नदी से अशोधित जल उठाने की स्कीम के लिए एक घिरनी कक्ष तथा सिस्टम रेल ट्रॉली सिस्टम का निर्माण किया गया था तथा सिस्टम अगस्त 2021 में आई बाढ़ के कारण टिल्ट हो गया/ पटरी से उतर गया था। • रेल ट्रॉली को नवंबर 2021 तक विभाग द्वारा इसके स्थान पर समायोजित नहीं गया था। **ब्यास नदी से जल उठाने के लिए टिल्टिड रेल ट्रॉली सिस्टम** • 577360 लीटर (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) जल की आवश्यकता की तुलना में, खलियाना खड्ड से केवल 463680 लीटर (56 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) जल उठाया जा रहा था। • बाथर, चलहार तथा खजरून गांव के सभी सर्वेक्षित लाभार्थियों (10) ने लाभार्थी सर्वेक्षण में बताया कि 3 दिनों में केवल एक बार जलापूर्ति की गई थी।

4.6.2 जल शोधन इकाई में कमियां

जल शोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जल की गुणवत्ता में सुधार करती है ताकि इसे एक विशिष्ट अंत-उपयोग तक के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। जल शोधन प्रक्रिया में संग्रहण, अवसादन; शुद्धिकरण; निथराई; तथा कीटाणुशोधन सहित कई चरण शामिल हैं। जल आपूर्ति स्कीमों की जल शोधन इकाइयों में लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियां **तालिका 4.4** में दी गई हैं।

तालिका-4.4

जल आपूर्ति स्कीमों में जल शोधन इकाई में कमियां

क्र.स.	स्कीम	कमियां	
1.	जल आपूर्ति स्कीम डोभी शिम (कुल्लू जिला)	• स्कीम को पूर्ण दिखाया गया था (दिसंबर 2020) लेकिन अवसादन टैंक तथा फिल्टर बेड को स्रोत से जुड़ा नहीं देखा गया था (अगस्त 2021)। परिणामस्वरूप, गृहवासियों को बिना फ़िल्टर किए जल की आपूर्ति की जा रही थी। • लेखापरीक्षा द्वारा किए गए सर्वेक्षण में, स्कीम के छः लाभार्थियों (30 में से) ने कहा कि जल अच्छी गुणवत्ता का नहीं था तथा बारिश के मौसम के दौरान मटमैला हो गया था।	 **अपूर्ण अवसादन टैंक तथा फ़िल्टर बेड**
2.	जल आपूर्ति स्कीम दवाड़ा (कुल्लू जिला)	• 2018 के दौरान क्षतिग्रस्त अवसादन टैंक तथा फिल्टर बेड की अगस्त 2021 तक मुरम्मत नहीं की गई थी। इसलिए, स्रोत से सीधे गृहवासियों को बिना फ़िल्टर किए जल की आपूर्ति की जा रही थी। • स्कीम के 33 लाभार्थियों में से दस ने बताया कि बारिश के मौसम के दौरान जल की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी तथा खराब हो गई थी।	 **क्षतिग्रस्त अवसादन टैंक तथा फ़िल्टर बेड**
3.	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम गांव शिरगुल्ली कदरैन तथा बलघर घस्सिगांव मडहोग (शिमला जिला)	• अवसादन टैंक की दीवारों पर रिसाव था तथा जल मटमैला था। अवसादन टैंक तथा फिल्टर बेड गंदे थे। • अवसादन टैंक तथा फिल्टर बेड की सफाई का अभिलेख उपलब्ध नहीं था। • चार (31 में से) लाभार्थी पेयजल की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं थे।	 **अवसादन टैंक में रिसाव**
4.	जल आपूर्ति स्कीम दुल पंजाजन तथा दागोन गांवों का	• स्कीम के फेज़ 1 के 2012-13 के दौरान निर्मित अवसादन टैंक तथा फिल्टर बेड अप्रयुक्त (दिसंबर 2021) पड़े थे। फेज़ 2 में, फिल्टर बेडस का निर्माण किया गया था तथा स्कीम के पूर्ण होने की सूचना दी गई थी (मार्च 2018) लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया था।	

	समूह (मण्डी जिला)	• माप पुस्तिका (संख्या 1769) के अनुसार, फ़िल्टर बेड का माप अप्रैल 2018 के दौरान किया गया था, जिसमें सभी परतों (शीर्ष परत: महीन रेत; दूसरी परत: मोटा रेत 3 मिमी से 6 मिमी; तीसरी परत: बजरी 20 मिमी से 25 मिमी, तथा नीचे की परत: टूटे हुए पत्थर 50 मिमी से 75 मिमी) को बिछाया दिखाया गया था। तथापि, नीचे की परत पर केवल लगभग 75 मिमी के टूटे हुए पत्थर पाए गए तथा कोई अन्य परत प्रमाणित के रूप में नहीं देखी गई। यह फिल्टर बेड के संदेहास्पद माप को इंगित करता है। इस प्रकार, फिल्टर बेड का निर्माण विशिष्टियों के अनुसार नहीं किया गया था तथा स्रोत (नाले) से दोहन किए गए जल को सीधे भंडारण टैंक में ले जाया गया था। • 17 लाभार्थियों (30 में से) ने पेयजल की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया ।	
5.	तीन जल आपूर्ति स्कीमें भोरंज: जल आपूर्ति स्कीम कथियालवीं, मतियाना: उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम स्वारी खड्ड तथा शिमला: उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजारली	• स्कीमों के संयुक्त निरीक्षण (जुलाई 2021 से मार्च 2022 के बीच) से पता चला कि तीन स्कीमों (40 में से) में, अवसादन टैंक तथा फिल्टर बेड दिसंबर 2018 तथा फरवरी 2021 से साफ नहीं किए गए थे। परिणामस्वरुप, अवसादन टैंक तथा फिल्टर बेड में शैवाल की परतें बन गई थीं। • दो (तीन में से) स्कीमों के 15 (63 में से) लाभार्थियों ने कहा कि गंदे तथा बदबूदार जल की आपूर्ति की जा रही थी।	 **जल आपूर्ति स्कीम कथियालवीं का साफ न किया गया अवसादन टैंक** **उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम स्वारी खड्ड का साफ न किया गया फ़िल्टर बेड** **उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजरली का साफ न किया गया फ़िल्टर बेड**

6.	जल आपूर्ति स्कीम बचूनी पुखरी फेज-2 तथा जल आपूर्ति स्कीम दानून का सुधार (चम्बा जिला)	• घाल नाले (स्रोत) से दोहन किया गया जल लाभार्थियों को फ़िल्टर किए बिना दिया जा रहा था। फिल्टर मीडिया का चैम्बर क्षतिग्रस्त तथा गंदा था। चैम्बर में बाहर की सामग्री, झाड़ियाँ तथा पत्थर दिखाई दे रहे थे। लाभार्थियों को बिना फिल्टर किए जल की आपूर्ति की जा रही थी। • 16 लाभार्थियों (30 में से) ने पीने के जल की गुणवत्ता के प्रति असंतोष व्यक्त किया (अक्टूबर 2021)।	 **फ़िल्टर बेड का साफ न किया गया चैम्बर**
7.	जसूर, डूखर, भराड़ी तथा टिकरी गांव की जल आपूर्ति स्कीम का संवर्धन (चम्बा जिला)	• प्रस्तावित महादेव नाले से जल का दोहन करने के बाद, जल को फ़िल्टर करने के बाद आपूर्ति के लिए विद्यमान अवसादन टैंक में ले जाना आवश्यक था। संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि योजना के अनुसार पहले पुराने अवसादन टैंक और फिल्टर मीडिया के बदले महादेव नाले से सीधे कुट में भंडारण टैंक तक लाइन बिछाई गई थी। परिणामस्वरुप, लाभार्थियों को बिना फ़िल्टर किए गए जल की आपूर्ति की जा रही थी। • 30 में से 16 लाभार्थी पेयजल की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं थे।	

4.6.3 पंप हाऊस तथा पंपिंग मशीनरी में कमियां

पंप हाऊस वह स्थान है जहां राइजिंग मेन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल उठाने के लिए पंपिंग मशीनरी स्थापित की जाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा:

- लाहौल एवं स्पीति जिले में उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम तांदी का संवर्धन कार्य ₹ 34.85 लाख की लागत से अक्टूबर 2020 में पूर्ण कर लिया गया था लेकिन पंपिंग मशीनरी चलाने के लिए अलग से बिजली मीटर की स्थापना नहीं होने के कारण इसे कार्यात्मक नहीं बनाया गया था। इस स्कीम के चालू न होने के परिणामस्वरूप ₹ 34.85 लाख का व्यय व्यर्थ रहा।

- उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजारली (शिमला जिला) में, दिसंबर 2018 में चालू होने के समय से दूसरे पंप के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर स्थापित नहीं किया गया था, जिससे पंप अकार्यात्मक रहा।

- केन्द्रीय जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन नियमावली तथा विभाग के निर्देशानुसार (मई 2003), सभी जल आपूर्ति स्कीमों में स्टैंडबाई पंप का प्रावधान किया जाना चाहिए। यद्यपि, चार नमूना-जांचित मण्डलों में, दिसंबर 2018 और अगस्त 2021 से छः जल आपूर्ति

स्कीमों[7] के सात पंप सेट खराब पाए गए। विभाग ने लेखापरीक्षा की तिथि तक इन स्टैंडबाई पंपों की मुरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की थी। इससे यह प्रतीत होता है कि यदि इन जल आपूर्ति स्कीमों का दूसरा पंप खराब हो जाता है, तो गृहवासियों को जल की आपूर्ति प्रभावित होगी।

- रामपुर मण्डल के अंतर्गत उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम काशापाट खड्ड से ड़ंसा तक तथा उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम खराहन खड्ड से जाहू कोफराधार तक दो नमूना-जांचित स्कीमें क्रमशः अगस्त 2017 तथा मई 2017 में पूर्ण की गईं। तथापि, जल उठाने के लिए संस्थापित पम्पिंग मशीनरी इष्टतम क्षमता अनुसार संचालित नहीं की गई थी। उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम काशापाट खड्ड की पंपिंग मशीनरी प्रतिदिन 16 घंटे के निर्धारित संचालन के प्रति केवल प्रतिदिन 12.1 घंटे संचालित की गई। इसी तरह, उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम खराहन खड्ड की पंपिंग मशीनरी 8 घंटे के बजाए 4.33 घंटे प्रतिदिन ही संचालित की गई। परिणामस्वरूप, अपर्याप्त जल उठाया जा रहा था तथा लाभार्थियों को इसकी अपर्याप्त आपूर्ति की जा रही थी (**परिशिष्ट-3**)।

4.6.4 राइजिंग /ग्रेविटी मेन में कमियां

राइजिंग मेन पंप से भंडारण टैंक तक जल ले जाने वाली डिलीवरी लाइन है। ग्रेविटी मेन पंपिंग के बिना पाइप नेटवर्क के माध्यम से स्रोत से उपयोगकर्ता तक जल ले जाती है।

- आंशिक रूप से आच्छादित की गई बस्ती सोसरिंग (किन्नौर जिला) को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करने में, स्कीम के सभी घटकों अर्थात् इन्टेक चैम्बर: एक, 10000 लीटर क्षमता का भंडारण टैंक: एक, वितरण नेटवर्क इत्यादि का निर्माण किया गया था, लेकिन ग्रेविटी मेन 350 रनिंग मीटर (इन्टेक चैम्बर से भंडारण टैंक तक 25 मिमी का व्यास) नहीं बिछाई गई थी। निर्मित टैंक के बगल में, नाले का पानी बह रहा था जिसका ग्रामीणों द्वारा सिंचाई के उद्देश्य से उपयोग किया जाता था। 350 रनिंग मीटर ग्रेविटी मेन बिछाकर निर्मित टैंक को प्रस्तावित स्रोत से जोड़ने की अपेक्षा, टैंक के बगल में बहने वाले जल का निर्मित टैंक में दोहन किया गया तथा जल आपूर्ति स्कीम को कार्यात्मक बनाया गया। जब सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती थी, तो नाले के पानी को सिंचाई उद्देश्य के लिए परिवर्तित कर दिया जाता था और अन्यथा जल को पीने के उद्देश्य के लिए टैंक में परिवर्तित कर दिया जाता था।
- संयुक्त निरीक्षण के दौरान उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम झरेट रझूं तथा उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम कियारवां (कांगड़ा जिला) के स्रोत स्तर के सुधार एवं संवर्धन में, 2011-12 के दौरान बिछाई गई स्कीम की ग्रेविटी मेन बिना एंकर ब्लॉक के पड़ी देखी गई। इस स्कीम को मार्च 2020 में पूर्ण दिखाया गया था। तथापि, वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 8.47 लाख की लागत से एक ठेकेदार को दिए गए ग्रेविटी मेन के लिए थ्रस्ट ब्लॉक/एंकर ब्लॉक का निर्माण कार्य नहीं किया था तथा मण्डल ने ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की थी। बाढ़ के मामले में एंकर ब्लॉक

[7] भोरंज: एक; मण्डी: दो; मतियाना: तीन और शिमला: एक।

के बिना ग्रेविटी मेन क्षतिग्रस्त हो सकती है। इस प्रकार, विभाग ने ग्रेविटी मेन की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की थी।

4.6.5 भंडारण टैंक तथा वितरण नेटवर्क में कमियां

(i) भंडारण टैंक का निर्माण न करना तथा वितरण नेटवर्क न बिछाना

जिया गोपालपुर फेज-1 (कांगड़ा जिला) की जल आपूर्ति स्कीम के लिए वितरण प्रणाली के प्रतिस्थापन में, एक ठेकेदार को सौंपे गए (जुलाई 2013) सात भूमिगत जलाशयों के निर्माण के प्रति, 10000 और 115000 लीटर के क्षमता वाले छः भूमिगत जलाशयों का निर्माण किया गया था तथा 10000 लीटर के एक भूमिगत जलाशय का निर्माण नहीं किया गया था। जनवरी 2022 तक 25 मिमी व्यास (480 रनिंग मीटर) तथा 32 मिमी व्यास (1435 रनिंग मीटर) वाली जस्तीकृत लोहे की पाइप के बिछाने तथा जोड़ने का काम आरम्भ नहीं किया गया था। तथापि विभाग ने स्कीम के पूर्ण होने की सूचना दी थी (फरवरी 2020)। आठ (32 में से) लाभार्थियों ने बताया (जनवरी 2022) कि अपर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाया जा रहा था।

(ii) भंडारण टैंक में रिसाव

उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम धरारसानी तथा उसके आसपास के गांवों (बिलासपुर जिला) में, जुलाई 2021 से वितरण नेटवर्क में रिसाव था, लेकिन दिसम्बर 2021 तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। इससे जल का अपव्यय हो रहा था। तथापि, रिसाव की प्रवाह दर के ब्यौरे के अभाव में जल अपव्यय की सही मात्रा की गणना नहीं की जा सकी।

(iii) वितरण नेटवर्क- तथ्यों की गलत रिपोर्टिंग

- उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजारली (शिमला जिला) में, 30,650 रनिंग मीटर की वितरण लाइन के प्रति, जुलाई 2021 तक केवल 24891 रनिंग मीटर लाइन बिछाई गई थी। यद्यपि स्कीम अपूर्ण थी, लेकिन इसे पूर्ण दिखाया गया था। छः (30 में से) लाभार्थियों ने बताया (जुलाई 2021) कि वितरण लाइन नहीं बिछाई गई थी तथा अपर्याप्त जल की आपूर्ति की जा रही थी।
- रिकांगपिओ मण्डल में, जल आपूर्ति स्कीम' 'छम्बल से पांगी (किन्नौर जिला) को अप्रैल 2016 में पूर्ण दिखाया गया था। स्कीम के अनुमोदित कार्य क्षेत्र में इन्टेक चैम्बर, दो भंडारण टैंक (5000 लीटर और 10000 लीटर), क्लोरीनेशन कक्ष तथा वितरण नेटवर्क का निर्माण शामिल था। सितंबर, 2008 में ₹ 9.81 लाख में अवार्ड किए गए एक इन्टेक चैम्बर, आरसीसी भूमिगत भंडारण टैंक (5000 लीटर), क्लोरीनेशन कक्ष, कांटेदार तार बाड़ लगाने, स्थल का विकास तथा विभिन्न व्यास के जस्तीकृत हल्के स्टील ट्यूब बिछाने एवं जोड़ने का कार्य फरवरी, 2010 में पूर्ण हो गया था। शेष कार्य अर्थात् आरसीसी भूमिगत टैंक (10000 लीटर) का निर्माण, स्टैंड

पोस्ट, भंडारण टैंक के लिए स्थल का विकास तथा विभिन्न व्यास के जस्तीकृत हल्के स्टील ट्यूब बिछाने एवं जोड़ने तथा जस्तीकृत हल्के पीट वाल्व को उपलब्ध करवाने तथा लगाने के लिए सितम्बर 2008 में ₹ 6.46 लाख में आबंटित किया गया था जिसको छः माह के भीतर निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना था। तथापि, अभिलेखों की जांच तथा संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि ठेकेदार द्वारा 10,000 लीटर के केवल एक टैंक का निर्माण किया गया था और शेष घटकों का निर्माण नहीं किया गया था। ठेकेदार को ₹ 2.85 लाख की सामग्री[8] (मार्च 2009) जारी की गई थी लेकिन ठेकेदार ने उसका कोई कार्य निष्पादित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि सभी निष्पादित घटक अर्थात् इन्टेक चैम्बर, भंडारण टैंक, क्लोरीनेशन चैम्बर तथा बिछाए गए हल्के स्टील (जस्तीकृत हल्के स्टील) ट्यूब उपयोग में नहीं पाए गए। ₹ 26.18 लाख का कुल व्यय किया गया था तथा स्कीम को अप्रैल 2016 में पूर्ण दिखाया गया था, लेकिन वास्तव में यह स्कीम लेखापरीक्षा की तिथि तक भी अपूर्ण थी। इस प्रकार, स्कीम के निष्पादित कार्य का उपयोग नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.18 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, 2009 से ठेकेदार के पास ₹ 2.85 लाख की सामग्री पड़ी हुई थी। इस प्रकार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का स्कीम का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

- मण्डी जिले में दुल पंजाजन तथा डागोन गांवों के समूह की जल आपूर्ति स्कीम जनवरी 2015 तक पूर्ण होनी थी, जो वास्तव में पूर्ण नहीं हुई थी क्योंकि ₹ 2.57 लाख में तीन ठेकेदारों को दिए गए जस्तीकृत लोहे की पाइप (वितरण नेटवर्क का भाग) बिछाने व जोड़ने के तीन उप-कार्य शुरू नहीं हुए थे। मण्डल ने जनवरी 2022 तक न तो अनुबंधों को रद्द किया था और न ही कार्यों के निष्पादन के लिए कार्रवाई की थी। अपूर्ण स्कीम को मार्च 2018 में पूर्ण दिखाया गया था।

4.6.6 विविध घटकों में कमियां- स्वचालन तथा क्लोरीनीकरण

- उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम काशापाट खड्ड से ड़ंसा (शिमला जिला)

(i) स्कीम का कार्य (जनवरी 2016) ₹ 5.37 करोड़ में आबंटित किया गया था तथा इसे 12 माह के भीतर पूर्ण किया जाना निर्धारित था। यह स्कीम अगस्त 2017 में आरम्भ हुई थी। तथापि, नोड 10 (सारटू) में डिलिवरी टैंक तक पम्पिंग मशीनरी सहित स्वचालन प्रणाली स्कीम के चालू होने से ही कार्य नहीं कर रही थी। स्वचालन प्रणाली की लागत ₹ 45.65 लाख थी। अनुबन्ध के अनुसार, सामान्य स्लूस वाल्व के साथ स्कीम के स्वचालन का प्रावधान था जो स्थल पर अनुकूल नहीं था। वास्तव में स्थल पर स्कीम के पूर्ण स्वचालन के लिए आवश्यक

---

[8] जस्तीकृत आयरन पाइप: 15 मिमी व्यास (500 रनिंग मीटर); 20 मिमी व्यास (1654 रनिंग मीटर); 25 मिमी व्यास (175 रनिंग मीटर); 40 मिमी व्यास (30 रनिंग मीटर) तथा सीमेंट (50 बैग)।

स्व-सक्रिय स्लूस वाल्व[9] तथा स्काडा प्रणाली[10] का कोई प्रावधान नहीं था। स्कीम के पूर्ण स्वचालन के लिए स्व-सक्रिय स्लूस वाल्व तथा स्काडा प्रणाली का प्रावधान सितंबर 2019 में ₹ 43.59 लाख की अतिरिक्त मदों के रूप में किया गया। इन अतिरिक्त मदों को ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाया गया जिसके लिए जून 2020 में ठेकेदार को ₹ 35.17 लाख का भुगतान किया गया। इसके बावजूद, स्वचालन प्रणाली को पिछले 54 माह से कार्यात्मक नहीं बनाया गया था तथा स्कीम को मैनुअल रूप से संचालित किया जा रहा था। इसके कारण रिकॉर्ड में नहीं थे तथा दो वर्षों के लिए स्कीम के संचालन एवं रखरखाव का अनुबंध भी समाप्त हो चुका था। इस प्रकार, विभाग आरम्भ में स्थल पर स्वचालन प्रणाली की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने में विफल रहा था तथा इस घटक पर किए गए ₹ 80.82 लाख (सामान्य स्वचालन प्रणाली: ₹ 45.65 लाख तथा स्व-सक्रिय स्वचालन प्रणाली: ₹ 35.17 लाख) का व्यय व्यर्थ रहा।

(ii) फरवरी 2022 तक स्कीम के जल शोधन संयंत्र पर ब्लीचिंग पाउडर टाईप क्लोरिनेटर को भी कार्यात्मक नहीं बनाया गया था। बताया गया कि क्षेत्रीय भंडारण टैंकों में दैनिक आधार पर ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता था लेकिन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए क्लोरीनयुक्त जल के जल परीक्षण में यह भी देखा गया कि जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित 0.2 मिलीग्राम/लीटर क्लोरीन की तुलना में 0.1 मिलीग्राम/लीटर अवशिष्ट क्लोरीन पाए गए। यह इस तथ्य को इंगित करता था कि विभाग द्वारा उचित क्लोरीनीकरण नहीं किया जा रहा था।

(iii) जल शोधन संयंत्र का कार्य दिसंबर 2014 में ₹ 6.99 करोड़ में आंबटित किया गया था जिसे 12 माह के भीतर पूरा किया जाना था। यह स्कीम अगस्त 2017 में ही पूर्ण तथा चालू कर दी गई थी। जल शोधन संयंत्र में प्रयोगशाला तथा उपकरणों के प्रावधान किए गए थे तथा ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गए थे। अवार्ड पत्र की शर्त के अनुसार, इस प्रयोगशाला को ठेकेदार द्वारा जनवरी 2018 तक छः माह के लिए चलाया जाना था। उसके बाद प्रयोगशाला को संचालन हेतु विभाग को सौंपा जाना था। तथापि, संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि विभाग द्वारा प्रयोगशाला का संचालन नहीं किया जा रहा था तथा उपकरण जनवरी 2018 से बेकार पड़े थे। इस प्रकार, कार्य स्थल पर परीक्षण के अभाव में, गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

- जल आपूर्ति स्कीम यूटीप, बैट, लुड्डू, इत्यादि (चम्बा जिला):

(i) स्कीम के जल शोधन संयंत्र में गैसीय क्लोरीनीकरण प्रणाली स्थापित की गई थी। यद्यपि, यह देखा गया कि 100 किलोग्राम की क्षमता वाले चार स्थापित सिलेंडरों में से (एक सिलेंडर की अवधि चार से पांच माह है), एक भी सिलेंडर अभी तक खत्म नहीं हुआ था, जबकि स्कीम

---

9 रेगुलेटर में एक वाल्व या गेट होता है जो स्लूस हेड गेट के माध्यम से जल के प्रवाह की दर को नियंत्रित करता है।

10 स्काडा: सुपरवाइजरी कण्ट्रोल एवं डाटा अर्जन (स्काडा) सिस्टम कंट्रोल कार्यक्षमता प्रदान करता है ग्रामीण/शहरी जल आपूर्ति स्कीम स्थलों पर सतर्क करता है जो कई मामलों में बहुत दूरस्थ हैं तथा विभिन्न प्रकार के बढ़ते दबावों जैसे उपभोक्ता मांगों, नियामक आवश्यकताओं तथा परिचालन लगातों को कम करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी हैं। यह प्रक्रिया नियंत्रण के लिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम है।

के चालू होने की तिथि (अप्रैल 2017) से 56 माह बीत चुके हैं, जो अनुचित संचालन को इंगित करता है। 09.12.2021 को स्कीमों के आउटलेट से एकत्र किए गए जल के नमूनों का जिला प्रयोगशाला, चम्बा में किए गए जल परीक्षण में हुई पुष्टि के अनुसार इसमें क्लोरीन अवशिष्ट जो 0.2 मिलीग्राम/लीटर होना चाहिए, पहचान सीमा से कम था। यह देखा गया कि कर्मचारियों को इस गैसीय प्रणाली के संचालन के बारे में कोई उचित जानकारी नहीं थी। संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभाग द्वारा गैसीय क्लोरीनीकरण प्रणाली की कोई लॉग-बुक बनाई नहीं गई थी।

(ii) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के प्रावधानों के अनुसार जल शोधन संयंत्र में स्थापित प्रयोगशाला (अप्रैल 2017) 2019 से जीर्ण-क्षीर्ण स्थिति में थी। संयुक्त निरीक्षण में पता चला कि प्रयोगशाला की इमारत बारिश के मौसम में क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा अप्रैल 2017 से ठेकेदार द्वारा स्कीम के संचालन एवं रखरखाव का कार्य किया गया था जिसका अनुबंध अप्रैल 2022 को समाप्त होने वाला था।

- उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजारली (शिमला जिला) में स्कीम के निगर्त कुएं एवं मुख्य भंडारण टैंक के शीर्ष पर स्थापित गैसीय क्लोरीनेशन संयंत्र जून 2019 से खराब पड़ा था, जिसके कारण स्वचालित क्लोरीनेशन नहीं हो पा रहा था।

गैसीय क्लोरीनीकरण संयंत्र

- तीन नमूना-जांचित मण्डलों में, तीन[11] (40 में से) नमूना-जांचित की गई जल आपूर्ति स्कीमों (जुलाई 2016 से नवंबर 2018 के दौरान पूर्ण हुई) में, प्रतिदिन 1900, 1400 तथा 1700 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता के प्रति, मुख्य भंडारण टैंकों में क्रमशः 1200, 1000 और 1000 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर मैनुअली डाला जाता था। इस प्रकार, भंडारण टैंकों में 700, 400 और 700 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की कम मात्रा डाली जाती थी। जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम जूनी खड्ड स्कीम से जल का एक नमूना लिया गया तथा इसका परीक्षण करवाया गया। नमूने में क्लोरीन का कोई अवशिष्ट नहीं दिखा, जिसके कारण जल के नमूने में जीवाणु दूषण (कुल कोलीफॉर्म 23/100 सबसे संभावित संख्या) भी पाया गया।

  इसके अतिरिक्त, दो (उपर्युक्त तीन में से) नमूना-जांचित जल आपूर्ति स्कीमों[12] की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में पूर्ण सहायक उपकरण (स्वचालन प्रणाली) के साथ कैमिकल सॉल्यूशन डोजिंग पंप का प्रावधान रखा गया था, लेकिन स्कीमों के पूर्ण होने के समय इसको निर्मित/संस्थापित नहीं किया गया था। जल शोधन संयंत्र में कैमिकल सॉल्यूशन डोजिंग पंप का निर्माण

---

[11] झंडुता: उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम बरड मनन (नवंबर 2018); मण्डी: उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम जूनी खड्ड से ऊपरी पंडोह (जुलाई 2016); तथा मण्डी: उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम सुका कुन (2017)।

[12] झंडुता: उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम बरड मनन तथा मण्डी: उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम सुका कुन।

न होने के कारण, क्लोरीनीकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर को ऊपर उल्लिखित मुख्य भंडारण टैंकों में मैन्युअली डाला जाता था।

- दो जल आपूर्ति स्कीमों[13] में प्रयोगशाला का प्रावधान स्कीमों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में रखा गया था। ये स्कीमें 2016-17 के दौरान पूर्ण की गई थी, लेकिन इन स्कीमों के निष्पादन के समय प्रयोगशाला का प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया गया था। इस प्रकार, जल शोधन संयंत्र स्थल पर जल का कोई परीक्षण नहीं किया जाता है।

अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) में चर्चा के दौरान, सचिव ने सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित मण्डलों को निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

4.6.7 पूर्ण हो चुकी जलापूर्ति स्कीमों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का प्रभाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पूर्वगामी परिच्छेदों में दर्शाई गई पूर्ण जल आपूर्ति स्कीमों में कमियां थीं, जिसका लाभार्थियों को पेयजल की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा:

- राज्य ने वर्ष 2030 तक सभी शहरी आबादी को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा ग्रामीण आबादी को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा था। तथापि, केवल 10.39 *प्रतिशत* शहरी आबादी तथा 61.43 *प्रतिशत* ग्रामीण आबादी को क्रमशः कम से कम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही थी।

- **परिच्छेद 4.2** में दर्शाए गए चयनित नमूने की नौ उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमों के लाभार्थियों को स्त्रोत एवं पम्पिंग मशीनरी में कमियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आपूर्ति के डिजाइन की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 22 से 67 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बीच तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 73 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजारली) जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही थी।

- जल शोधन इकाई में कमियों के कारण, नौ जल आपूर्ति स्कीमों के लाभार्थियों को असुरक्षित जल की आपूर्ति की जा रही थी। इन स्कीमों में, आपूरित जल मैला, बदबूदार तथा बिना फ़िल्टर के था। क्लोरीनीकरण स्तर में कमियों के परिणामस्वरूप छः जल आपूर्ति स्कीमों में लाभार्थियों को असुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हुई तथा अवशिष्ट क्लोरीन जो 0.2 मिलिग्राम/लीटर होने चाहिए, तीन जल आपूर्ति स्कीमों के आउटलेट से एकत्र किए गए जल नमूने में पहचान सीमा से कम था। लेखापरीक्षा ने एक नमूने का परीक्षण करवाया तथा जल

[13] मण्डी: उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम जूनी खड्ड तथा उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम सुका कुन।

के नमूने में 23/100 सबसे संभावित संख्या का कुल कोलीफॉर्म पाया गया। वास्तव में, आपूर्ति किए गए जल ने लाभार्थियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा किया।

- लाभार्थियों के सर्वेक्षण में हुई पुष्टि के अनुसार भंडारण एवं वितरण नेटवर्क में कमियों के कारण, दो जल आपूर्ति स्कीमों में अपर्याप्त पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी।

4.7 नमूना-जांचित पूर्ण स्कीमों का लाभार्थी सर्वेक्षण

लेखापरीक्षा दल द्वारा 40 पूर्ण हो चुकी स्कीमों के संबंध में लाभार्थियों का सर्वेक्षण (जुलाई 2021-मार्च 2022) किया गया था। सर्वेक्षण में प्रत्येक स्कीम के शुरुआत से अंतिम छोर तक 1109 लाभार्थियों को शामिल किया गया (शुरुआती लाभार्थी: 279, मध्य लाभार्थी: 256 तथा अंतिम छोर के लाभार्थी: 574)। सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा तथा उनका संतुष्टि स्तर नीचे **तालिका-4.5** में दिया गया है:

तालिका-4.5

नमूना-जांचित की गई 40 पूर्ण स्कीमों के संबंध में लाभार्थी सर्वेक्षण तथा संतुष्टि स्तर का विवरण

मापदंड	सर्वेक्षण किए गए लाभार्थी	संतुष्टि स्तर प्रतिक्रिया	
		लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशतता
सुरक्षित/पीने योग्य पेयजल के बारे में जागरूकता	1,109	987	89
पीने, खाना पकाने एवं अन्य घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त जल की आपूर्ति	1,109	885	80
वर्ष भर पेयजल की आपूर्ति की उपलब्धता	1,109	824	74
नियमित अंतराल पर पेयजल की आपूर्ति	1,109	903	81
पेयजल की आपूर्ति न होने से संबंधित विभाग के पास दर्ज कराई गई पानी की शिकायतें	1,109	440	40
बहु/वैकल्पिक स्रोतों से पेयजल तक पहुंच	1,109	558	50
अंतिम छोर तक गृहवासियों को पर्याप्त जल (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) की आपूर्ति	574	427	74
लाभार्थी की जल गुणवत्ता संतुष्टि	1,109	876	79
परीक्षण के लिए जल आपूर्ति स्त्रोतों से नमूनों का संग्रहण	1,109	237	21
निजी स्रोतों (कुओं/ बावड़ियों) के जल के नमूनों का संग्रह तथा परीक्षण	1,109	95	09
जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के स्थानों के बारे में जागरूकता	1,109	138	12
लाभार्थियों को दिए जा रहे पेयजल पर प्रशिक्षण तथा जागरूकता देने वाली सूचना, शिक्षा एवं संचार की गतिविधियां	1,109	184	17
संचालन एवं रखरखाव के कारण अकार्यात्मक जल आपूर्ति स्कीमें	1,109	383	35
जल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के बारे में जागरूकता	1,109	118	11
प्रयोक्ता प्रभारों का संग्रहण तथा उनका स्कीमों के संचालन एवं रखरखाव के लिए उपयोग	1,109	643	58
बिलिंग/पर्याप्त जल प्रयोजन हेतु गृहवासियों के लिए पानी के मीटर की स्थापना	1,109	25	2
आपूर्ति किए जा रहे जल की मात्रा के बावजूद विभाग को फ्लैट प्रभारों का भुगतान किया गया	1,109	851	77

ऊपर दी गई **तालिका** से देखा जा सकता है कि:

- जल की पर्याप्त आपूर्ति का समग्र संतुष्टि स्तर 80 *प्रतिशत* था, लेकिन अंतिम छोर के लाभार्थियों का संतोषजनक स्तर 74 *प्रतिशत* था।
- यद्यपि सर्वेक्षण किए गए कुल लाभार्थियों में से 79 *प्रतिशत* उन्हें आपूर्ति की जा रही जल की गुणवत्ता से संतुष्ट थे, केवल 21 *प्रतिशत* परीक्षण के लिए जल आपूर्ति स्त्रोतों से नमूने एकत्र करने के बारे में जानते थे, 12 *प्रतिशत* जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के स्थानों के बारे में जानते थे, 17 *प्रतिशत* ने पेयजल पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता सृजन गतिविधियों के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी तथा केवल 11 *प्रतिशत* को जल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए फील्ड टेस्ट किट के बारे में पता था।

4.8 चयनित अपूर्ण जलापूर्ति स्कीमों में कमियां

पंद्रह चयनित मण्डलों से 15 अपूर्ण पेयजल आपूर्ति स्कीमों को विस्तृत जांच के लिए लिया गया था। इन स्कीमों का ब्यौरा **परिशिष्ट-2** में दिया गया है तथा लेखापरीक्षा के दौरान नौ स्कीमों में पाई गई कमियों का उल्लेख **तालिका-4.6** में किया गया है।

तालिका-4.6

नमूना-जांचित मण्डलों में अपूर्ण स्कीमों में कमियां

(₹ करोड़ में)

स्कीम का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति का मास / निर्धारित पूर्णता अवधि	अनुमोदित लागत/ व्यय	स्कीम की स्थिति	लेखापरीक्षा मुद्दे तथा उत्तर
1. मण्डी जिला में ढाबन तथा टांडा के आंशिक रूप से आच्छादित की गई बस्ती को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना (बग्गी मण्डल)	जनवरी 2017 तथा सितंबर 2019 / 4 वर्ष	1.00 व 3.14/1.19	*सितंबर 2021 तक अपूर्ण* (चल रहा विलंब: 8 माह) - ट्यूबवेल की ड्रिलिंग पूर्ण की गई थी (जुलाई 2017)	**वितरण प्रणाली, पंप हाउस, संप वेल तथा भंडारण टैंक, निधियों की कमी इत्यादि के कार्यों को आबंटित किया गया (अगस्त 2019 से मार्च 2021); तथा परिणामत: स्कीम को पूर्ण करने में विफलता।** अधिशाषी अभियंता ने (अक्टूबर 2021) बताया कि स्रोत/बोरवेल के विकास के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण स्कीम में विलम्ब हुआ। तथापि, बोरवेल को जुलाई 2017 में ही मण्डल द्वारा ड्रिल कर दिया गया था ।
2. बिलासपुर जिला के अली खड्ड से शिरा की उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम से आंशिक रूप से	अगस्त 2009 तथा सितंबर 2012 / 4 वर्ष	1.06/0.71	*अक्टूबर 2021 तक अपूर्ण* (चल रहा विलंब: 61 माह) - ठेकेदार द्वारा वितरण सिस्टम 15382	**जल शोधन संयंत्र, पंप हाउस, क्लियर वॉटर टैंक के निष्पादन तथा राइजिंग मेन बिछाने के लिए भार मुक्त भूमि की अनुपलब्धता;** **पंप हाउस का निर्माण नहीं होने के कारण सितंबर 2015 में ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाई गई पंपिंग मशीनरी बेकार पड़ी थी।**

स्कीम का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति का मास / निर्धारित पूर्णता अवधि	अनुमोदित लागत/ व्यय	स्कीम की स्थिति	लेखापरीक्षा मुद्दे तथा उत्तर
आच्छादित बस्ती (बिलासपुर मण्डल)			रनिंग मीटर (18470 रनिंग मीटर में से) बिछाया गया (02/2017 तक)	अधिशाषी अभियंता ने बताया (अक्टूबर 2021), कि जल शोधन संयंत्र, पंप हाउस इत्यादि की साईट पर भूमि विवाद के कारण स्कीम को पूर्ण नहीं किया जा सका। विभाग ने उचित अनुक्रम का पालन अर्थात् पहले जल का एक विश्वसनीय स्रोत, जल शोधन संयंत्र तथा पंप हाउस सुनिश्चित नहीं किया।
3. हमीरपुर जिला में उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम बगवार का निर्माण (भोरंज मण्डल)	सितंबर 2018 / 4 वर्ष	0.80/0.11	अक्टूबर 2021 तक अपूर्ण	**ठेकेदारों द्वारा तीन वर्ष से अधिक समय से स्कीम का निष्पादन न किया जाना। विभाग द्वारा कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी।** अधिशाषी अभियंता ने बताया (नवंबर 2021) कि ठेकेदारों द्वारा कार्यों का निष्पादन नहीं करने के मामले की जांच की जाएगी तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
4. चम्बा जिला में छावनी क्षेत्र डलहौजी को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना (डलहौजी मण्डल)	अभी तक अनुमोदित नहीं है।	--/0.19	अगस्त 2021 तक आरम्भ नहीं की गई	**वन भूमि की अनुपलब्धता के कारण स्कीम का अनुमोदन न होना।**
5. कांगड़ा जिला में जल आपूर्ति स्कीम रामनगर शामनगर में पीने योग्य नल के जल में सुधार के लिए लिए अत्याधुनिक जल संयंत्र (धर्मशाला मण्डल)	नवंबर 2018 / 5 वर्ष	5.46/1.50	*फरवरी 2022 तक अपूर्ण* (स्कीम दो वर्ष से अधिक समय से रूकी पड़ी थी)	**भूमि की अनुपलब्धता।** **ठेकेदार को ₹1.49 करोड़ का भुगतान किया गया था (अक्टूबर 2019) लेकिन अभी तक समायोजित नहीं किया गया था; तथा ठेकेदार को ₹ 32.71 लाख की अतिरिक्त प्रतिभूत अग्रिम का भुगतान किया गया था लेकिन अनुबंध-विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।** अधिशाषी अभियंता ने बताया (मार्च 2022) कि बस्ती-वासियों ने आरम्भ में भूमि दान करने पर सहमति व्यक्त की थी लेकिन बाद में इनकार कर दिया। साईट बदली जा रही है।
6. कुल्लू जिला में रायसन माली पाथेर जल आपूर्ति स्कीम का संवर्धन (कुल्लू-1 मण्डल)	दिसंबर 2014 / 4 वर्ष	2.56/2.30	*जुलाई 2021 तक अपूर्ण* (जल शोधन संयंत्रों के निर्माण के बिना मार्च 2021 में आरम्भ की गई स्कीम)	**जुलाई 2021 तक फेज-1 के अवसादन टैंक तथा धीमी रेत फिल्टर बेड के कार्य को आबंटित न करना;** **ठेकेदारों को आबंटित किए गए अवसादन टैंक तथा धीमी रेत फिल्टर बेड (फेज़-II) के कार्य का निष्पादन न करना (अगस्त 2016)।** अधिशाषी अभियंता ने बताया (अगस्त 2021) कि नाला स्रोत आरम्भ में प्रस्तावित किया गया

स्कीम का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति का मास / निर्धारित पूर्णता अवधि	अनुमोदित लागत/ व्यय	स्कीम की स्थिति	लेखापरीक्षा मुद्दे तथा उत्तर
				था, लेकिन निष्पादन के दौरान स्कीम के लिए जल झरना स्रोत से दोहन किया गया था, जिसके लिए अवसादन टैंकों तथा फिल्टर बेडों की कोई आवश्यकता नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग के निर्देशानुसार (मार्च 2016) सभी नई जल आपूर्ति स्कीमों में जल शोधन संयंत्र का निर्माण करना अनिवार्य था।
7. शिमला जिला में 8 नम्बर उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमों का संवर्धन (मतियाना मण्डल)	मार्च 2012 / 5 वर्ष	12.79/9.42	*फरवरी 2022 तक अपूर्ण* (पंप हाउस (दूसरा चरण) का कार्य तथा वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य प्रगति पर है।)	**प्रथम चरण के जल शोधन संयंत्र एवं पम्प हाउस के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल की अनुपलब्धता;** **पहले और दूसरे चरण के लिए ठेकेदार द्वारा अगस्त 2016 में उपलब्ध करवाई गई पंपिंग मशीनरी (₹2.18 करोड़) फरवरी 2022 तक बेकार पड़ी थी।** अधिशाषी अभियंता ने बताया (मार्च 2022) कि वन संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति न मिलने तथा स्थल विवादों के कारण स्कीम विलम्बित हुई। तथापि, तथ्य यह है कि विभाग ने स्कीम को चालू करने के लिए पहले जल का विश्वसनीय स्रोत, जल शोधन संयंत्र तथा पंप हाउस को सुनिश्चित करने के अनुक्रम का पालन नहीं किया।
8. कांगड़ा जिला में जल आपूर्ति स्कीम कुसमल बगोरा के अंतर्गत आच्छादित नहीं की गई/ आंशिक रूप से आच्छादित की गई बस्तियों को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना (पालमपुर मण्डल)	फरवरी 2012 / 3 वर्ष	0.62/0.59	*दिसंबर 2021 तक अपूर्ण* (चल रहा विलंब: 82 माह) - वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण किया (07/2014)	**वन विभाग की स्वीकृति न मिलने के कारण कार्य का निष्पादन न होना।** अधिशाषी अभियंता ने बताया (जनवरी 2022) कि अभिप्रेत उद्देश्य के लिए वन भूमि के परिवर्तन का मामला शुरू किया गया था, लेकिन अनुमोदन प्रतीक्षित था।
9. चम्बा जिला के छुटे हुए हाडला बनेटू को जल आपूर्ति स्कीम (सलूणी मण्डल)	मार्च 2014 / 3 वर्ष	0.48/0.29	*सितंबर 2021 तक अपूर्ण* (चल रहा विलंब: 54 माह)- ठेकेदार द्वारा अक्टूबर 2015 तक 6,810 रनिंग मीटर	**अक्टूबर 2014 में आंबटित किए गए इन्टेक चैम्बर, आरसीसी भण्डारण टैंक तथा वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य सितंबर 2021 तक ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया गया था।** संबंधित अधिशाषी अभियंता ने बताया (अक्टूबर 2021) कि ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई विचाराधीन है।

स्कीम का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति का मास / निर्धारित पूर्णता अवधि	अनुमोदित लागत/ व्यय	स्कीम की स्थिति	लेखापरीक्षा मुद्दे तथा उत्तर
			(20615 रनिंग मीटर में से) की वितरण प्रणाली बिछाई गई	

अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान, सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि अपूर्ण स्कीमों की स्थिति अब बदल गई है। यह भी कहा गया कि चूककर्ता ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ करने के लिए संबंधित मण्डलों के साथ मामले को उठाया जाएगा।

निष्कर्ष

राज्य का 100 *प्रतिशत* ग्रामीण गृहवासियों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य जून 2021 तक आंशिक रूप से (76 *प्रतिशत*) पूर्ण हो गया था। नमूना-जांचित किए गए मण्डलों में लाभार्थी आबादी को पेयजल की लक्षित मात्रा तथा गुणवत्ता प्रदान नहीं की जा सकी। स्त्रोत, जल शोधन इकाई, पम्पिंग मशीनरी, राइजिंग/ग्रेविटी मेन, भण्डारण टैंक/ वितरण नेटवर्क तथा ऑटोमेशन/ क्लोरीनेशन सिस्टम में कमियां थीं, जिससे प्रयोक्ता आबादी को आपूर्ति किए गए जल की मात्रा तथा गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सिफारिशें

विभाग को जल आपूर्ति प्रतिष्ठापनों की मुरम्मत/ संवर्धन करके नागरिकों को लक्षित पेयजल की गुणवत्ता तथा न्यूनतम मात्रा दोनों सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए। नियमित अंतराल पर इसे स्कीमों की प्रभावशीलता को मापने के लिए लाभार्थी आबादी की प्रतिक्रिया भी लेनी चाहिए।

अध्याय-V

जल गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं निगरानी, जनशक्ति प्रबंधन तथा आंतरिक नियन्त्रण एवं अनुश्रवण

अध्याय-V

जल गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं निगरानी, जनशक्ति प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण

क - जल गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं निगरानी

जल आपूर्ति की गुणवत्ता का अनुश्रवण, पेयजल की सुरक्षा का सत्यापन, रोग के प्रकोप की जांच, सत्यापन प्रक्रिया के रूप में तथा निवारक उपाय करने के लिए जल परीक्षण महत्वपूर्ण है। स्रोत पर पाइप द्वारा वितरण प्रणाली के भीतर; अथवा उपभोक्ताओं को आपूर्ति के स्थान पर, पेयजल की सुरक्षा तय करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों के उपयोग करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल/ जल जीवन मिशन के जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी घटक के अंतर्गत राज्य, जिला तथा उप-जिला स्तरों पर जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उन्नयन किया जाना था। प्रयोगशालाओं की स्थापना/ उन्नयन के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधियों का तीन *प्रतिशत* राज्य को जारी किया गया था जबकि जल जीवन मिशन निधियों का दो *प्रतिशत* इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध था।

विभाग ने अपनी राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित नहीं की थी। राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में एक निजी प्रयोगशाला को नामित किया गया था तथा मार्च 2022 तक 43 (59 में से) प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन मण्डल से मान्यता प्राप्त थी।

5.1 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला प्रयोगशालाओं द्वारा जांचे गए नमूनों में से पांच *प्रतिशत* का राज्य प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाना था। इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण गृहवासियों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना था। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/ जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी पेयजल स्रोतों के जल गुणवत्ता परीक्षण जीवाणुतत्व-संबंधी संदूषण के लिए वर्ष में कम से कम दो बार तथा रासायनिक संदूषण के लिए वर्ष में एक बार किए जाने चाहिए। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन ने पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने की योजना भी बनानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(i) विभाग ने मार्च 2021 तक अपनी राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित नहीं की थी। तथापि, एक निजी प्रयोगशाला[1] को राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में नामित (मार्च 2016)

[1] मैसर्ज़ ईको लेबोरेटरीज एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड मोहाली।

किया गया था। विभाग नामित राज्य प्रयोगशाला के माध्यम से आवश्यक संख्या में जल गुणवत्ता परीक्षण करने में असमर्थ था।

अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान, यह बताया गया कि राज्य प्रयोगशाला मण्डी जिला के धर्मपुर में स्थापित की गई है, जिसे शीघ्र ही कार्यात्मक बना दिया जाएगा।

(ii) कुल 59 विभागीय प्रयोगशालाओं (जिला प्रयोगशालाएं: 14 तथा उप-मण्डलीय प्रयोगशालाएं: 45) में से 43 प्रयोगशालाओं (जिला प्रयोगशालाएं: 14 तथा उप-मण्डलीय प्रयोगशालाएं: 29) के पास मार्च 2022 तक राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त थी।

मुख्य अभियंता (सर्वेक्षण एवं जांच) ने कहा (मार्च 2022) कि शेष प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर थी।

5.2 प्रयोगशालाओं में आवश्यक आधारभूत संरचना की उपलब्धता

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी समरूप पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक उपकरण/आधारभूत संरचना का विवरण तथा नमूना-जांचित किए गए 20 मण्डलों में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में वास्तविक उपलब्धता का विवरण तालिका-**5.1**, **5.2** और **5.3** में नीचे दिया गया है।

तालिका-5.1

नमूना-जांचित किए गए 20 मण्डलों की प्रयोगशालाओं में अनुशंसित उपकरणों की उपलब्धता का विवरण

क्र.सं.	आवश्यक उपकरण	आवश्यक उपकरणों वाली प्रयोगशालाओं की संख्या	आवश्यक उपकरणों के बिना प्रयोगशालाओं की संख्या (*प्रतिशत*)
1.	संभावित हाइड्रोजन (पीएच) मापक (दोनों, प्रयोगशाला आधारित तथा पीने योग्य)	15	5 (25)
2.	पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ/ चालकता मापयन्त्र (दोनों, प्रयोगशाला आधारित तथा पीने योग्य)	17	3 (15)
3.	नेफेलोमीटर (गंदलापन मापक)	20	0
4.	डिजिटल बैलेंस	20	0
5.	यूवी - दृश्यमान स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	13	7 (35)
6.	रेफ्रिज़रेटर	20	0
7.	स्टिल वॉटर	10	10 (50)
8.	2 वोल्टेज स्टेबलाइजर/ इनवर्टर	3	17 (85)
9.	1 हॉट प्लेट	20	0
10.	हीटिंग मेंटल	5	15 (75)
11.	वॉटर बाथ	16	4 (20)
12.	2 हॉट एयर ओवन	6	14 (70)
13.	2 जीवाणुतत्व-संबंधी इन्क्यूबेटर	8	12 (60)
14.	1 आटोक्लेव	20	0
15.	1 चुम्बकीय स्टर्र	17	3 (15)

क्र.सं.	आवश्यक उपकरण	आवश्यक उपकरणों वाली प्रयोगशालाओं की संख्या	आवश्यक उपकरणों के बिना प्रयोगशालाओं की संख्या (*प्रतिशत*)
16	वैक्यूम पंप	14	6 (30)
17.	जीवाणुतत्व-संबंधी विश्लेषण के लिए यूवी लैमिनार एयर फ्लो चैम्बर	14	6 (30)
18.	प्लेट काउंट और कॉलोनी काउंटर	6	14 (70)
19.	आइसपैक के साथ कूल बॉक्स	4	16 (80)
20.	इलेक्ट्रोड के साथ विशिष्ट आयन मापक (फ्लोराइड एवं नाइट्रेट इत्यादि के लिए)	1	19 (95)
21.	ऑटो ब्यूरेट एंड ऑटो पिपेट	11	9 (45)
22.	ताप-मापक यंत्र	20	0
23.	एकल चरण आसवन उपकरण	11	9 (45)
24.	डबल डिस्टिलेशन उपकरण	17	3 (15)
25.	सेंट्रीफ्यूज	3	17 (85)

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

संबंधित मण्डलों के अधिशाषी अभियन्ताओं ने बताया कि जहाँ आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं थे, वहाँ फील्ड टेस्ट किट्स के माध्यम से जल परीक्षण किया जाता है। तथापि, समरूप पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल के परिच्छेद 5.1.1 के अनुसार, फील्ड टेस्ट किट्स का उपयोग करके किये गए सभी सकारात्मक परीक्षण किए गए नमूनों को पुष्टि के लिए निकटतम जिला/ उप-मण्डलीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाना था। इस प्रकार, फील्ड टेस्ट किट्स के माध्यम से किए गए परीक्षणों को विश्वसनीय नहीं माना गया।

आठ जिला प्रयोगशालाओं में विशिष्ट उपयोगिता के अनुशंसित उपकरणों की उपलब्धता का विवरण **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका-5.2

आठ जिला प्रयोगशालाओं में विशिष्ट उपयोगिता के अनुशंसित उपकरणों की उपलब्धता का विवरण

क्रम संख्या	आवश्यक उपकरण	आवश्यक उपकरणों वाली जिला प्रयोगशालाओं की संख्या	आवश्यक उपकरण न रखने वाली जिला प्रयोगशालाओं की संख्या (*प्रतिशत*)
1.	सूक्ष्मदर्शी	5	3 (38)
2.	फ्लेम प्रोटेक्टर	0	8 (100)
3.	फ्यूम कप-बोर्ड	1	7 (88)
4.	आर्गन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर	0	8 (100)
5.	क्जेल्दहल आसवन उपकरण	0	8 (100)
6.	प्रेशर पंप	1	7 (88)
7.	मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन	6	2 (25)

स्रोतः विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

तालिका-5.3

नमूना-जांचित किए गए 20 मण्डलों की प्रयोगशालाओं में आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता का विवरण

क्रम संख्या	आवश्यक अवसंरचना	आवश्यक अवसंरचना वाली प्रयोगशालाओं की संख्या	आवश्यक अवसंरचना न रखने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या (*प्रतिशत*)
1.	स्थान की उपलब्धता (80 वर्ग मीटर)	09	11 (55)
2.	कंप्यूटर की उपलब्धता	18	02 (10)
3.	इंटरनेट की उपलब्धता	14	06 (30)
4.	यूपीएस (अबाधित विद्युत आपूर्ति) की उपलब्धता	11	09 (45)
5.	इन्वर्टर्स की उपलब्धता (बैक अप के लिए)	02	18 (90)
6.	प्रिंटर	17	03 (15)
7.	दूरभाष सुविधा	05	15 (75)
8.	एयर-कंडीशनर	11	09 (45)
9.	गैस का प्रावधान (एलपीजी गैस)	शून्य	20 (100)

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

इस प्रकार, प्रयोगशालाएँ जिला एवं उप-जिला स्तरों पर जीवाणुतत्व-संबंधी एवं रासायनिक परीक्षण करने के लिए अनुशंसित उपकरण/ अवसंरचना से सुसज्जित नहीं थीं।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा उपकरण/अवसंरचना की उपलब्धता की समीक्षा एवं अनुश्रवण का आश्वासन दिया (दिसम्बर 2022)।

14 जिला प्रयोगशालाओं द्वारा किए जाने वाले आवश्यक 84,000 जल गुणवत्ता परीक्षणों के प्रति, 2019-21 के दौरान केवल 56,238 नमूनों का परीक्षण किया गया। एक से 18 नमूना जांचित प्रयोगशालाओं में आवश्यक 11 (13 में से) जल गुणवत्ता मानकों के परीक्षण नहीं किए गए थे। 2016-21 के दौरान निर्धारित परीक्षणों के लक्ष्य, किए जाने वाले आवश्यक रासायनिक एवं जीवाणुतत्व-संबंधी परीक्षणों की मात्रा के अनुरूप नहीं थे। परीक्षण (मई 2016 तथा फरवरी 2021 के मध्य) किए गए 209 जल गुणवत्ता नमूनों के परिणामों में, पांच नमूना-जांचित मण्डलों में कॉलीफॉर्म पाया गया। दो प्रयोगशालाओं के बीच एक स्कीम के पानी के नमूने के परिणामों में अंतर देखा गया। दो नमूना-जांचित किए गए मण्डलों में, एक्सपायर्ड फील्ड टेस्ट किट्स जारी की गई थी।

5.3 किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण

(i) जिला प्रयोगशालाओं तथा राज्य प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला प्रयोगशाला को भौगोलिक दृष्टि से बेतरतीब ढंग से फैले सभी स्रोतों को आवृत्त करते हुए प्रति माह 250 जल स्रोतों/ नमूनों का परीक्षण करना आवश्यक था, जिसमें कम से कम 13 मूलभूत जल गुणवत्ता मापदंडों के लिए उप-मण्डल/ मोबाइल प्रयोगशाला द्वारा संदर्भित किए गए सकारात्मक पाए गए नमूने शामिल थे तथा जिला प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किए गए नमूनों का पांच *प्रतिशत* राज्य प्रयोगशालाओं में प्रतिसत्यापन किया जाना था।

14 जिला प्रयोगशालाओं द्वारा किए जाने वाले आवश्यक 84,000 जल गुणवत्ता परीक्षणों के प्रति, 2019-21 के दौरान केवल 56,238 नमूनों का परीक्षण किया गया। 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान आवश्यक परीक्षणों की उपलब्धियों में कमी 32 तथा 35 *प्रतिशत* के बीच थी। इसी प्रकार, किए जाने वाले आवश्यक 2812 जल गुणवत्ता प्रति-सत्यापन परीक्षणों के प्रति, **तालिका 5.4** में दिए गए विवरण के अनुसार, 2019-20 के दौरान नामित प्रयोगशाला में केवल 50 नमूनों का परीक्षण किया गया था।

तालिका 5.4

2019-21 के दौरान जिला प्रयोगशालाओं एवं नामित राज्य प्रयोगशाला में किये गये जल गुणवत्ता परीक्षणों का विवरण

(परीक्षणों की संख्या)

वर्ष	जिला प्रयोगशालाओं की संख्या	जिला प्रयोगशालाओं द्वारा किए जाने वाले आवश्यक परीक्षण	जिला प्रयोगशालाओं द्वारा वास्तव में किए गए परीक्षण	कमी (*प्रतिशत*)	राज्य प्रयोगशाला द्वारा किए जाने वाले आवश्यक परीक्षण	राज्य प्रयोगशालाओं द्वारा वास्तव में किए गए परीक्षण	कमी (*प्रतिशत*)
2019-20	14	42000	28751	13249(32)	1438	27	1411(98)
2020-21	14	42000	27487	14513(35)	1374	23	1351(98)
कुल		**84000**	**56238**	**27762(33)**	**2812**	**50**	**2762(98)**

स्रोतः विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

(ii) प्रयोगशालाओं में जल गुणवत्ता मापदंडों का परीक्षण

समरूप पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल (फरवरी 2013), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार, राज्य में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में 13 जल गुणवत्ता परीक्षण मापदंडों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक था।

नमूना-जांचित की गई 20 प्रयोगशालाओं में आवश्यक मापदंडों के जल गुणवत्ता परीक्षण का विवरण **परिशिष्ट-4** में दिया गया है तथा नमूना-जांचित प्रयोगशालाओं में किए जा रहे जल गुणवत्ता परीक्षणों का मापदंड-वार विवरण **तालिका 5.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5

नमूना-जांचित प्रयोगशालाओं में किए गए मापदंड-वार जल गुणवत्ता परीक्षण का विवरण

क्रम संख्या	आवश्यक मापदंड	नमूना-जांचित प्रयोगशालाओं की संख्या जिन्होंने आवश्यक मापदंड पर परीक्षण किए	प्रयोगशालाओं की संख्या जिन्होंने परीक्षण नहीं किए
1.	संभावित हाइड्रोजन	20	निरंक
2.	गंदलापन	19	01
3.	कुल घुलित ठोस	19	01
4.	कुल कठोरता	20	निरंक
5.	क्षारीयता	19	01
6.	फ्लोराइड	08	12
7.	क्लोराइड	19	01

क्रम संख्या	आवश्यक मापदंड	नमूना-जांचित प्रयोगशालाओं की संख्या जिन्होंने आवश्यक मापदंड पर परीक्षण किए	प्रयोगशालाओं की संख्या जिन्होंने परीक्षण नहीं किए
8.	सल्फेट	04	16
9.	नाइट्रेट	09	11
10.	आर्सेनिक	02	18
11.	लौह	14	06
12.	कुल कॉलीफॉर्म	18	02
13.	इ-कोलाई	13	07

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि एक से 18 (20 में से) नमूना-जांचित प्रयोगशालाओं (आर्सेनिक: 18 प्रयोगशालाओं; सल्फेट: 16 प्रयोगशालाओं; नाइट्रेट: 11 प्रयोगशालाओं; फ्लोराइड: 12 प्रयोगशालाओं, इ-कोलाई: सात प्रयोगशालाओं तथा आयरन: छ: प्रयोगशालाओं) में आवश्यक 11 (13 में से) जल गुणवत्ता मापदंडों का परीक्षण नहीं किया गया था।

संबंधित मण्डलों के अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (अगस्त 2021-मार्च 2022) कि उपकरणों की अनुपलब्धता एवं स्टाफ की कमी के कारण मापदंडों का परीक्षण नहीं किया गया था।

मुख्य अभियंता एवं निदेशक प्रभारी (सर्वेक्षण एवं जांच) ने बताया (मार्च 2022) कि वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुसार जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तथापि, तथ्य यह है कि विभाग ने जल की गुणवत्ता के आश्वासन के लिए जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार जल गुणवत्ता परीक्षणों के लक्ष्यों की पर्याप्त मात्रा निर्धारित नहीं की थी। विभाग जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पानी की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए आवश्यक परीक्षणों का केवल दो *प्रतिशत* ही कर सका जैसाकि **तालिका 5.4** में दर्शाया गया है।

(iii) जीवाणुतत्व-संबंधी तथा रासायनिक संदूषण के लिए जल स्रोत का परीक्षण

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जीवाणुतत्व-संबंधी संदूषण के लिए वर्ष में कम से कम दो बार तथा रासायनिक संदूषण के लिए वर्ष में एक बार सभी पेयजल स्रोतों के जल गुणवत्ता परीक्षण किए जाने चाहिए। वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य में किए जाने वाले जल स्रोतों के जल गुणवत्ता परीक्षणों, निर्धारित लक्ष्यों तथा उनकी उपलब्धियों का विवरण **तालिका 5.6** में दिया गया है।

तालिका-5.6

2016-21 के दौरान राज्य में किये जाने वाले जल स्रोतों के जल गुणवत्ता परीक्षणों, निर्धारित लक्ष्यों तथा उनकी उपलब्धियों का विवरण

(परीक्षणों की संख्या)

वर्ष	जल स्रोतों की संख्या	रासायनिक और जीवाणुतत्व-संबंधी परीक्षण			
		दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक परीक्षण	राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	अधिक (+) कमी (-) (*प्रतिशत*)
2016-17	1,53,722	4,61,166	66,000	71,344	(+)5,344 (8)
2017-18	1,56,091	4,68,273	75,000	78,144	(+)3,144 (4)

वर्ष	जल स्रोतों की संख्या	रासायनिक और जीवाणुतत्व-संबंधी परीक्षण			
		दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक परीक्षण	राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	अधिक (+) कमी (-) (*प्रतिशत*)
2018-19	1,55,440	4,66,320	77,000	76,419	(-) 581(01)
2019-20	1,55,992	4,67,976	1,32,000	1,01,332	(-)30,668(23)
2020-21	1,95,986	5,87,958	2,02,238	1,53,477	(-)48,761(24)
कुल		**24,51,693**	**5,52,238**	**4,80,716 (87 *प्रतिशत*)**	

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

राज्य में जल गुणवत्ता परीक्षण के लक्ष्य 2016-18 के दौरान प्राप्त किए गए जबकि 2018-19 और 2020-21 के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी एक से 24 *प्रतिशत* के बीच रही। 2016-21 के दौरान निर्धारित परीक्षणों के लक्ष्य राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/ जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाने वाले आवश्यक रासायनिक तथा जीवाणुतत्व-संबंधी परीक्षणों की मात्रा के अनुरूप नहीं थे। निर्धारित लक्ष्यों में आवश्यकता की तुलना में कमी 77.5 *प्रतिशत* थी। इस प्रकार, लोगों को उपलब्ध करवाये जा रहे जल की गुणवत्ता पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

मुख्य अभियंता सह निदेशक प्रभारी (सर्वेक्षण एवं जांच) ने बताया (मार्च 2022) कि वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तथ्य यह रहा कि लक्ष्य दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित नहीं किए गए थे।

(iv) जीवाणुतत्व-संबंधी/रासायनिक परीक्षणों की विफलता तथा उपचारात्मक कार्रवाई आरम्भ न करना

कुल कॉलीफॉर्म, फेकल कॉलीफॉर्म तथा इ-क़ोलाई सभी पेयजल संदूषण के संकेतक हैं। ये संदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- पांच (20 में से) मण्डलों[2] में, 209 जल गुणवत्ता नमूनों (71,804 में से) के परीक्षण (मई 2016 तथा फरवरी 2021 के मध्य) के परिणामों में कॉलीफॉर्म पाया गया।
- विभाग द्वारा नमूना-जांचित एक (20 में से) मण्डल (हमीरपुर) में सात स्कीमों से नमूने एकत्रित किए गए थे तथा उन्हें **तालिका 5.7** में दिए गए विवरण के अनुसार कॉलीफॉर्म, इ-कोलाई तथा अतिरिक्त लौह के साथ सकारात्मक पाया गया था।

तालिका 5.7

हमीरपुर मण्डल में विफल परीक्षण नमूनों (कॉलीफॉर्म, इ-कोलाई के साथ सकारात्मक) का विवरण

क्र. सं.	स्कीम	नमूने की तिथि	विफल हुए परीक्षण का नाम	तिथि जब नमूना उपयुक्त पाया गया	अवधि जब दूषित पानी की आपूर्ति की गई थी।
1.	बोर संख्या-1 एनआईटी कम्प्यूटर केन्द्र	26 मई 2016	इ-कोलाई	दोबारा नहीं किया गया	26 मई 2016 से
2.	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम टिल्लू जलाड़ी	16 अक्तूबर 2019	कॉलिफोर्म	22 अक्तूबर 2019	16 अक्तूबर 2019 से 21 अक्तूबर 2019

[2] बग्गी: 25, चम्बा: 07, कुल्लु-1: 153, मण्डी: 13 तथा मतियाना: 11

क्र. सं.	स्कीम	नमूने की तिथि	विफल हुए परीक्षण का नाम	तिथि जब नमूना उपयुक्त पाया गया	अवधि जब दूषित पानी की आपूर्ति की गई थी।
3.	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम सालघून घट्टा	16 फरवरी 2016	इ-कोलाई	1 मार्च 2016	16 फरवरी 2016 से 28 फरवरी 2016
4.	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम सालघून घट्टा	15 सितम्बर 2021	कॉलिफोर्म	21 सितम्बर 2021	15 सितम्बर 2021 से 20 सितम्बर 2021
5.	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम धनेटा	29 नवम्बर 2019	इ-कोलाई	दोबारा नहीं किया गया	29 नवम्बर 2019 से
6.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के पास हैंडपंप रैल (नादौन उपमण्डल)	19 सितम्बर 2018	आयरन	दोबारा नहीं किया गया	19 सितम्बर 2018 से
7.	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम बाड़ाचोरू	26 फरवरी 2021	इ-कोलाई	दोबारा नहीं किया गया	26 फरवरी 2021 से

सात स्कीमों में से, तीन स्कीमों के संबंध में नमूने दोहराए गए थे लेकिन न ही कोई उपचारात्मक कार्रवाई अभिलेखों में देखी गई थी और न ही शेष स्कीमों के संबंध में नमूने दोहराए गए थे। इसके अतिरिक्त, स्कीमों को बंद करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी परिस्थितियों में जल जनित रोगों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अधिशाषी अभियंता, हमीरपुर ने बताया (दिसंबर 2021) कि संबंधित व्यक्तियों (कीमैन) को मौखिक निर्देश जारी किए जाते हैं कि जब तक नमूनों के परीक्षण उपयुक्त नहीं पाए जाते तब तक वे उपभोक्ताओं को पानी की आपूर्ति न करें। तथापि, आपूर्ति के पुनर्परीक्षण तथा पर्यवेक्षण के समर्थन में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(v) जिला प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों की गलत रिपोर्टिंग

कुल्लू-1 मण्डल (20 मण्डलों में से) में यह देखा गया कि 2016-21 के दौरान बहीखाता के अनुसार 3833 जल के नमूनों का परीक्षण किया गया था, लेकिन ऑनलाइन रिपोर्टिंग में, 765 (20 *प्रतिशत*) परीक्षणों की संभावित गलत/ अधिक रिपोर्टिंग करते हुए इसी अवधि के लिए 4598 जल परीक्षणों की रिपोर्टिंग की गई थी।

(vi) एक स्कीम की दो प्रयोगशालाओं के बीच जल के नमूने के परिणामों में भिन्नता

डलहौजी नमूना-जाँचित मण्डल के नियंत्रण में दो उप मण्डलीय प्रयोगशालाएँ (गरनोटा और बनीखेत) थीं। एक चयनित स्कीम (ग्राम जस्सूर, डूखर, भराड़ी तथा टिकरी की जल आपूर्ति स्कीम का संवर्धन) के संयुक्त निरीक्षण के परिणामों की संवीक्षा से पता चला कि स्कीम के जल का एक नमूना स्रोत से एकत्रित किया गया था तथा इसके परिणाम दोनों प्रयोगशालाओं से प्राप्त हुए थे। दोनों प्रयोगशालाओं से प्राप्त परीक्षणों के परिणामों में, **तालिका 5.8** में दिए गए विवरणों के अनुसार भिन्नताएं देखी गई।

तालिका 5.8

एक स्कीम के समान नमूनों के लिए प्रयोगशालाओं के परिणामों का विवरण

क्रम संख्या	मापदंड का नाम	भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार आवश्यक सीमा	गरनोटा प्रयोगशाला के परिणाम	बनीखेत प्रयोगशाला के परिणाम
1.	गंदलापन	पांच नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट तक	28.25 नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट (अनुपयुक्त)	18 नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट (अनुपयुक्त)
2.	रंग	5 से 15 एचयू	सामान्य	20 एच यू (अनुपयुक्त)
3.	स्वाद तथा गंध	स्वीकार्य	स्वीकार्य	स्वादरहित/गंधहीन
4.	कुल घुलित ठोस	2000 मिलीग्राम/ लीटर तक	16.13 मिलीग्राम/ लीटर (उपयुक्त)	171मिलीग्राम/लीटर (उपयुक्त)
5.	संभावित हाइड्रोजन	6.5 से 8.5	6.40 (अनुपयुक्त)	7.67 (उपयुक्त)
6.	कुल कठोरता	600 मिलीग्राम/ लीटर तक	18 मिलीग्राम/ लीटर (उपयुक्त)	153.33 मिलीग्राम/लीटर (उपयुक्त)
7.	चालकता	1000	32.1मिली एम एच ओ (उपयुक्त)	342.2 (उपयुक्त)
8.	फ्लोराइडस	1.0 से 1.5	0.2 (अनुपयुक्त)	अनुपलब्ध

परिणामों से पता चला कि पानी तीन मापदंडों पर उपभोग के लिए अनुपयुक्त था। इसके अतिरिक्त, दो प्रयोगशालाओं में एक ही नमूने के परिणामों में भिन्नता जल गुणवत्ता परीक्षण प्रक्रियाओं की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करती है। अधिशाषी अभियन्ता डलहौजी ने कार्रवाई का आश्वासन (सितम्बर 2021) दिया।

(vii) नमूनों की वास्तविकता का सत्यापन

समरूप पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल के परिच्छेद 5.4.6 के अनुसार, पेयजल स्रोतों अथवा उपभोक्ताओं से नमूने लेते समय, नमूनों की वास्तविकता के सत्यापन के लिए नमूने लेने वालों को संबंधित पंजिका में संचालकों, ग्राम पंचायत के सदस्यों अथवा गृहवासी सदस्यों के हस्ताक्षर लेने चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 10 (20 में से) नमूना-जांचित मण्डलों[3] में जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए 1,28,933 नमूने (अप्रैल 2016 से मार्च 2021) लिए गए थे। तथापि, नमूना लेने वाले ने किसी भी स्थान पर संचालकों, ग्राम पंचायत सदस्यों अथवा गृहवासी सदस्यों के हस्ताक्षर लेने के लिए कोई पंजिका नहीं बनाई थी ताकि उन स्त्रोतों/ नलों का सत्यापन किया जा सके जहां से इन्हें लिया गया था। इन पंजिकाओं के अभाव में एकत्रित नमूनों की वास्तविकता का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

संबंधित अधिशाषी अभियंताओं ने भविष्य में अनुपालना का आश्वासन (अक्तूबर 2021 से मार्च 2022) दिया।

[3] बग्गी: 13,366, भोरंज: 506, चम्बा: 17,614, डलहौजी: 16,529, धर्मशाला: 9,424, हमीरपुर: 14,432, काज़ा: 6,527, मण्डी: 27,832, पालमपुर: 8,055 तथा थुरल: 14,648।

(viii) विफल नमूनों को जिला/ उप-मण्डलीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला को न भेजना

समरूप पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल का परिच्छेद 5.1.1 भौतिक-रासायनिक विश्लेषण के लिए फील्ड टेस्ट किट्स के माध्यम से पानी की गुणवत्ता के बहु-मापदंडों का प्रावधान करता है। विभाग द्वारा प्रयोगशाला परीक्षणों के माध्यम से जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाएगा तथा फील्ड टेस्ट किट्स के माध्यम से समुदाय द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी की जाएगी। फील्ड टेस्ट किट्स (संदूषण की निश्चित संभावना के साथ) का उपयोग करके परीक्षण किए गए सभी सकारात्मक नमूनों को पुष्टि के लिए निकटतम जिला/उप-मंडल जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जल शक्ति मण्डल बिलासपुर के चार ब्लॉकों में विभिन्न स्रोतों से 67 जल नमूनों का परीक्षण अक्तूबर 2017 तथा अक्तूबर 2019 के बीच ब्लॉक संसाधन केन्द्रों द्वारा फील्ड टेस्ट किट्स से किया गया तथा समरूप पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल के मानकों के अनुसार सकारात्मक पाए गए। निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- विफल नमूनों की सूचना जल शक्ति विभाग को नहीं दी गई थी।
- नौ नमूनों में सम्भावित हाइड्रोजन मान दो से छः (अनुमेय सीमा 6.5 से 8.5) के बीच था जो प्रकृति में अत्यधिक अम्लीय था तथा स्वास्थ्य संबंधी विकार पैदा कर सकता था।
- 29 नमूनों में, आयरन का मान 10 मिलीग्राम/लीटर पाया गया जो अनुमेय सीमा (0.3 से 1 मिलीग्राम/लीटर) से बहुत अधिक था तथा इससे मधुमेह, पेट की समस्याएं, जी मिचलाना इत्यादि जैसे स्वास्थ्य विकार हो सकते थे।
- 54 नमूनों में जीवाणुतत्व-संबंधी, क्लोराइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड परीक्षण नहीं किए गए थे।
- प्रतिकूल सूचित किए गए सभी नमूनों को निकटतम जिला/उप-मण्डलीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में प्रति सत्यापन के लिए नहीं भेजा गया था।

संबंधित अधिशाषी अभियंताओं ने आश्वासन दिया (अक्तूबर 2021) कि भविष्य में निर्देशों के अनुपालन के लिए फील्ड स्टाफ को निर्देश जारी किए जाएंगे।

(ix) फील्ड टेस्ट किट्स

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार, जल गुणवत्ता निगरानी गतिविधियों में संदूषण की सीमा जानने के लिए ग्राम पंचायत/पंचायती राज संस्थाओं स्तर पर फील्ड टेस्ट किट्स का उपयोग भी शामिल है।

लेखापरीक्षा ने देखा:

- **फील्ड टेस्ट किट्स के माध्यम से किए गए परीक्षण**

फील्ड टेस्ट किट्स का उपयोग करके, नौ जिला जल एवं स्वच्छता मिशन में जल स्रोतों के परीक्षण के लक्ष्यों का विवरण **तालिका 5.9** में दिया गया है।

तालिका 5.9

2016-21 के दौरान चयनित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन में फील्ड टेस्ट किट्स के माध्यम से जल परीक्षण का विवरण

(परीक्षणों की संख्या)

वर्ष	स्रोतों की कुल संख्या	परीक्षणों के लक्ष्य	किए गए परीक्षण	कमी (*प्रतिशत*)
2016-17	1,06,243	3,18,729	63,178	2,55,551 (80)
2017-18	1,06,714	3,20,142	72,878	2,47,264 (77)
2018-19	1,07,011	3,21,033	76,381	2,44,652 (76)
2019-20	1,07,848	3,23,544	89,720	2,33,824 (72)
2020-21	1,11,513	3,34,539	88,218	2,46,321 (74)
कुल		**16,17,987**	**3,90,375**	**12,27,612 (76)**

स्रोतः विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

फील्ड टेस्ट किट्स के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षणों में कमी 72 से 80 *प्रतिशत* के बीच थी जो इंगित करता है कि विभाग ने यह सुनिश्चित नहीं किया था कि स्रोतों के परीक्षणों की आवश्यक संख्या की गई थी।

- **एक्सपायर्ड फील्ड टेस्ट किट्स जारी करना**

➢ केलांग मण्डल में, अधिशाषी अभियंता सह सदस्य सचिव ने मार्च 2017 तथा मार्च 2019 के दौरान 20 फील्ड टेस्ट किट्स तथा 21 रिफिल क्रय किए थे तथा इनको एक्सपायरी के बाद दिसंबर 2018 तथा सितम्बर 2020 के बीच जिले में कनिष्ठ अभियंताओं तथा ग्राम पंचायतों को वितरित किया। इस प्रकार, फील्ड टेस्ट किट्स तथा रिफिल के क्रय पर किया गया व्यय उस सीमा तक व्यर्थ सिद्ध हुआ।

➢ काज़ा मण्डल में, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन केलांग से अप्रैल 2017 में प्राप्त 30 फील्ड टेस्ट किट्स को उनकी एकस्पायरी की तिथि के बाद अक्तूबर 2018 के दौरान कनिष्ठ अभियंताओं[4] को वितरित किया गया था।

अधिशाषी अभियंता, केलांग मण्डल ने बताया (अगस्त 2021) कि स्टाफ की कमी के कारण फील्ड टेस्ट किट्स का वितरण नहीं किया जा सका। अधिशाषी अभियंता, काज़ा मण्डल ने फील्ड टेस्ट किट्स के माध्यम से परीक्षण न करने के कारण प्रस्तुत नहीं किए।

(x) क्लोरोस्कोप के माध्यम से जल की जांच नहीं की गई

विभागीय निर्देशानुसार (अगस्त 2008), क्लोरोस्कोप के माध्यम से पानी में क्लोरीन की मात्रा का परीक्षण करने के लिए हर माह प्रत्येक स्कीम से कम से कम दो नमूने लिए जाने चाहिए। ऐसे परीक्षणों के परिणाम अधीक्षण अभियंता (योजना एवं अन्वेषण) को भेजे जाने अपेक्षित हैं।

[4] काज़ा, की, लोसर, समलिंग तथा ताबो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार (20 में से) नमूना-जांचित मण्डलों[5] में, संबंधित अधिशाषी अभियंताओं ने ₹ 16.85 लाख के 976 क्लोरोस्कोप क्रय किए (मार्च 2016 से मार्च 2021) तथा उप-मण्डलों को वितरित किए थे (मार्च 2016 से मार्च 2021)। तथापि, इन क्लोरोस्कोपों के माध्यम से उप-मण्डलों द्वारा पानी में क्लोरीन की मात्रा को मापने के लिए कोई परीक्षण नहीं किए थे तथा गृहवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना का आश्वासित नहीं किया सका। इसके अतिरिक्त, उपमण्डलों में क्लोरोस्कोप अप्रयुक्त/निष्क्रिय पड़े हुए थे।

संबंधित अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (सितंबर 2021 से जनवरी 2022) कि क्लोरोस्कोप के माध्यम से कोई जांच नहीं की गई तथा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उत्तरों में क्लोरोस्कोप के माध्यम से परीक्षण न करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया।

(xi) ब्लीचिंग पाउडर का उसके सर्वोत्तम उपयोग काल की समाप्ति के बाद जारी करना

ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी के कीटाणुशोधन की प्रक्रिया में किया जाता है तथा इस रसायन को कीटाणुनाशक के रूप में भी जाना जाता है जिसका अर्थ है वह रसायन जो जीवाणु को मारता है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख अभियंता, जल शक्ति विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों (मार्च 2016) के अनुसार, ब्लीचिंग पाउडर को निर्माण तिथि से तीन माह के अंदर अवश्य उपयोग कर लेना चाहिए ताकि इसकी शक्ति कम न हो।

लेखापरीक्षा ने 11 (20 में से) मण्डलों[6] में पाया कि सितंबर 2016 तथा फरवरी 2021 के बीच मण्डलों द्वारा प्राप्त ₹ 22.83 लाख मूल्य का 92,849 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर फरवरी 2017 तथा दिसंबर 2021 के बीच विभिन्न जल आपूर्ति स्कीमों को ब्लीचिंग पाउडर की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के बाद (यद्यपि निर्माण की तिथि उपलब्ध नहीं थी) एक से 27 माह की देरी से जारी किया गया था, जो इंगित करता है कि ब्लीचिंग पाउडर उक्त निर्देशों के उल्लंघन में तीन माह की सर्वोत्तम उपयोग की सीमा की समाप्ति के बाद जारी किया गया। इस प्रकार, उचित क्लोरीनीकरण के बिना गृहवासियों को पीने के पानी की आपूर्ति की गई क्योंकि कीटाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर की शक्ति तीन माह के बाद कम हो जाती है।

विभाग ने मामले की समीक्षा का आश्वासन (दिसम्बर 2022) दिया।

5.4 राज्य में प्रतिवेदित जल जनित रोग

लेखापरीक्षा ने पाया कि जल में गुणवत्ता की समस्या के कारण, **तालिका 5.10** में दिए गए विवरण के अनुसार, राज्य में विभिन्न जल जनित रोग (गंभीर दस्त/ आंत्रशोथ, संक्रामक हेपेटाइटिस इत्यादि) सूचित किए गए थे।

---

5 बिलासपुर: 630 (₹ 11.97 लाख); झंडुता: 200 (₹ 3.80 लाख); कुल्लू-1: 110 (₹ 0.81 लाख); तथा मण्डी: 36 (₹ 0.27 लाख)।

6 भोरंज: 3,500 किग्रा; चम्बा: 4,113 किग्रा; चौतड़ा: 4,850 किग्रा; डलहौजी: 7,800 किग्रा; धर्मशाला: 32,550 किग्रा, हमीरपुर: 21,124 किग्रा, केलांग: 1,100 किग्रा, कुल्लू-1: 8,540 किग्रा, मण्डी: 3,554 किग्रा, मतियाना: 3,500 किग्रा। तथा सलूणी: 2,218 किग्रा।

तालिका: 5.10

2016-21 के दौरान राज्य में जल जनित रोगों के प्रसार का विवरण

(संख्या में)

वर्ष	गंभीर दस्त / आंत्रशोथ तथा पेचिश	संक्रामक हेपेटाइटिस (पीलिया)	आंत्र ज्वर (टायफ़ायड)	कुल
2016	222596	3073	14403	240072
2017	250636	683	14952	266271
2018	227317	471	16017	243805
2019	260644	532	14206	275382
2020	159009	272	7692	166973
2021	96874	136	5237	102247
कुल	**1217076**	**5167**	**72507**	**1294750**

स्रोत: उप मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आपूरित सूचना।

निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत आवृत्त अवधि के दौरान, राज्य में जल जनित रोगों के 12,94,750 मामले प्रतिवेदित किए गए थे, जो इंगित करते हैं कि पेयजल स्कीमों के माध्यम से आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता उचित नहीं थी।

ख- जनशक्ति प्रबंधन

जनशक्ति एक संगठन के आवश्यक तत्वों में से एक है। पर्याप्त जनशक्ति के बिना, इष्टतम उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

नमूना-जांचित मण्डलों में 31 मार्च 2021 तक कुल मिलाकर 879 तकनीकी पद एवं 2903 गैर-तकनीकी पद रिक्त पड़े थे। नमूना-जांचित 20 मण्डलों की 20 प्रयोगशालाओं में जिला स्तर एवं उपमण्डल स्तरीय प्रयोगशालाओं में प्रस्तावित 160 पदों के प्रति केवल 42 व्यक्तियों (26 *प्रतिशत*) को नियुक्त किया गया था।

5.5 समग्र स्वीकृत स्टॉफ तथा कार्यरत व्यक्ति

मार्च 2021 तक राज्य/ नमूना-जांचित मण्डलों में स्वीकृत स्टॉफ तथा कार्यरत व्यक्तियों की समग्र स्थिति **तालिका 5.11** में दी गई है।

तालिका 5.11

मार्च 2021 तक स्वीकृत स्टॉफ एवं कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति

श्रेणी	स्वीकृत कार्मिक	कार्यरत कार्मिक	रिक्त पद (*प्रतिशत*)
राज्य में समग्र स्थिति			
तकनीकी	6,699	5,089	1,610 (24)
गैर-तकनीकी	17,046	15,138	1,908 (11)
नमूना-जांचित मण्डलों की स्थिति			
तकनीकी	2,472	1,593	879 (36)
गैर-तकनीकी	7,513	4,610	2,903 (39)

स्रोतः विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

विभाग में स्टॉफ की कमी का जलापूर्ति स्कीमों/ कार्यों के कुशल निष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

- **प्रयोगशालाओं में स्टॉफ की उपलब्धता**

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी समरूप पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल (फरवरी 2013) ने प्रयोगशालाओं के विभिन्न स्तरों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की एक सूची निर्धारित की है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नमूना-जांचित 20 मण्डलों में 20 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में, जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं एवं उप-मण्डल स्तरीय प्रयोगशालाओं में 160 पदों के प्रति मार्च 2021 तक **परिशिष्ट-5** में दिए गए विवरण के अनुसार 42 कर्मियों (26 *प्रतिशत*) को नियुक्त किया गया था तथा प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की उपलब्धता की स्थिति संक्षेप में **तालिका 5.12** में दी गई है।

तालिका 5.12

समरूप पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल के अन्तर्गत सुझाए गए कार्मिकों की तुलना में प्रयोगशालाओं में उपलब्ध कार्मिकों का विवरण

प्रयोगशालाओं का प्रकार	समरूप पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल के अनुसार सुझाए गए कार्मिकों की संख्या	उपलब्ध कार्मिकों की संख्या (अनुबंध/ आउटसोर्स)	कमी (प्रतिशतता)
जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं	64	17(05)	47 (73)
उप-मण्डलीय स्तरीय प्रयोगशालाएं	96	25(06)	71 (74)

- समरूप पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल ने आगे सुझाव दिया कि प्रत्येक प्रयोगशाला में जल विश्लेषक/ रसायनज्ञ का कम से कम एक नियमित पद होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि छः प्रयोगशालाओं में, विभाग ने सहायक रसायनज्ञ के छः नियमित पदों पर नियुक्ति की थी, जबकि 11 प्रयोगशालाओं में नियमित आधार पर कोई सहायक रसायनज्ञ नियुक्त नहीं किया गया था। रसायनज्ञ का कार्य 11 अनुबंध/ आउटसोर्स कर्मियों द्वारा किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, तीन प्रयोगशालाओं में कोई सहायक रसायनज्ञ तैनात नहीं किया गया था तथा प्रयोगशाला सहायकों द्वारा प्रयोगशालाओं का संचालन किया जा रहा था।

कार्मिकों की कमी ने जल के नमूनों की आवश्यक संख्या के परीक्षण के लिए विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

अन्तिम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने कहा (दिसम्बर 2022) कि पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती के प्रयास किये जायेंगे।

5.6 सहायक गतिविधियां- क्षमता निर्माण

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/ जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार, जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन के अन्तर्गत संचार एवं क्षमता विकास इकाइयों द्वारा आरम्भ की गई जागरूकता, सृजन एवं प्रशिक्षण गतिविधियों, जिला तथा उप-मण्डलीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को फील्ड टेस्ट किट्स की आपूर्ति एवं प्रशिक्षण तथा अधिक जवाबदेही लाने के लिए जिला तथा उप-मण्डलीय स्तर पर प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, सेवाओं के वितरण में प्रभावी अनुश्रवण एवं पारदर्शिता के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सहायक गतिविधियों के लिए निधियों का उपयोग किया जाना है।

गतिविधि-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

2016-21 के लिए सहायक गतिविधियों के अंतर्गत लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का घटक-वार विवरण **तालिका 5.13** में दिया गया है।

तालिका-5.13

2016-21 के लिए सहायक गतिविधियों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का घटक-वार विवरण

(संख्या में)

वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धि		
	सूचना, शिक्षा, तथा संचार गतिविधियाँ[7]	मानव संसाधन विकास (प्रशिक्षण)	कंप्यूटर प्रशिक्षण	सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियाँ	मानव संसाधन विकास	कंप्यूटर प्रशिक्षण
2016-17	27,438	4,214	20	13,554 (49)	3,606 (86)	0
2017-18	27,226	9,733	20	17,802 (65)	6,182 (64)	0
2018-19	26,925	9,733	20	4,015 (15)	8,967 (92)	23
2019-20	13,835	6,473	22	1,10,036 (795)	4,605 (71)	2
2020-21	45,053	17,937	5	4,55,954 (1012)	5,722 (32)	0
कुल	**1,40,477**	**48,090**	**87**	**6,01,361**	**29,082**	**25**

स्रोत: जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन द्वारा आपूरित सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- 2019-21 के दौरान सूचना, शिक्षा तथा संचार के अन्तर्गत समग्र उपलब्धि निर्धारित लक्ष्यों से अधिक थी। तथापि, 2016-19 (2016-17: 51 *प्रतिशत*; 2017-18: 35 *प्रतिशत*; तथा 2018-19: 85 *प्रतिशत*) के दौरान सूचना, शिक्षा तथा संचार के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी थी।
- 2016-21 के दौरान मानव संसाधन विकास (प्रशिक्षण) के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी आठ से 68 *प्रतिशत* के बीच रही।

---

[7] सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियाँ जैसे जल गुणवत्ता अनुश्रवण, गैर सरकारी संगठनों का प्रशिक्षण, दृश्य-श्रव्य प्रचार, होर्डिंग्स एवं दीवार लेखन, नारे, चित्र फ्रेम, समूह बैठकें इत्यादि।

ग - आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण

विभाग ने जल आपूर्ति स्कीमों के संबंध में प्रगति का अनुश्रवण करने तथा सतर्कता बरतने के लिए राज्य/जिला/ग्राम स्तरों पर सतर्कता एवं अनुश्रवण समितियों का गठन नहीं किया था। विभाग ने राज्य में ₹ पाँच करोड़ तथा उससे अधिक लागत के मुख्य कार्यों की समीक्षा समिति का भी गठन नहीं किया था जो यह इंगित करता है कि समिति द्वारा शीर्ष स्तर पर मुख्य कार्यों की समीक्षा नहीं की गयी थी। अधीक्षण अभियंताओं द्वारा 2016-21 के दौरान जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यों के निरीक्षण करने में प्रतिशतता की कमी 89 से 97 के बीच थी जबकि अधिशाषी अभियंताओं की 90 से 97 के बीच थी। जल आपूर्ति स्कीमों पर व्यय के साथ-साथ निष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था विभाग द्वारा नहीं की गई थी।

5.7 अनुश्रवण

5.7.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि जल आपूर्ति स्कीमों की प्रगति का अनुश्रवण तथा सतर्कता बरतने के लिए राज्य/जिला/ग्राम स्तरों पर सतर्कता एवं अनुश्रवण समितियों का गठन किया जाना आवश्यक था।

तथापि, विभाग ने 2016-21 के दौरान राज्य /जिला /ग्राम स्तरों पर सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की स्थापना नहीं की थी। सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की अनुपस्थिति में, जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन का समय समय पर-अनुश्रवण नहीं किया गया, जिसके कारण कई स्कीमें अपनी पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से पीछे चल रही थी।

5.7.2 हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 90 में ₹ पांच करोड़ एवं उससे अधिक लागत के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा समिति के गठन का प्रावधान है, जिसमें निष्पादन एजेंसी, विभागाध्यक्ष तथा प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग के एक-एक प्रतिनिधि शामिल होंगें।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने मई 2022 तक राज्य में ₹ 5.00 करोड़ तथा उससे अधिक लागत के मुख्य कार्यों के लिए समीक्षा समिति का गठन नहीं किया था। परिणामतः नमूना जांचित-14 (20 में से (मण्डलों[8] में 58 स्कीमों में से प्रत्येक में अनुमोदित ₹ 5 करोड़ अथवा उससे अधिक की लागत (2016-21 के दौरान ₹ 992.22 करोड़ के लिए अनुमोदित), तीन स्कीमें पूर्ण हुई जिनमें एक स्कीम में 22 महीने का विलम्ब था, एक स्कीम रुकी हुई थी, 16 स्कीमें आरम्भ नहीं हुई थीं तथा 38 स्कीमें प्रगति पर थी, जिनमें चार से 26 माह तक का विलम्ब था।

---

[8] बग्गी: दो स्कीमें (₹ 20.61 करोड़); बिलासपुर: छः स्कीमें (₹ 146.41 करोड़); भोरंज: दो स्कीमें (₹ 57.80 करोड़); चौतड़ा: दो स्कीमें (₹ 46.30 करोड़); धर्मशाला: पांच स्कीमें (₹ 60.89 करोड़); हमीरपुरः दो स्कीमें (₹ 23.66 करोड़), झण्डुता: छः स्कीमें (₹ 143.98 करोड़), कुल्लू-1: पांच स्कीमें (₹ 67.17 करोड़), मण्डी: सात स्कीमें (₹ 85.79 करोड़), मतियानाः एक स्कीम (₹ 7.91 करोड़), पालमपुर: सात स्कीमें; (₹ 110.88 करोड़), सलूणी: दो स्कीमें (₹ 50.35 करोड़), शिमला: तीन स्कीमें (₹ 57.45 करोड़) तथा थुरल: आठ स्कीमें (₹ 113.02 करोड़)।

5.7.3 जल जीवन मिशन के परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अध्याय 6 में प्रावधान है कि मिशन के अंतर्गत निष्पादित सभी कार्यों के लिए, गुणवत्तापूर्ण कार्य के निष्पादन का आश्वासन प्राप्त करने के लिए भुगतान से पहले तीसरे पक्ष का निरीक्षण एवं प्रमाणन अनिवार्य था।

नमूना-जांचित 15 मण्डलों[9] में लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित ठेकेदारों को 531 उप-कार्यों के निष्पादन के लिए ₹ 34.75 करोड़ का भुगतान (जनवरी 2020-सितंबर 2021) तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण एवं प्रमाणन किए बिना किया गया था जैसा कि उक्त जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक था। परिकल्पित भुगतान करने से पहले तीसरे पक्ष द्वारा कार्यों के निरीक्षण के अभाव में, कार्यों के निष्पादन की प्रामाणिकता एवं गुणवत्ता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

5.7.4 प्रमुख अभियंता द्वारा जारी निर्देशों (जून 2006) के अनुसार अधीक्षण अभियंता को एक माह में प्रति मण्डल कार्यों का एक निरीक्षण करना था तथा अधिशाषी अभियंता को मण्डल में प्रति माह 10 निरीक्षण करने थे। इसके अतिरिक्त, प्रमुख अभियंता द्वारा जारी किए गए निर्देशों (मई 2017) के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जलापूर्ति स्कीमों के निरीक्षण/ अनुश्रवण के लिए एक रजिस्टर का रखरखाव किया जाना था तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रमुख अभियंता को मासिक आधार पर प्रस्तुत की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित मण्डलों के अधीक्षण अभियंताओं एवं अधिशाषी अभियंताओं द्वारा आवश्यक निरीक्षणों के प्रति 2016-21 के दौरान आवश्यक 13,200 निरीक्षणों में से 12,549 निरीक्षणों (अधीक्षण अभियंताओं: 1,119 एवं अधिशाषी अभियंताओं: 11,430) की कमी थी। इसलिए कार्यों का पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं किया गया था।

अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान, सचिव ने कहा कि सभी स्तरों पर जाँच एवं संतुलन के लिए पर्याप्त तंत्र उपलब्ध है, लेकिन उनकी भूमिका को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे।

5.8 सामाजिक लेखापरीक्षा

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि किए गए कार्य विनिर्देशों के अनुसार हैं तथा उपभोक्ता की संतुष्टि को मापने के लिए प्रमुख संकेतकों के साथ-साथ अनुश्रवण के लिए स्थानीय रूप से विकसित मानदंडों के अनुसार प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए समुदाय-आधारित संगठनों (ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/प्रयोक्ता समूहों) द्वारा हर छः माह के बाद सामाजिक लेखापरीक्षा की जानी है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी 20 नमूना-जाँचित मण्डलों में, विभाग द्वारा जलापूर्ति स्कीमों के निष्पादन के साथ-साथ व्यय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी।

---

[9] बग्गी, भोरंज, बिलासपुर, चम्बा, चौतड़ा, डलहौजी, हमीरपुर, झण्डुता, केलांग, कुल्लू-1, मण्डी, मतियाना, रामपुर, रिकांगपिओ तथा सलूणी।

अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान, सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि भविष्य में सामाजिक लेखापरीक्षा करवाने की संभावना सुनिश्चित की जाएगी।

5.9 चयनित मण्डलों में पानी की शिकायतें

2016-21 के दौरान नमूना-जांचित किए गए 12 (20 में से) मण्डलों में जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों का विवरण **तालिका 5.14** में दिया गया है।

तालिका-5.14

नमूना-जांचित 12 (20 में से) मण्डलों में जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों का विवरण

(संख्या में)

वर्ष	प्राप्त शिकायतें	अप्रैल 2016 से मार्च 2021 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31 मार्च को बकाया शिकायतें
2016-17	2657	1701	956
2017-18	2914	1683	1231
2018-19	2581	1703	878
2019-20	3946	2993	953
2020-21	6051	4583	1468

स्रोतः विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2016-21 के दौरान बड़ी संख्या में जल आपूर्ति की शिकायतें बकाया थीं। इसके अतिरिक्त, संबंधित मण्डलों ने प्रत्येक शिकायत के निपटान की तिथि, संक्षेप में की गई कार्रवाई, इत्यादि को दर्शाने के लिए शिकायतों का उचित अभिलेख नहीं रखा था।

सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ताओं ने बताया (जुलाई 2021 से फरवरी 2022) कि शिकायतें प्राप्त होने पर उनका निपटान कर दिया गया था परन्तु शिकायत रजिस्टर में उनका निपटान नहीं दिखाया गया था। तथापि, तथ्य यह रहा कि संबंधित पंजिकाओं में लम्बित शिकायतों के निपटान के समर्थन में मण्डलों ने कोई अभिलेख नहीं दिखाया था।

निष्कर्ष

जल गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं निगरानी का तंत्र हर समय आबादी को स्वच्छ तथा सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहा था। प्रयोगशालाओं में अनुशंसित उपकरण उपलब्ध नहीं थे, जिससे उनमें किए गए जल गुणवत्ता परीक्षणों की विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में आ गई। विभाग ने अपनी राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित नहीं की थी। सभी जिला तथा उप-मण्डलीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की अनिवार्य राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता सुनिश्चित नहीं की गई थी जिनमें कर्मचारियों की कमी थी जिससे उनके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

स्कीमों का अनुश्रवण अपर्याप्त था क्योंकि विभिन्न समितियों के माध्यम से अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण के लिए संस्थागत तंत्र कार्य नहीं कर रहा था तथा सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी आरम्भ नही हुई थी।

सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित मदों पर विचार कर सकती है:

(i) *राज्य स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं संचालन तथा जिला प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए गये नमूनों की आवश्यक प्रतिशतता की समीक्षा सुनिश्चित करना।*

(ii) *नागरिकों के लिए मानक जल गुणवत्ता की उपलब्धता का आश्वासन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से सभी प्रयोगशालाओं का उन्नयन एवं मान्यता सुनिश्चित करना।*

(iii) *प्रयोगशालाओं के लिए पर्याप्त तथा योग्य कर्मचारियों को नियुक्त करना।*

(iv) *जल आपूर्ति स्कीमों के संबंध में प्रगति का अनुश्रवण एवं सतर्कता बरतने के लिए सतर्कता एवं अनुश्रवण समितियों की स्थापना करके आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना।*

(चंदा मधुकर पंडित)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक: 22 मार्च 2023

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 24 मार्च 2023

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(परिच्छेद 4.2 तथा 4.6 में संदर्भित)

नमूना-जांचित मण्डलों में संवीक्षित पूर्ण जलापूर्ति स्कीमों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन		कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	पूर्णता की तिथि	किया गया व्यय	वर्तमान जनसंख्या	बस्तियां जिन्हें सम्मिलित करना आवश्यक था	वास्तव में सम्मिलित	जल की आवश्यकता
			माह	राशि								
1	बग्गी	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम कर्नेहरा, समलोन, पिपली और कोटलू, जिला मण्डी	नवम्बर -10	205.05	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2 वर्ष	सितम्बर-17	263.37	2863	16	16	9.33 लीटर प्रति सेकंड
2	बग्गी	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मोवीसेरी और इसके आसपास के गाँव, जिला मण्डी	जून -13	371.09	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	4 वर्ष	अक्टूबर-20	432.36	3025	42	42	289795 लीटर प्रति दिन
3	बिलासपुर	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम दल्ली का सुधार, जिला बिलासपुर	मार्च -12	104.97	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	नवम्बर-16	104.97	7632	14	14	667790 लीटर प्रति दिन
4	बिलासपुर	संगणना की गई गांवों की आंशिक आच्छादित और आच्छादित नही की गई ग्राम पंचायत कुटेहला, तनबोल और तल्ली जकातखाना की बस्तियों को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला बिलासपुर	अक्टूबर -09	375.14	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4 वर्ष	मई-17	365.12	7881	70	70	517193 लीटर प्रति दिन
5	भोरंज	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम जाख्याल फेज़ -2 एवं उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम करोहता के अंतर्गत आंशिक आच्छादित बस्ती को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम उपलब्ध कराना, जिला हमीरपुर	अक्टूबर -18	279.89	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	5 वर्ष	अक्टूबर-21	204.52	2766	20	20	242060 लीटर प्रति दिन
6	भोरंज	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम करोहता के अंतर्गत हरिजन बस्ती कथियालवीं को जलापूर्ति प्रदान करना, जिला हमीरपुर	फ़रवरी -14	60.52	अनुसूचित जाति घटक कार्यक्रम	3 वर्ष	सितम्बर-20	69.18	640	1	1	56350 लीटर प्रति दिन
7	चम्बा	जल आपूर्ति स्कीम साच, राठियार, बकतपुर और द्रमन का विस्तार, जिला चम्बा	मार्च -15	84.32	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	जुलाई-20	138.67	2135	33	33	197610 लीटर प्रति दिन

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन		कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	पूर्णता की तिथि	किया गया व्यय	वर्तमान जनसंख्या	बस्तियां जिन्हें सम्मिलित करना आवश्यक था	वास्तव में सम्मिलित	जल की आवश्यकता
			माह	राशि								
8	चम्बा	सभी सूखा प्रभावित ग्राम पंचायत यूटीप, बैट, लुड्डू और बेली में घोसन नाला से जल आपूर्ति स्कीम का विस्तार, जिला चम्बा	जुलाई -11	1286.27	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	अप्रैल-17	1400.97	13813	13	13	987844 लीटर प्रति दिन
9	चौंतड़ा	ग्राम पंचायत मटरू बडेहर और तालकेहर में आंशिक आच्छादित बस्ती को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला मण्डी	जनवरी -11	149.61	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	3 वर्ष	दिसम्बर -20	92.40	2939	5	5	271950 लीटर प्रति दिन
10	चौंतड़ा	दुल पंजाजन और दागोन, आच्छादित नहीं की गई/आंशिक आच्छादित बस्तियों को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला मण्डी	जनवरी -11	244.62	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4 वर्ष	मार्च -18	168.44	1104	16	16	70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
11	डलहौजी	चम्बा जिले के जसूर, डूखर, भराड़ी और टिकरी गांव में जल आपूर्ति स्कीम का विस्तार, जिला चम्बा	जनवरी -09	60.77	अनुसूचित जाति घटक कार्यक्रम	3 वर्ष	दिसम्बर -17	118.82	2557	61	61	354240 लीटर प्रति दिन
12	डलहौजी	ग्राम पंचायत अवान में बनूनी अवान की जल आपूर्ति स्कीम का विस्तार, जिला चम्बा	मई -12	89.60	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	जुलाई -18	84.77	2232	35	35	211290 लीटर प्रति दिन
13	धर्मशाला	धर्मशाला शहर की जलापूर्ति स्कीम में सुधार, जिला कांगड़ा	मार्च -13	2085.00	शहरी विकास विभाग	5 वर्ष	अप्रैल-17	3070.64	37777	लागू नहीं	लागू नहीं	10267855 लीटर प्रति दिन
14	धर्मशाला	दारी बरोल की जलापूर्ति स्कीम का सुधार और विस्तार, जिला कांगड़ा	अक्टूबर -14	167.10	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	4 वर्ष	मई -19	192.00	9161	6	6	1509920 लीटर प्रति दिन
15	हमीरपुर	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम लगवाल्टी जांगले और उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम भाटलाम्बर का सुधार, जिला हमीरपुर	मई -12	47.31	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	अक्टूबर -20	56.55	2765	2	2	70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
16	हमीरपुर	ग्राम बधेरा बरता करदी और बनोह में हरिजन बस्तियों में जल आपूर्ति स्कीम में सुधार के लिए उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम करेरी टकरून ग्वाल पाथेर और हाथोल का सुधार, जिला हमीरपुर	नवम्बर -15	48.52	अनुसूचित जाति घटक कार्यक्रम	3 वर्ष	मार्च -18	94.31	2955	11	11	70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन		कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	पूर्णता की तिथि	किया गया व्यय	वर्तमान जनसंख्या	बस्तियां जिन्हें सम्मिलित करना आवश्यक था	वास्तव में सम्मिलित	जल की आवश्यकता
			माह	राशि								
17	झंडुता	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम बरड मनन, जिला बिलासपुर	जून -13	150.17	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	नवम्बर -18	159.84	2931	10	10	294775 लीटर प्रति दिन
18	झंडुता	धरारसानी और उसके आसपास के गावों की आंशिक आच्छादित बस्तियों को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम और नेरस, भजवान व इसके आसपास के गांवों की आंशिक आच्छादित बस्तियों की उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम का आवर्धन एवं उन्नयन, जिला बिलासपुर	अगस्त -12	294.15	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	3 वर्ष	अप्रैल -18	241.03	3538	16	16	333180 लीटर प्रति दिन
19	काज़ा	ग्राम पंचायत काजा में उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम काजा का विस्तार, जिला लाहौल एवं स्पीति	जून -16	182.28	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	अगस्त -20	489.56	1663	2	2	417555 लीटर प्रति दिन
20	काज़ा	संगणना किए गए गांव ताबो के आच्छादित नहीं किए/आंशिक आच्छादित बस्तिओं को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला लाहौल एवं स्पीति	जून -17	139.09	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	3 वर्ष	अक्टूबर -20	124.11	671	1	1	160160 लीटर प्रति दिन
21	केलांग	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम तांडी का विस्तार, जिला लाहौल एवं स्पीति	सितम्बर -16	38.64	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	4 वर्ष	अक्टूबर -20	34.85	194	1	1	23920 लीटर प्रति दिन
22	केलांग	आंशिक आच्छादित बस्ती गौशाल को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला लाहौल एवं स्पीति	फ़रवरी -18	20.36	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	3 वर्ष	अक्टूबर -19	13.82	419	1	1	35210 लीटर प्रति दिन
23	कुल्लू-1	जलापूर्ति स्कीम दवाड़ा, जिला कुल्लू	जुलाई -10	88.31	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	मई -16	88.35	1275	3	3	118410 लीटर प्रति दिन
24	कुल्लू-1	जलापूर्ति स्कीम डोभी शिम, जिला कुल्लू	अक्टूबर -14	72.70	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	दिसम्बर -20	83.97	696	2	2	उपलब्ध नहीं है
25	मण्डी	जूनी खड्ड से ऊपरी पंडोह और उसके आसपास के गांवों तक उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम उपलब्ध कराना, जिला मण्डी	अक्टूबर -09	366.72	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	जुलाई -16	410.89	6899	47	47	731690 लीटर प्रति दिन

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन		कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	पूर्णता की तिथि	किया गया व्यय	वर्तमान जनसंख्या	बस्तियां जिन्हें सम्मिलित करना आवश्यक था	वास्तव में सम्मिलित	जल की आवश्यकता
			माह	राशि								
26	मण्डी	ग्राम पंचायत बग्गी, निखला, लोट, सई, कासन और सेहली में आच्छादित नहीं किए/ आंशिक आच्छादित सुका कुन और इसके आस-पास के गाँव की बस्तिओं को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला मण्डी	अक्टूबर -08	502.62	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	3 वर्ष	2017	482.32	6271	38	38	596480 लीटर प्रति दिन
27	मतियाना	चियोग दादास और देहां आदि की आच्छादित नहीं की गई बस्तियों को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम, जिला शिमला	मार्च -12	95.07	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	3 वर्ष	नवम्बर -20	130.69	922	11	10	85330 लीटर प्रति दिन
28	मतियाना	ग्राम पंचायत किर्ती में स्वारी खड्ड (बेहरा खड्ड) से ग्राम नंजा घराल किर्ती को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला शिमला	नवम्बर -13	260.09	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	फ़रवरी -21	227.57	3167	16	16	318640 लीटर प्रति दिन
29	पालमपुर	आंशिक आच्छादित बस्ती बनूरी, बनूरी खास को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला कांगड़ा	मार्च -15	357.41	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4 वर्ष	दिसम्बर -20	120.57	9440	6	6	868390 लीटर प्रति दिन
30	पालमपुर	जलापूर्ति स्कीम जिया गोपालपुर फेज़ -1, जिला कांगड़ा	मई -12	114.10	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	5 वर्ष	फ़रवरी-20	122.10	6362	15	15	590145 लीटर प्रति दिन
31	रामपुर	पटैना कुहल और चिक्सा के माध्यम से काशापाट खड्ड से डंसा (ग्राम पंचायत डंसा में) तक उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला शिमला	जनवरी -13	1595.34	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4 वर्ष	अगस्त -17	1913.62	8647	75	75	773488 लीटर प्रति दिन
32	रामपुर	ग्राम पंचायत खराहन में खराहन खड्ड से जाहू, कोफराधार उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम, जिला शिमला	मार्च -12	285.43	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	4 वर्ष	मई -17	292.41	3384	33	33	322100 लीटर प्रति दिन
33	रिकांग पिओ	छंबले से पांगी तक जल आपूर्ति स्कीम उपलब्ध कराना, जिला किन्नौर	मार्च -07	34.18	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3 वर्ष	अप्रैल -16	26.18	228	5	1	22820 लीटर प्रति दिन
34	रिकांग पिओ	सोसरिंग की आच्छादित नहीं की गई/ आंशिक आच्छादित बस्ती को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला किन्नौर।	सितम्बर -19	9.02	जल जीवन मिशन	6 महीने	दिसम्बर -20	6.40	41	1	1	95 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन		कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	पूर्णता की तिथि	किया गया व्यय	वर्तमान जनसंख्या	बस्तियां जिन्हें सम्मिलित करना आवश्यक था	वास्तव में सम्मिलित	जल की आवश्यकता
			माह	राशि								
35	सलूणी	जल आपूर्ति स्कीम बचूनी पुखरी फेज़-II और जल आपूर्ति स्कीम दानून का सुधार, जिला चम्बा	अप्रैल -17	26.62	पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	1 वर्ष	फ़रवरी-20	26.61	900	14	14	80025 लीटर प्रति दिन
36	सलूणी	जल आपूर्ति स्कीम भुनाड भालोगी, चम्बा जिले का पुनर्निर्माण/संवर्द्धन, जिला चम्बा	जुलाई -18	115.28	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	जून -21	119.40	1161	21	21	110380 लीटर प्रति दिन
37	शिमला	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम नलकूप मेहली से पुजारली और आसपास के गाँव, जिला शिमला	मार्च -08	352.82	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	5 वर्ष	जुलाई -2019	372.81	3895	24	24	745780 लीटर प्रति दिन
38	शिमला	ग्राम शिरगुल्ली कदरैन और बालघर घस्सिगांव मडहोग को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम, जिला शिमला	सितम्बर -06	83.83	त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4 वर्ष	मई -16	135.62	1478	30	30	125770 लीटर प्रति दिन
39	थुरल	नेउगल खड्ड से उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम झरेट रझूं और उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम किरवान का स्रोत स्तर का सुधार और संवर्धन, जिला कांगड़ा	मई -11	705.15	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	1 वर्ष	मार्च -20	662.61	9495	64	64	896735 लीटर प्रति दिन
40	थुरल	संगणना किए गए गांव खजुरनू और रापोटा की आंशिक आच्छादित बस्ती को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला कांगड़ा	मार्च -11	97.49	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	3 वर्ष	अक्टूबर -17	106.88	945	6	6	87430 लीटर प्रति दिन
		कुल		**11646.65**				**13249.30**	**176867**		**456**	

परिशिष्ट-2

(परिच्छेद 4.6 तथा 4.8 में संदर्भित)

नमूना-जांचित मण्डलों में संवीक्षित अपूर्ण जलापूर्ति स्कीमों का विवरण दर्शाने वाला विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन		कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	व्यय	वर्तमान जनसंख्या	बस्तियां जिन्हे सम्मिलित करना था	वास्तव में सम्मिलित	जल की आवश्यकता
			माह	राशि							
1	बग्गी	ग्राम पंचायत ढाबन और लोहारा में ढाबन और टांडा की आंशिक आच्छादित बस्ती के लिए उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम, जिला मण्डी	जनवरी -17	99.80	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4 वर्ष	47.67	2208	3	0	313595 लीटर प्रति दिन
2	बिलासपुर	अली खड्ड से शिरा की आंशिक आच्छादित बस्ती के लिए उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम, जिला बिलासपुर	सितम्बर -12	105.72	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4 वर्ष	70.83	1293	1	0	122100 लीटर प्रति दिन
3	भोरंज	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम बगवार का निर्माण, जिला हमीरपुर	सितम्बर -18	79.70	राज्य	4 वर्ष	92.50	1148	4	0	1.80 लीटर प्रति सेकंड
4	चम्बा	समोह, द्रबब्ला, बुटकर, बंगोटू धार, सेरी निउला आदि ग्रामों के समूह के लिए उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम, जिला चम्बा	जनवरी -13	432.55	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	435.80	3085	141	141	287340 लीटर प्रति दिन
5	चौंतड़ा	जल आपूर्ति स्कीम लड़-भरोल (अनुसूचित जाति घटक कार्यक्रम के अंतर्गत), के विस्तार का निर्माण, जिला मण्डी	जुलाई -17	79.32	अनुसूचित जाति घटक कार्यक्रम	2 वर्ष	114.05	874	5	0	70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
6	डलहौजी	छावनी क्षेत्र डलहौजी को उठाऊ जलापूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला चम्बा	प्राप्त नहीं	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन		कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	व्यय	वर्तमान जनसंख्या	बस्तियां जिन्हे सम्मिलित करना था	वास्तव में सम्मिलित	जल की आवश्यकता
			माह	राशि							
7	धर्मशाला	जल आपूर्ति स्कीम रामनगर शामनगर के पीने योग्य नल के जल के स्रोत में सुधार के लिए अत्याधुनिक जल उपचार संयंत्र, जिला कांगड़ा	नवम्बर -18	546.00	स्मार्ट सिटी	3 वर्ष	149.62	7862	2	0	2067095 लीटर प्रति दिन
8	हमीरपुर	लौंगनी करोत इत्यादि ग्रामों को पृथक पेयजल आपूर्ति स्कीम उपलब्ध कराना, जिला हमीरपुर	जून -13	214.90	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	5 वर्ष	262.47	4213	26	0	398560 लीटर प्रति दिन
9	झंडुता	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम चौंटा जंगल थाटल, जिला बिलासपुर	जुलाई -18	93.99	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	16.27	618	4	0	64330 लीटर प्रति दिन
10	कुल्लू-1	ग्राम पंचायत रायसन और बेंच में जल आपूर्ति स्कीम रायसन माली पाथेर का विस्तार, जिला कुल्लू	दिसम्बर -14	255.82	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	4 वर्ष	230.19	3755	15	15	349710 लीटर प्रति दिन
11	मतियाना	सिचाई एवं जन स्वास्थय उप-मण्डल मतियाना के अंतर्गत मतियाना में 8 उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमों का संवर्धन, जिला शिमला	मार्च -12	1279.00	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	5 वर्ष	941.71	14173	276	0	1189610 लीटर प्रति दिन
12	पालमपुर	कुसमाल बागोरा में जलापूर्ति स्कीम के अंतर्गत आच्छादित नहीं की गई/ आंशिक आच्छादित बस्ती को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करने का निर्माण, जिला कांगड़ा	फ़रवरी -12	61.88	त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	5 वर्ष	59.32	1820	5	0	70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन		कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	व्यय	वर्तमान जनसंख्या	बस्तियां जिन्हे सम्मिलित करना था	वास्तव में सम्मिलित	जल की आवश्यकता
			माह	राशि							
13	रामपुर	शिमला जिले के ग्राम पंचायत देवनगर में मछड़ा खड्ड से खनेवली गांव समूह तक उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम, जिला शिमला	फ़रवरी -17	220.00	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	4 वर्ष	268.59	1918	14	0	195650 लीटर प्रति दिन
14	सलूणी	ग्राम पंचायत ब्रांगल में जल आपूर्ति स्कीम हाडला बनेटू फेज़- II के लिए अतिरिक्त स्रोत का दोहन, जिला चम्बा	मार्च -14	48.31	पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	3 वर्ष	92.50	247	3	0	70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
15	थुरल	जल आपूर्ति स्कीम दारंग धोरान घनेटा का विस्तार, जिला कांगड़ा	सितम्बर -11	234.00	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	1 वर्ष	183.67	3996	6	0	375790 लीटर प्रति दिन
		कुल		**3750.99**			**2204.34**				

परिशिष्ट-3

(परिच्छेद 4.6 में संदर्भित)

चयनित मण्डलों की पूर्ण हो चुकी स्कीमों में जल की अपर्याप्त आपूर्ति

क्र.सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार जनसंख्या*	प्रति दिन कुल जल की आवश्यकता (लीटर में))	उठाया गया जल/ एक दिन के दौरान उपलब्ध जल (लीटर में)	लाभार्थियों को जल की आपूर्ति लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन में	जल की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण प्रभाव
1	हमीरपुर	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम लग्वालटी में सुधार	3349	234430 (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से)	129216	39	लाभार्थियों ने सर्वे में बताया कि गर्मी में पर्याप्त जल नहीं मिलता है।
	हमीरपुर	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम करेरी टकरून ग्वाल पाथेर एवं हाथोल का सुधार	2912	203840 (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से)	64516	22	गर्मियों में भारी कमी (सर्वेक्षण में लाभार्थी ने बताया)
2	मण्डी	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम जूनी खड्ड से ऊपरी पंडोह तक	7211	504770 (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से)	423220	59	सर्वेक्षण में लाभार्थियों ने बताया कि स्कीम के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम चौकी, ग्राम पंचायत मझवाड़ लम्बे समय से जल की समस्या से जूझ रहा था। लोगों को आवश्यक मात्रा में जल नहीं मिल रहा था जैसा कि उन्होंने सर्वेक्षण में पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सभी ग्रामीणों द्वारा राज्य के जल शक्ति मंत्री को लिखित शिकायत (अप्रैल 2021) की गई थी लेकिन जल की कमी की समस्या को हल करने के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आगे बताया कि वैकल्पिक स्रोत अर्थात् स्थापित हैण्डपम्प भी काम नहीं कर रहा था।
		उठाऊ जल आपूर्ति	7695	538650 (70 लीटर प्रति	519020	67	बाथर, चलहर और खजरौन के ग्रामीणों ने सर्वेक्षण में

क्र.सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार जनसंख्या*	प्रति दिन कुल जल की आवश्यकता (लीटर में))	उठाया गया जल/ एक दिन के दौरान उपलब्ध जल (लीटर में)	लाभार्थियों को जल की आपूर्ति लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन में	जल की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण प्रभाव
		स्कीम सुका कुन		व्यक्ति प्रति दिन की दर से)			बताया कि जल की आपूर्ति नियमित (3 दिन में एक बार) नहीं थी।
3	मतियाना	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम स्वारी खड्ड से नंजा घराल	2420	169400 (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से)	146560	61	स्कीम के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम पंचायत कीर्ति के केपू गांव के लाभार्थियों को जल की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आवश्यक मात्रा में जल नहीं मिल रहा है (सप्ताह में केवल एक बार) जिसकी उन्होंने सर्वेक्षण में पुष्टि की है। केपू गांव के लाभार्थियों की जल की समस्या के समाधान के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, ग्राम नांजा एवं घराल के लाभार्थियों को एक दिन छोड़कर तथा कीर्ति ग्राम में सप्ताह में दो बार जल प्रदान किया जाता है।
		उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम चियोग दादास	1057	73990 (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से)	64387	61	स्कीम के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम जगोरा ग्राम पंचायत दादस में जल की पर्याप्तता की समस्या है। लोगों को आवश्यक मात्रा में जल नहीं मिल रहा है जिसकी उन्होंने सर्वे (पुरानी ग्रेविटी स्कीम से जल की आपूर्ति की जा रही है) में पुष्टि की है। नई स्कीम का जल अभी भी लाभार्थियों को नहीं दिया जा रहा है जबकि गांव को इस स्कीम के अंतर्गत आच्छादित किया जाना था। जगोरा गांव की जल की समस्या को दूर करने के लिए अभी तक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

क्र.सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार जनसंख्या*	प्रति दिन कुल जल की आवश्यकता (लीटर में))	उठाया गया जल/ एक दिन के दौरान उपलब्ध जल (लीटर में)	लाभार्थियों को जल की आपूर्ति लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन में	जल की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण प्रभाव
4	रामपुर	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम काशापाट से डंसा	9791	685370 (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से)	424899	43	गर्मियों के दौरान कीम गांव में जल की कमी जैसाकि किए गए सर्वेक्षण में लाभार्थियों द्वारा बताया गया।
		उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम खराहन खड्ड से जाहू इत्यादि	3832	268240 (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से)	221021	58	रेरा गांव में जल की अनियमित आपूर्ति (सप्ताह में एक बार) जैसा कि लाभार्थियों द्वारा सर्वेक्षण में बताया गया है।
5	शिमला	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजारली	5534	664080 (120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से)	403200	73 (120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की आवश्यकता के प्रति)	धामेची के लाभार्थियों ने सर्वेक्षण में बताया कि आधा इंच वितरण पाइप से 6 कनेक्शन के मानक के प्रति 15 कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं, जिससे अपर्याप्त जल मिल रहा है । लाभार्थियों ने सर्वेक्षण में सूचित किया कि धामेची की मलाई एवं ढाला बस्तियां अभी तक स्कीम से जुड़ी नहीं हैं। लाभार्थियों ने सूचित किया कि जल की आपूर्ति नियमित/ उचित (वैकल्पिक दिनों में) नहीं हो रही है।

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध आपूरित सूचना

नोट- वर्तमान जनसंख्या (2021) की गणना स्कीम की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में दी गई जनसंख्या के आधार पर की गई है।

परिशिष्ट-4

(परिच्छेद 5.3 (ii) में संदर्भित)

नमूना-जांचित मण्डलों में प्रयोगशालाओं द्वारा संचालित जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु मापदण्डों का विवरण

प्रयोगशाला का नाम	सम्भावित हाइड्रोजन	मटमैलापन	कुल घुलित ठोस	कुल कठोरता के साथ	क्षारीयता	फ्लोराइड	क्लोराइड	सल्फेट	नाइट्रेट	आर्सेनिक	आयरन	कुल कॉलीफॉर्म	इ-कोलाई
बग्गी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
भोरंज	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
बिलासपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
चम्बा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
डलहौजी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
धर्मशाला	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
हमीरपुर (हथली)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
हमीरपुर (डिडविन टिक्कर)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
झंडुता (घुमारवीं में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
काज़ा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
कुल्लू (कटराइन)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
कुल्लू (शमशी)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
केलांग	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
मण्डी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
मतियाना (ठियोग में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
पालमपुर (पंचरुखी)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
रिकांगपिओ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
रामपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
सलूणी (कोटी में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
थुरल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं

स्रोतः विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

परिशिष्ट-5

(परिच्छेद 5.5 में संदर्भित)

नमूना-जांच की गई प्रयोगशालाओं में स्टॉफ की उपलब्धता का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	मण्डल का नाम	प्रयोगशाला का नाम	रसायनज्ञ/ सहायक रसायनज्ञ/ जल विश्लेषक		सूक्ष्मजीव विज्ञानी/ जीवाणु तत्व विज्ञानी		प्रयोगशाला सहायक		प्रयोगशाला परिचारक		आंकड़ा प्रविष्टि संचालक		नमूना सहायक	
			स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी
1	बग्गी	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, बग्गी	1	1 (नियमित)	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0
2	भोरंज	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, भोरंज	1	1 (बाह्य स्रोतित)	1	0	2	1	1	0	1	1	2	0
3	बिलासपुर	जिला प्रयोगशाला बिलासपुर	1	1 (नियमित)	1	0	2	1	1	1	1	0	2	0
4	चम्बा	जिला प्रयोगशाला, चम्बा	1	1 (अनुबन्ध)	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0
5	डलहौजी	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, बनीखेत	1	0	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0
6	धर्मशाला	जिला प्रयोगशाला, धर्मशाला	1	1 (अनुबन्ध)	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0
7	हमीरपुर	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, डिडविन टिक्कर	1	1 (अनुबन्ध)	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0
8	झंडुता*	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, घुमारवीं	1	1 (नियमित)	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0
9	हमीरपुर	जिला प्रयोगशाला, हमीरपुर	1	1 (अनुबन्ध)	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0
10	कुल्लू-1	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, कटराइन	1	0	1	0	2	1	1	0	1	0	2	1
11	काज़ा	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, काज़ा	1	1 (बाह्य स्रोतित)	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0

क्र. सं.	मण्डल का नाम	प्रयोगशाला का नाम	रसायनज्ञ/ सहायक रसायनज्ञ/ जल विश्लेषक		सूक्ष्मजीव विज्ञानी/ जीवाणु तत्व विज्ञानी		प्रयोगशाला सहायक		प्रयोगशाला परिचारक		आंकड़ा प्रविष्टि संचालक		नमूना सहायक	
			स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी
12	केलांग	जिला प्रयोगशाला, केलांग	1	1 (बाह्य स्रोतित)	1	0	2	0	1	0	1	1	2	1
13	कुल्लू-1	जिला प्रयोगशाला, कुल्लू	1	1 (नियमित)	1	0	2	0	1	0	1	0	2	1
14	मण्डी	जिला प्रयोगशाला, मण्डी	1	1 (बाह्य स्रोतित)	1	0	2	1	1	0	1	0	2	2
15	पालमपुर	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, पंचरुखी	1	0	1	0	2	2	1	0	1	0	2	0
16	रामपुर	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, रामपुर	1	1 (नियमित)	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0
17	रिकांगपिओ	जिला प्रयोगशाला, रिकांगपिओ	1	1 (नियमित)	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0
18	सलूणी	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, कोटी **	1	1 (अनुबन्ध)	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0
19	मतियाना	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, ठियोग	1	1 (अनुबन्ध)	1	1	2	1	1	0	1	0	2	0
20	थुरल	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, थुरल	1	1 (अनुबन्ध)	1	0	2	1	1	1	1	0	2	0
	कुल		**20**	**17**	**20**	**1**	**40**	**15**	**20**	**2**	**20**	**2**	**40**	**5**

स्रोतः विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

*** उप-मण्डलीय प्रयोगशाला जल शक्ति मण्डल घुमारवीं के अधीन है। जल शक्ति मण्डल झंडुता के जल के नमूनों की जांच उप-मण्डल प्रयोगशाला घुमारवीं में की गई।**

**** उप-मण्डलीय प्रयोगशाला जल शक्ति मण्डल तीसा के अधीन है। जल शक्ति मण्डल सलूणी के जल के नमूनों की जांच उप-मण्डलीय प्रयोगशाला कोटी में की गई।**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh